खण्ड-225, अंक-7
बुधवार, 18 श्रावण, शक संवत् 1883
(9 अगस्त, 1961 ई0)

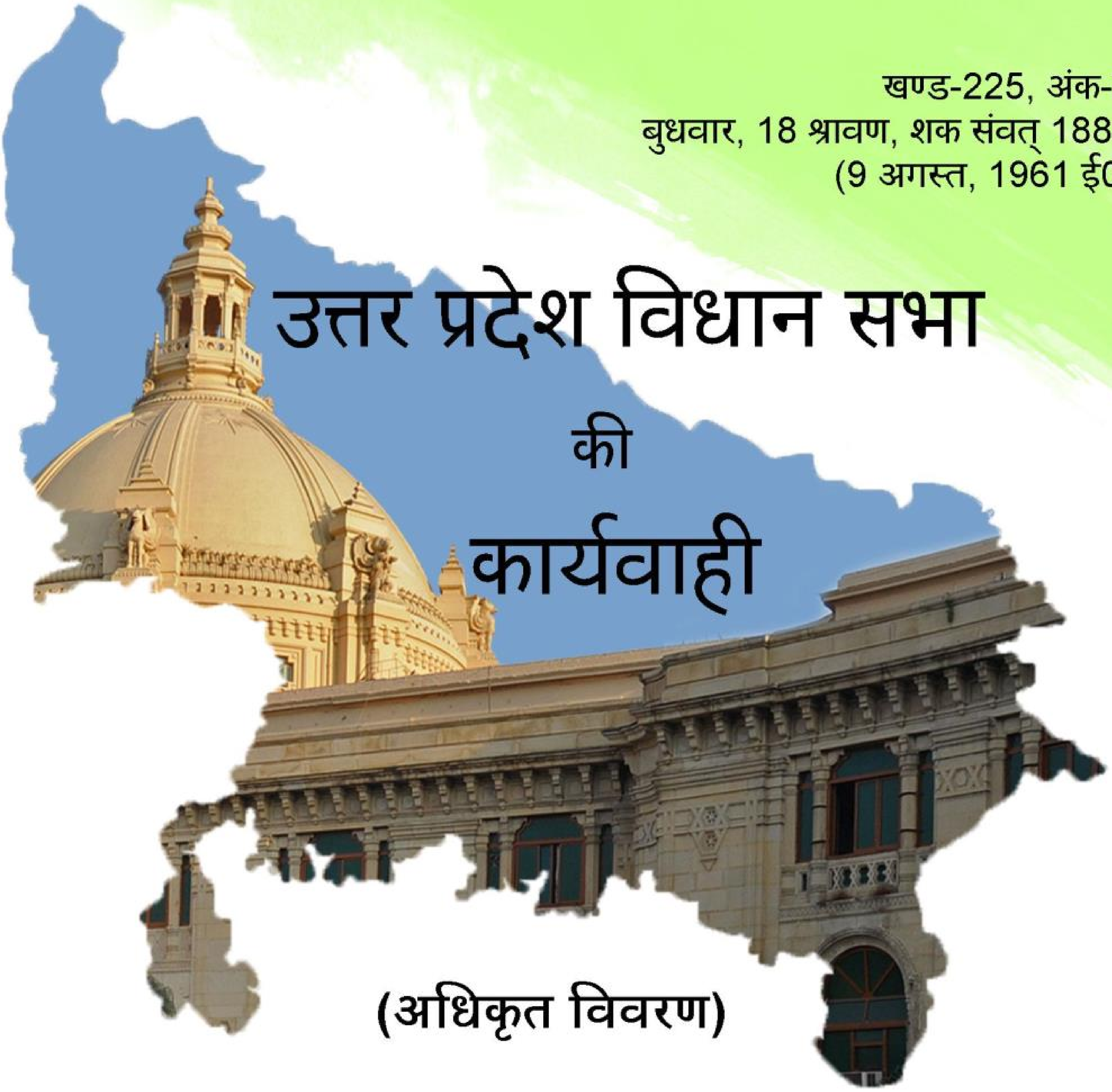

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 225 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ९ अगस्त, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५९

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उलफतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालुशर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री

पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री

रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती

सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

स्वशासन मंत्री, श्री चतुर्भुज शर्मा, श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी तथा वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ९ अगस्त, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राप्ती नदी पर राजघाट पुल के मुख्य स्पैन का ध्वस्त होना

**१—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर), श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर), श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी), श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़), श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर), श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल), श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर के निकट राप्ती नदी पर राजघाट में निर्माण होने वाले पुल पर कितना कुल व्यय होने का अनुमान है तथा कितना लग चुका है ?

चिकित्सा उपमन्त्री (श्री धर्मसिंह)—प्रथम भाग—४१.४३ लाख रुपये।

द्वितीय भाग—जून, १९६१ के अन्त तक ३१.३९ लाख रुपये।

**२—श्री मदन पांडेय, श्री अमरनाथ, श्री लक्ष्मणराव कदम, श्री झारखंडेराय, श्री इस्तफाहुसैन, श्री नारायणदत्त तिवारी, श्री रामशरण यादव तथा श्री ऊदल—क्या यह सत्य है कि गत १३ जुलाई, १९६१ को दिन के ९ बजे उक्त पुल के तैयारशुदा २ खंड पायों समेत ध्वस्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसमें कितनी क्षति हुई ?

श्री धर्मसिंह—प्रथम भाग—गत १४ जुलाई को प्रातः लगभग १० बजे पुल का मुख्य स्पैन एकाएक ध्वस्त हो गया है जिससे उसके दोनों पायों को क्षति पहुंची है।

द्वितीय भाग—लगभग २.५ लाख रुपये।

**३—श्री मदन पांडेय, श्री अमरनाथ, श्री लक्ष्मणराव कदम, श्री झारखंडेराय, श्री इस्तफा हुसैन, श्री नारायणदत्त तिवारी, श्री रामशरण यादव तथा श्री ऊदल—क्या यह सही है कि जिन पायों पर पुल बनाया जा रहा था वे, जितनी गहरी बुनियाद पर होने

चाहिये थे,नहीं बने थे इसलिये यह दुर्घटना हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच करा कर उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्डित करने पर विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह--प्रथम भाग--दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिये, एक कमेटी नियुक्त कर दी गई है। जब तक कमेटी की रिपोर्ट न आये तब तक यह बताना सम्भव नहीं है कि किस कारण यह दुर्घटना हुई।

द्वितीय भाग--उच्चस्तरीय कमेटी स्थापित कर दी गई है और उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार द्वारा आगे की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

श्री मदन पांडेय--क्या यह सही है कि सन् १९६० में ही प्रोफेसर शिवबनलाल सक्सेना ने पार्लियामेंट में यह प्रश्न उठाया था कि जो पाये गलाये जा रहे हैं उनको, जितने फीट गहरा होना चाहिये उतना नहीं हो रहा है और उसके बाद भी इंजीनियरों ने कहा था कि जितने गहरे गलाये जाने चाहिये उतने गलाये जा रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह--यह बात सही है कि माननीय सक्सेना साहब ने यह प्रश्न पार्लियामेंट में उठाया था। उस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से उसकी रिपोर्ट मांगी गयी थी लेकिन जिन बातों के बारे में उन्होंने कहा था वे गलत पायी गयीं और उनको इत्तला दे दी गयी थी कि ऐसी बात नहीं है।

श्री मदन पांडेय--क्या यह भी सही है कि कुछ दिनों पहले जो कर्मचारी वहां पर काम कराने के जिम्मेदार हैं, ओवरसियर और इंजीनियर लोग, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की ऐसी शिकायतें थीं कि जितनी तादाद में सीमेंट लगानी चाहिये थी उतनी तादाद में सीमेंट नहीं लगायी गयी और किनारे की जमीनें लेने में भी गड़बड़ी की गयी थी लेकिन फिर भी उन लोगों को वहीं रखा गया और उनसे काम कराया गया ?

श्री धर्मसिंह--सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या यह सही है कि पहले खम्भों को जितना धंसाने की योजना थी उस पुल के सिलसिले में उससे कम धंसाये गये और बाद में जब शिकायत की गयी तो वह योजना ही बदल दी गयी और कहा गया कि इतने से काम चल जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--मैं तो पहले भी इस बात को बतला चुका हूं कि वास्तव में शुरू-शुरू में करीब १०० फीट गहरा गलाने की प्लान थी। उस हिसाब से वह नहीं गलाये गये क्योंकि जब कुयें गलाये गये तो जहां स्वायल मिली वह जगह ८०--८५ फीट के क़रीब थी और साथ ही साथ वहां रेलवे का कोई दूसरा पुल है, उसकी गहराई देखी गयी तो वह भी करीब ८०--८५ फीट के बीच ही थी।

श्री गौरीशंकर राय--क्या यह सही है कि सक्सेना जी ने जो पार्लियामेंट में सवाल उठाया था उसमें उन्होंने यह शंका प्रकट की थी कि खम्भे कम धंसाने की वजह से पुल के टूटने का खतरा हो गया है ?

श्री धर्मसिंह--इस प्रकार का प्रश्न उन्होंने उठाया था लेकिन जब रिपोर्ट मांगी गयी और टेक्निकली उसको देखा गया तो वह बात सत्य नहीं पायी गयी और उनको इत्तला दे दी गयी थी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन से कारण थे जिनकी वजह से यह पुल टूटा और यह पुल किस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के देखरेख में बन रहा था ?

श्री अध्यक्ष--इसके लिये एक कमेटी बैठी हुई है। उनको पता नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, यह बता दें कि यह किसकी देख-रेख में बन रहा है?

श्री धर्मसिंह—एक एस० ई० ब्रिजेज हैं वहां, उनकी देखरेख में बन रहा है और एक एस० ई० ऐट दि स्पाट हैं उनकी देखरेख में बन रहा है।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन दो पायों पर पुल गिर पड़ा है उनक अलावा जो पाये बन चुके हैं या निर्माण की अवस्था में हैं उन पर काम बंद किया जा चुका है या जारी है?

श्री गिरधारीलाल—इस पर एक कमेटी बैठी हुई है और इस समय काम रुका हुआ है? हमने उससे पूछा है कि डिजाइन ठीक है या नहीं? वह जब उसको एप्रूव कर देगी तब काम चालू होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी को इसकी सूचना है कि जो डिजाइन इंजीनियर श्री ग्रोवर थे उनके आदेश से पुल के खम्भे पानी म धंसाये गये थे और वही इस कमेटी के मेम्बर हैं?

श्री गिरधारीलाल—मैं समझता हूं कि यहां की सरकार ने गवर्नमेंट आफ इंडिया के सहयोग से यह काम किया है और ग्रोवर साहब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी ह तो उनकी सलाह-मश्विरा से यह काम हुआ है।

श्री अध्यक्ष—यह बता दें कि क्या वह कमेटी के सदस्य भी हैं?

श्री गिरधारीलाल—जी हां।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी इसको स्पष्ट करेंगे कि ८५ फिट गहरे खम्भे गलाने के आदेश जब दिये गये थे तो ग्रोवर साहब उस काम में थे और उन्हीं को कमेटी में रखा गया है?

श्री अध्यक्ष—आप यह पूछें कि उन्होंने आदेश दिया था या नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मिस्टर ग्रोवर ने ८५ फिट गहरे खम्भे गलाने के आदेश दिये थे और वही कमेटी में हैं?

श्री गिरधारीलाल—श्रीमन्, मैंने कहा कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की भी जिम्मेदारी है। मुमकिन है मिस्टर ग्रोवर उसमें हों। इस समय वह कमेटी के सदस्य जरूर हैं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि उक्त पुल इन्हीं की देख-रेख में बन रहा था जिनकी देख-रेख में दारुलशफा की बिल्डिंग बनी थी और वरुणा पर पुल बना जो बह गया उसमें उनको तनज्जुल किया गया और बाद को प्रमोट किया गया था?

श्री गिरधारीलाल—तमाम बातों की तो मुझे इत्तिला नहीं है। लेकिन ८/१० साल पहले वह रिवर्ट किये गये थे।

श्री झारखंडेराय—जो अधिकारी इस पुल के लिये जिम्मेदार हैं उनको इस मामले की निष्पक्ष और सही जांच के लिये हटाना जरूरी है तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री गिरधारीलाल—मैं समझता हूं कि अभी ऐसी स्टेज नहीं आई है और अगर जरूरत होगी तो हटाये जा सकते ह।

मेडिकल कालेज, लखनऊ के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का आदेश

**४—श्री मदन पांडेय—क्या यह सही है कि चिकित्सा विभाग की ओर से पत्र सं० ४५५१९-क/५—६२९-६०, दिनांक लखनऊ, १० मई, १९६१ के द्वारा उक्त विभाग ने "गांधी अस्पताल व किंग जार्ज मेडिकल कालेज कर्मचारी संघ, लखनऊ" के मन्त्री श्री शकील अहमद को यह आश्वासन दिया था कि ३०० रु० मासिक से कम तनख्वाह पाने वाले उक्त संस्थान के कर्मचारियों को वर्तमान सरकारी दर से महंगाई भत्ता दिये जाने पर न केवल विचार हो रहा है बल्कि निश्चय हो चुका है और केवल तखमीना लगाना बाकी है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन कारणों से अब तक उक्त आश्वासन क्रियान्वित नहीं किया गया है?

श्री धर्मसिंह—जी हां, यह ठीक है और इस आश्वासन की पूर्ति करते हुए १ अगस्त, १९६१ को आदेश जारी किये जा चुके हैं।

श्री मदन पांडेय—आज ९ अगस्त हो गई है, इस बीच में माननीय मंत्री जी ने पता लगाने की कोशिश की कि जो आदेश दिया गया है उसका कार्यान्वियन हो रहा है या नहीं?

श्री धर्मसिंह—जब बजट में प्रावीजन है और पैसा रखा गया है और आदेश भेजा गया है तो उसका कार्यान्वियन तो होगा ही।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इतनी देर में आदेश देने के क्या कारण हैं? पहले क्यों नहीं दिया गया?

श्री धर्मसिंह—श्रीमन्, यह एक लम्बा प्रोसीजर है। पहले यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन आती हैं तो वहां से रिकमेंडेशन मांगी गई थी और उसके बाद कार्यवाही की गई।

इलाहाबाद में मेडिकल कालेज के लिये जमीन का मामला

**५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तारीख २२ जुलाई, १९६१ को इलाहाबाद पधारने पर स्थानीय समाचार-पत्रों को अपना विचार प्रगट करते हुये उन्होंने कहा था कि स्थानीय मेडिकल कालेज बनाने के लिये वहां के राजकीय इंटर कालेज तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं को वहां से हटा कर मेडिकल कालेज में उस जमीन को ले लिया जायगा? यदि हां, तो उक्त शिक्षण संस्थाओं को हटा कर कहां पर बसाया जायगा?

श्री धर्मसिंह—सारा मामला विचाराधीन है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि सारा मामला विचाराधीन है तो क्या मेडिकल कालेज वहां न बना कर दूसरे स्थान पर बनाया जाय, यह भी विचाराधीन है?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मेडिकल कालेज इलाहाबाद में ही बनेगा और जहां बनाने का विचार किया था उसके नजदीक ही किसी स्थान पर बनेगा। लेकिन इच्छा यह है कि ऐसे स्थान पर बने जहां खुली जगह तथा खुली सड़क हो। जो जगह अभी उसके लिए रखी गई है वह बड़ी शिकस्त जगह है। इसलिए यह विचार कर रहे हैं और १२ तारीख को इसका फैसला भी हो जायगा कि जो गवर्नमेंट हाउस इलाहाबाद का है उसमें बहुत जगह है, उस काफी जगह को मेडिकल कालेज के निर्माण के लिए इस्तेमाल करें।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि प्रयाग स्टेशन के पास चैथम लाइन पर मेडिकल कालेज बनाया जाय तो वह स्थान ठीक होगा, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उस सुझाव को मानने के लिए तैयार हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उन्होंने कुछ बातें कहीं थीं। यह तो याद नहीं है कि उन्होंने चठम लाइन या किस लाइन का जिक्र किया था। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं चैठम लाइन उस स्थान से काफी दूर है जिस स्थान पर हम बनाने जा रहे हैं, वह जहां अस्पताल बनाया है उसके बिलकुल नजदीक है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में डाक्टरों की कमी है इसीलिए मेडिकल कालेज खुलने वाले हैं, तो निश्चित रूप से बतायेंगे कि कब से कालेज शुरू हो जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कालेज खुल गया है। विद्यार्थी दाखिल कर लिये गये हैं और जो अस्पताल बनाया है उसमें शिक्षा होगी। कालेज की इमारत जरूर बननी है और उस इमारत के बनने के सम्बन्ध में सारी चीज विचाराधीन है।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि इस मेडिकल कालेज के भवन निर्माण के सिलसिले में जिन जमीनों पर विचार हो रहा है, जो किले के आसपास मैदान है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उस पर भी विचार किया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अगर हर आदमी हर चीज का विशेषज्ञ बनने की चेष्टा करे तो सरकार उस अनधिकार चेष्टा को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। जिस स्थान का माननीय सदस्य सुझाव देना चाहते हैं वह स्थान तीन चार मील है जहां पर अस्पताल बनाया गया है। मेडिकल कालेज ४ मील दूर पर बनाया जाय यह अदूरदर्शिता की बात है और अदूरदर्शी सुझाव भी है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मुख्य मंत्री जी इसको देखते हुए कि अंग्रेजी शासनकाल में अपने शासन को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से दो गवर्नमेंट हाउस, एक लखनऊ में और दूसरा इलाहाबाद में, बनाये गये थे, अब उसकी आवश्यकता न देखते हुए क्या वह इस सुझाव पर विचार करेंगे कि जो बिल्डिंग बने पूरे गवर्नमेंट हाउस में बने ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब हम उस गवर्नमेंट हाउस की जमीन को काफी मात्रा में लेने जा रहे हैं तो उससे सिद्ध हो जायगा कि हमारा विचार इतनी बड़ी इमारत को महज गवर्नमेंट हाउस के परपज के लिए रखने का नहीं है। लेकिन इस गवर्नमेंट हाउस के विषय का सम्बन्ध स्वतः राज्यपाल महोदय से है। हमने राज्यपाल महोदय को इस दिशा में इस प्रकार का सुझाव दिया है। हम आशा करते हैं कि राज्यपाल महोदय हमारे इस सुझाव को मानते हुए हमें आज्ञा प्रदान करेंगे। वे १२ तारीख को इलाहाबाद जा रहे हैं। वहां उस जगह का निरीक्षण करके कालेज बनने की जो योजना गवर्नमेंट हाउस के अन्दर बनायी है, उसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे।

सचिवालय में प्रवरवर्ग सहायकों के सुरक्षित स्थान

**६—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन सार्वजनिक हितों का आधार लक्ष्य रखते हुए उन्होंने सचिवालय में प्रवर-वर्ग सहायकों की भर्ती में विभागीय (Departmental) अवर वर्ग के कर्मचारियों के लिये सुरक्षित स्थान ३३ प्रतिशत से बढ़ा कर १९६० के परीक्षार्थियों के लिये ५० प्रतिशत कर दिया है ?

(ख) उपर्युक्त सुरक्षित स्थान बढ़ाने से बाहर के उम्मीदवारों के स्थानों को जो क्षति पहुंची है क्या सरकार उसकी पूर्ति के लिये विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—यह सचिवालय की कार्यकुशलता के हित में किया गया है।

जी नहीं, बाहर के उम्मीदवारों को कोई क्षति नहीं पहुंची।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३३ प्रतिशत से ५० प्रतिशत बढ़ाने की पहले से कोई घोषणा की गयी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह जो कार्य किया गया है ५० फीसदी बढ़ाने का वह पब्लिक सर्विस कमीशन की मंजूरी से किया गया है क्योंकि इस विषय में उसकी मंजूरी भी लेना आवश्यक था और यह कार्य इसलिए किया है कि यहां बहुत से असिस्टेंट्स अस्थायी थे जिन्हें जल्दी से जल्दी स्थायी बनाना था और ३३ प्रतिशत से वह जल्दी से जल्दी स्थायी नहीं बन सकते थे। इसलिए ८०० जो अस्थायी असिस्टेंट्स हैं उनको अधिक संख्या में स्थायी बनाने के लिए ३३ से ५० फीसदी की बढ़ती की गयी और पब्लिक सर्विस कमीशन की सहमति से यह आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—माननीय मुख्य मंत्री जी प्रश्न संख्या ६ के अन्तिम भाग का उत्तर देने की कृपा करेंगे जो कि क्षति से सम्बन्धित है, उसकी पूर्ति कैसे करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—उत्तर में तो मैंने कहा 'जी नहीं', बाहर के उम्मीदवारों को कोई क्षति नहीं पहुंची तो पूर्ति किस चीज की होगी ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—सरकार कहती है कि अस्थायी लोगों को स्थायित्व प्रदान कराने के लिए ३३ प्रतिशत से बढ़ा कर ५० प्रतिशत कर दिया गया है तो क्या सरकार इसको स्पष्ट करेगी कि जो लोग प्रवर वर्ग के कर्मचारी हैं वह सभी परमानेंट या स्थायी होने के लायक नहीं हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—कुछ लोग टेम्पोरेरी काम कर रहे थे। लोअर वर्ग में भी बहुत से आदमी हैं, ८०० के करीब। तो पब्लिक सर्विस कमीशन उनका एक इम्तहान लेता है, उससे वह अवर वर्ग में जाते हैं। जब वह इम्तहान लेता है तो इम्तहान में संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इन लोगों के लिए स्थान सुरक्षित कर दिये गये। पहले तो डिपार्टमेंटल ३३ प्रतिशत लिये जाते थे। अब ५० फीसदी पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से कर दिये गये जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग लोअर डिवीजन में काम करते हैं या टेम्पोरेरी काम करते हैं वह अवर वर्ग में आ सकें।

श्री राजनारायण—प्रश्न हमारा यह है कि जो अवर वर्ग के कर्मचारी हैं वह अवर वर्ग में ही स्थायी क्यों नहीं करार दिये जा रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—स्थायी करने के लिए जितनी जगहें होती हैं उन्हीं पर कोई व्यक्ति स्थायी हो सकता है और स्थायी वह तब हो सकते हैं जब कि उन्होंने तमाम इम्तहानों को पास कर लिया हो जिसका कि निर्देशन पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि स्वर्गीय पूज्य पंत जी की अध्यक्षता में एक डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी जिसने कि यह सिफारिश की थी कि जिसको तीन साल से अधिक हो गया काम करते हुए उसको स्थायी कर दिया जाय, तो इसको क्यों नहीं कार्यान्वित किया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—पब्लिक सर्विस कमीशन यह बात नहीं मानता। लेकिन यह कर दिया गया है कि जो अवर वर्ग के लोग हैं उनमें जो परमानेंट जगहें हैं उनमें से ८० फीसदी लोग नीचे से लिये जायं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशों के बाद मुख्य सचिव ने भी अस्थायी विभागों को यह आदेश दिया था कि उनके यहां जो तीन साल से ज्यादा काम कर रहे हों उनको स्थायी कर दिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसा मैंने अभी कागजों में तो देखा नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रवर वर्ग के इन कर्मचारियों के लिए जो शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन की थी, क्या सरकार उस पर अब भी दृढ़ है या उसमें कुछ ढील की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो योग्यतायें निर्धारित कर दी गई हैं उनमें कोई कमी लाने की बात तो है नहीं।

नेशनल इण्टीग्रेशन कमेटी की रिपोर्ट

**७—श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर) तथा श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या उत्तर प्रदेशीय सरकार Congress की National Emotional Integration Committee की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने जा रही है ? अगर हां, तो किस तरह व किन अंशों में ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—माननीय सदस्यों का आशय शायद नेशनल इन्टीग्रेशन कमेटी की रिपोर्टसे है। उक्त रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है और केंद्रीय सरकार की सम्मति से उस पर विचार हो रहा ह। फिलहाल अधिक विवरण देना सम्भव नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो इस कमेटी ने सिफारिशें की हैं, अभी तक क्या सरकार उनमें से कुछ पर विचार करके यह निश्चय कर चुकी है कि ये उचित हैं और लागू की जानी चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट की कमेटी थी ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—जब केंद्रीय सरकार की सहमति से यह सरकार विचार कर रही है तो यह सरकार के विचाराधीन हो गई।

श्री अध्यक्ष—(श्री बिष्ट से) अच्छा तो अब आप पूछिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस कमेटी की रिपोर्ट में से कुछ सुझावों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस कमेटी ने बहुत से प्रश्न उठाये हैं। कल परसों दिल्ली में एक सम्मेलन होने वाला है, उसमें भारतवर्ष के सारे मुख्य मंत्री इकट्ठा होंगे और उन पर विचार होगा।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि केंद्रीय सरकार ने और प्रदेशीय सरकार ने भी इस समिति के इस सुझाव पर कि साम्प्रदायिक भेदभाव और द्वेष फैलाने वाले लोगों के लिये दंड की और सामूहिक जुर्माने की व्यवस्था की जाय और इसके लिये स्टेट लेविल पर कानून बनाये जायं, विचार किया ह ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार के सामने कई प्रश्न विचाराधीन हैं और उनमें से एक प्रश्न यह भी है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि यह नेशनल इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी वही कमेटी है जिसके अध्यक्ष माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, यह कमेटी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बनाई थी और इसकी अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं न कि बाबू सम्पूर्णानन्द।

श्री राजनारायण—तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोई नेशनल इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी ऐसी भी बनी है जो सरकार की कमेटी है और जिसके अध्यक्ष डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, एक कमेटी है जो शिक्षा से संबंधित है कि शिक्षा किस प्रकार की दी जाय ताकि उसका प्रभाव विद्यार्थियों और नौजवानों पर ऐसा पड़े कि देश की एकता छिन्न-भिन्न न होने पाये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि दिल्ली में जो इस संबंध में कांफ्रेंस हो रही है उसमें क्या कहा जाय और इस प्रदेश के मंत्रिमण्डल की क्या राय है इस संबंध में कोई परामर्श या आलेख्य तैयार हुआ है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उसको मैं इस समय सदन के सामने नहीं रखता। जब कोई निर्णय हो जायगा तब वह सदन के सामने आ सकेगा।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस कमेटी ने कोई ऐसा सुझाव दिया है कि इस प्रश्न पर, जो राष्ट्रीय महत्व का सब से बड़ा प्रश्न आज हो गया है, विचार करने के लिये आल पार्टीज कांफ्रेंस बुलाई जाय और इस पर विचार किया जाय और इस समस्या का कैसे समाधान किया जाय ? अगर हां, तो सरकार इस पर स्टेट लेविल पर विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कमेटी ने इस तरह से आल पार्टीज कांफ्रेंस बुलाने का कोई सुझाव नहीं दिया है। उसने जो सुझाव दिया है उसमें यह आशा प्रकट की है कि वे सुझाव और विचार ऐसे हैं जिनको विभिन्न दलों के कार्यकर्तागण तथा विभिन्न दलों की कमेटियां, कार्य में परिणत कर सकती हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मुख्य मंत्री महोदय, जैसा कि उन्होंने गौरीशंकर राय जी को उत्तर दिया है उसके संबंध में बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके पूर्व कम्युनलिज्म के बारे में उसने कोई राय दी? अगर हां, तो सरकार ने कोई कम्युनलिज्म की आज तक परिभाषा की है और की है तो साम्प्रदायिकता किसे कहते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक परिभाषा तो यही है कि जनसंघ एक कम्युनल संस्था है और उसकी नीतियों तथा उद्देश्यों को कुचलने का भरसक प्रयास शिक्षा द्वारा तथा लोगों को अपना साथी बना कर और सहयोगी बनाकर किया जाय और प्रत्येक दल इस कार्य में हमारा सहयोगी बने।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसी परिभाषा में यह भी लिखा है कि जिस मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा किया और जिसके साथ गठबंधन करके केरल में मिनिस्ट्री बनायी गयी और मुस्लिम माइनारिटी को खुश करने के लिये उर्दू सारे प्रदेश में लादी जाय, क्या यह सब उस परिभाषा में आता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सरकार मुस्लिम लीग की प्रवृत्ति और उसके विचारों को उसी प्रकार कुचलने की चेष्टा करेगी जिस तरह से कि वह जनसंघ के विचारों को कुचलने का प्रयास कर रही है।

श्री राजनारायण—पहले तो श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को उनके द्वारा दिये गये इस उत्तर के लिये उनको धन्यवाद देता हूं।

अब प्रश्न मेरा यह है कि अभी मुख्य मंत्री जी ने यह बताया था कि २–४ दिन में दिल्ली में सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन होनेवाला है जो इन तमाम बातों पर विचार करेगा, तो क्या वह बैठक जो बुलाई जा रही है वह माननीय सम्पूर्णानन्द जी जो कमेटी बनी हुई है, उसी के मातहत होगी या जो कांग्रेस पार्टी की है उसके तहत में होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे सम्मानीय मित्र को कन्फ्युजन हो गया है। माननीय सम्पूर्णानन्द जी की जो कमेटी है वह तो शिक्षा विभाग की एक कमेटी है जो केंद्रीय सरकार ने बनायी है यह जानने के लिये कि किस तरह का परिवर्तन शिक्षा क्षेत्र में किया जाय कि जिससे आज जो कम्युनलिज्म और डिस्इंट्रीगेशन आदि का वातावरण दिखायी पड़ रहा है उसको रोका जाय और किस तरह से देश में नागरिकता का विचार इस तरह पैदा करें कि हमारे देश की एकता भंग न होने पाये। यह कमेटी श्री सम्पूर्णानन्द जी के नेतृत्व में अपना कार्य कर रही है। उसका संबंध इस कमेटी से नहीं है जो कि कल, परसों और नरसों दिल्ली में होने जा रही है।

श्री गौरीशंकर राय—माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी बताया कि दिल्ली में होनेवाले इस सम्मेलन में प्रदेशीय सरकार के क्या विचार हैं वे यहां बतलाना नहीं चाहते। तो क्या वे इस सम्मेलन में जाने के पूर्व इस हाउस के कुछ उन सदस्यों को बुलाकर, जो राष्ट्रीय विरोधी तत्वों को नष्ट करने तथा साम्प्रदायिकता की भावना को दूर करने के पक्ष में हैं, उनकी राय जानने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में क्या करना चाहिये? तथा इसके लिये क्या वे कुछ चुने हुये प्रतिनिधियों को बुलाने का कष्ट करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं चुने हुये प्रतिनिधियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि मैं यहां उन्हीं के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला हूं और यह सरकार भी उन विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा मैं क्या विचार वहां प्रकट करूंगा वे कोई नये नहीं होंगे, वे वही विचार होंगे जिन्हें मैं समय-समय पर सदन में और इस सदन के बाहर भी व्यक्त करता रहा हूं। उन्हीं विचारों को वहां पर दोहराऊंगा और जब तक मैं इस कार्य-भार को संभालता हूं उन्हीं विचारों को रखता रहूंगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह संस्था भी साम्प्रदायिक संस्थाओं में आती है या नहीं जो साम्प्रदायिक संस्था से गठबंधन करती हैं?

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—मुख्य मंत्री ने तो कभी गठबंधन किया नहीं किसी से, वह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(हंसी)

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या न्याय मंत्री बतलायेंगे कि उनका गठबंधन हो गया है या नहीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हां हुआ, और अब भी लोग, जो गठबंधन करना चाहते हैं, पीछे पड़े हैं।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जनसंघ को कुचलने के लिये कौन-कौन से उपाय इस्तेमाल किये गये हैं और आगे किये जाने वाले हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सरकार बन्दूक आदि से कुचलने की चेष्टा नहीं करती। यह सरकार शिक्षा के द्वारा और उन विचारों के द्वारा जिनका प्रचार वह सदैव करती रही है, कुचलना चाहती है। यह सरकार उन विचारों का सदैव विरोध करेगी जो देश की एकता को छिन्नभिन्न करने वाले हैं, और जनसंघ को वह ऐसा मानती है कि उसके विचार और उद्देश्य आज के जनतंत्रीय शासन के विरोधी हैं और वह विचार हमें टुकड़ों में बांटने वाले हैं। सरकार उन विचारों से शिक्षा के द्वारा और उन जनतंत्रीय परम्पराओं के द्वारा लड़ना चाहती है जिन्हें उसने अपनी नीतियों का एक हिस्सा बना रक्खा है।

श्री झारखंडेराय—क्या मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि इस कमेटी की चेयरमैन इंदिरा गांधी जी ने भी यह भाव प्रकट किया है और इस प्रकार का भाव कहीं प्रेस कारेस्पांडेंट्स से बात करके पं० जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्त किया था और मुस्लिम कांफ्रेंस

में भी यही भाव व्यक्त किया गया प्रस्तावों के जरिये कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये जो सेकुलर डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाली पोलिटिकल जमाअतें हैं उनकी कान्फ्रेंस बुलाई जाय। तो जब मुख्य मंत्री जी इस कान्फ्रेंस में जा रहे हैं तो इस विचारधारा की पुष्टि करने के लिये अपने भाव प्रकट करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहांतक सेकुलर डेमोक्रेसी और उन विचारों का संबंध है जिन्हें मैंने अभी सदन में व्यक्त किया, उसमें तो उन दलों में कोई मतभेद है नहीं जो दल हमारी नीतियों में विश्वास करते हैं, इसलिये इन विषयों पर उनसे सलाह लेने की और बात करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

मुस्लिम सम्मेलन दिल्ली की सिफारिशें

****८—**श्री टम्बरेश्वरप्रसाद तथा श्री गोविन्द सिंह विष्ट—क्या सरकार को दिल्ली में हुये muslim convention में पारित प्रस्तावों को कार्यान्वित किये जाने की कोई मांग मिली है ? यदि हां, तो क्या सरकारने नौकरियों आदि में मुसलमानों को किसी प्रतिशत विशेष तक अवश्य रक्खे जाने के आदेश राजकीय कार्यालयों को भेजे हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जी नहीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन सिफारिशों को देखा है ? यदि हां, तो उनमें से किस-किस को वह ठीक समझते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास सिफारिशें आयी नहीं हैं और जो सब बातें यहां कही गयी हैं, जहां तक मैंने सुन रखा है, उनसे मैं सहमत नहीं हूं। उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कही गयी हैं, उनसे मैं सहमत नहीं हूं। मुझे ऐसा बताया गया कि हमने जो उर्दू कमेटी बनायी, उस पर भी आक्षेप किया गया। जब मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया तो मैंने डाक्टर महमूद को लिखा था कि आपने जो विचार प्रकट किये वह सही नहीं हैं और वह उस उद्देश्य की पूर्ति करने वाले नहीं हैं जिसके लिये हमने लैंग्युएज कमेटी निर्मित की है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कन्वेंशन में जाने के पूर्व उन्होंने यह देखा है कि सबसे अधिक प्रतिनिधि और एम०एल०एज०, एम०एल०सीज० उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के गये हैं ? यदि हां, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन्हें उसमें शिरकत करने के लिये इजाजत दी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पार्टी के हर एक सदस्य को हर चीज से बांधा नहीं रखा जाता है। हर एक को इतना अधिकार तो दे ही रखा है कि अपने दिमाग को उन विचारों के सम्बन्ध में स्वतः इस्तेमाल करे जो विचार देश के हित में हैं और जो विचार समाज के उत्थान में इस्तेमाल किये जा सकते हैं। मैं नहीं जानता कि कौन साहब गये थे और कौन नहीं गये। मैं अवश्य उन व्यक्तियों में से हूं जो ऐसा मानते हैं कि यह अदूरदर्शिता की बात होगी कि मुस्लिम कन्वेंशन दिल्ली में रचा जाय।

श्री शिवप्रसाद नागर—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कन्वेंशन में जाने आने की बात का नहीं है। प्रश्न के दो अंग हैं। एक तो यह कि "क्या सरकार को दिल्ली में हुये मुस्लिम कन्वेंशन में पारित प्रस्तावों को कार्यान्वित किये जाने की कोई मांग मिली है ?" दूसरा अंग यह है कि "क्या सरकार ने नौकरियों आदि में मुसलमानों को किसी प्रतिशत विशेष तक अवश्य रक्खे जाने के आदेश राजकीय कार्यालयों को भेजे हैं या नहीं ?" तो यह जो उत्तर दिया गया है "जी नहीं" यह किस अंग का उत्तर है ?

श्री अध्यक्ष—यह उत्तर "जी नहीं" दोनों के लिये लागू होता है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जो शासक पार्टी के लोग मुस्लिम कन्वेंशन में गये थे, उत्तर प्रदेश के शासन की नीति के विरुद्ध, उन्होंने वहां जाकर मुस्लिम कन्वेंशन की नीति का विरोध किया था या समर्थन ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उसके अन्दर क्या क्या हुआ इसकी मुझे सूचना नहीं है और हमारे साथियों ने वहां क्या भाषण दिये या नहीं दिये इसको मैं जानना भी नहीं चाहता। जिस ज़माने में यह मुस्लिम कन्वेंशन हो रहा था, मैं बाहर था, जहां रोजमर्रा के अखबार भी मुझे नहीं मिलते थे। कुछ कटिंग्स मेरे पास पहुंचते थे, उनमें उनकी जानकारी नहीं थी कि उन्होंने क्या क्या भाषण दिये।

श्री भुवनेशभूषणशर्मा (जिला इटावा)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि मुस्लिम कन्वेंशन में जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मुस्लिम विधायक गये वे भूतपूर्व मुस्लिम लीगी थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब कौन मुस्लिम लीगी है और कौन मुस्लिम लीगी नहीं है, यह तो उसके वर्तमान विचारों से जाना जा सकता है। जो उसमें गये उनमें कुछ पुराने मुस्लिम लीगी हो सकते हैं।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित हुआ है कि जबलपुर वगैरह की घटनाओं के बाद जो मुसलमानों के अन्दर क्षोभ हुआ, उसी को बाई पास करने के लिये यह सम्मेलन किया गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ऐसी बात इस कन्वेंशन को बुलाने वालों ने कही थी और उन्होंने मेरे सामने भी इस प्रकार के विचार व्यक्त किये थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि इस कन्वेंशन को नहीं बुलाना चाहिये क्योंकि उससे यह समस्या हल होने वाली नहीं है जिसको हल करने की चेष्टा इस कन्वेंन्शन द्वारा की जा रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि इस कन्वेन्शन में गये उन्होंने वहां के प्रस्तावों के पक्ष में मत दिया या विपक्ष में दिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कन्वेंशन के अन्दर क्या हुआ, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। (शेम शेम की आवाजें) मेरा तो सदा यह प्रयत्न रहता है कि जो व्यक्ति मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं उनको सदा ही मैं अपने विचारों द्वारा अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करता रहता हूं। चाहे वह मेरी पार्टी का हो, चाहे बाहर का हो और चाहे जनसंघ का हो, उसको मैं अपनी विचारधारा से प्रभावित करने का प्रयत्न करता हूं और जनतांत्रिक रूप से वह चेष्टा बराबर जारी रहेगी जब तक कि मैं इस कार्यभार को संभालता रहूंगा, अथवा बाहर उस संगठन में काम करने का मुझे अवसर मिलता रहेगा जिससे मेरा सम्बन्ध पिछले ३०-४० साल से है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान भूतपूर्व मुख्य मंत्री, माननीय सम्पूर्णानन्द जी के उस बयान की ओर गया है जो उन्होंने मुस्लिम कन्वेन्शन के सम्बन्ध में दिया है ? यदि हां, तो क्या वे उस वक्तव्य के समर्थन में या विरोध में कोई वक्तव्य निकालना चाहते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मुझे उस वक्तव्य को निकालने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यदि उस वक्तव्य की बात आये भी तो मैं वैसा वक्तव्य निकालना अदूरदर्शिता समझता हूं।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यहां से गये विधायकों न सम्मेलन में क्या-क्या विचार प्रकट किये ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने बता दिया कि उन्हें पता नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि इस अनुत्तरदायित्व पूर्ण सम्मेलन का आयोजन देश के प्रधान मंत्री की सहमति से किया गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक मुझे पता है उनकी तो शुरू में उसमें सहमति थी नहीं । और सहमति इस माने में मान ली जाय कि कोई विधायक जो कार्य करना चाहता है तो उसकी स्वतंत्रता का अपहरण तो नहीं कर सकते हैं, जबकि वह अपने विचारों को अपने ढंग से रखने की चेष्टा करना चाहे ।

बनारसी दास गौड़ के विरुद्ध मुकदमा न चलाये जाने पर आपत्ति

** ९---श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बनारसीदास गौड़ नामक व्यक्ति ने तीन विभिन्न पुस्तकों में जो आरोप सरकार के विरुद्ध लगाये हैं उनमें से कितने सत्य हैं ? यदि नहीं, तो उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---श्री बनारसी दास गौड़ द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकों में जो आरोप किये गये हैं वे नितान्त काल्पनिक एवं निराधार हैं । सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती क्योंकि सरकार एक ऐसे व्यक्ति को शहीद कहलाने का गौरव नहीं देना चाहती जो सत्य की उपेक्षा करे तथा गैर-जिम्मेदारी के काम करता हो ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो व्यक्ति है, उसने सरकार के खिलाफ जो आरोप लगाये हैं उनकी जांच किसके द्वारा करायी गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उनकी जांच कराने की कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि बिलकुल निराधार, गलत और बेबुनियाद बातें उस पर्चे में लिखी गयी हैं । वह शख्स इसी प्रकार की बातें करता रहता है और आयन्दा भी करता रहेगा । सरकार मुनासिब नहीं समझती कि ऐसे व्यक्ति को अदालत में जाकर वह जगह दी जाय कि यह एक बड़ा व्यक्ति हमारे बीच में आया है जो सारे समाज का सुधार करना चाहता है । यह तो सब को विदित ही है कि वह व्यक्ति अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है । मैंने सुना है कि किसी माननीय सदस्य ने अल्पसूचित प्रश्न के रूप में इन दो प्रश्नों की सूचना दी है, जिसमें मित्रा साहब का जिक्र है व श्री राममूर्ति जी के दामाद के सम्बन्ध में प्रश्न है, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी सदन में शायद २२ तारीख को आ जायगा, जिनकी चर्चा इस पर्चे में की गयी है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को पता है कि उस पुस्तक के छापने के मामले में श्री कैलाशप्रकाश, सदस्य, मंत्रिपरिषद् ने जस्टिस अग्रवाल को एक पत्र लिखा कि श्री बनारसी दास गौड़ की श्री कमलापति त्रिपाठी के विरुद्ध मदद की जाय ? क्या यह पत्र वाली बात सही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---पत्र वाली बात सही है या नहीं, मुझे इसका कोई पता नहीं है लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि कभी-कभी ऐसे लोग जो आधी बांह का कुर्ता पहन कर निकलते हैं, काफी लोगों को धोखा देते हैं और लोगों में ऐसी भ्रमात्मक बातें फैलाते हैं जो बिलकुल गलत होती हैं । अब तो ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---अगर ये सारी बातें झूठी हैं तो क्रिमिनल ऐक्ट के अनुसार वे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ डिफेमेशन सूट क्यों नहीं दायर करते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अगर माननीय दुबे जी उन बातों को कहें और बाहर छापें तो उनके विरुद्ध मैं डिफेमेशन सूट लाऊंगा, लेकिन अगर कोई ऐरे गैरे पचकल्यानी गलत और झूठी बातें छापते रहें तो उनको सुनने के लिये मैं तैयार नहीं हूं और न मानने के लिये तैयार हूं ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह देखते हुए कि कोई भी बालिग मताधिकार प्राप्त व्यक्ति सरकार के कारनामों की जांच कर सकता है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। उनको अधिकार है इस तरह कहने का। अगर आप इस बात को मानते हैं कि झूठ है तो आप मुकदमे के लिये उनसे कह रहे हैं और आप उसमें दिलचस्पी बहुत ले रहे हैं, तो उस वक्त अगर वह यह कहते हैं कि गैर जिम्मेदार है, या ऐरा गैरा आदमी है, यह कहना उनके लिये अनुचित बात नहीं है।

श्री उग्रसेन—मुख्य मंत्री जी स्पष्ट करेंगे उनका यह चार्ज कि सिंचाई मंत्री के दामाद २७ अभियंताओं की सीनियारिटी मार कर ऊपर आ गये.....

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता। वह प्रश्न आने वाला है।

श्री उग्रसेन—पुस्तक में लिखा हुआ है यह चार्ज। हमारा प्रश्न उस प्रश्न के तहत में ही है।

श्री अध्यक्ष—दो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न इस सम्बन्ध में आ रहे हैं।

श्री उग्रसेन—वह मेरे और झारखंडेराय जी के ही हैं।

श्री अध्यक्ष—वह आने वाले हैं, उनमें जो डिटेल्स हैं उनका जवाब है।

श्री उग्रसेन—मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं। क्या यह सही है कि माननीय न्याय मंत्री हुकुमसिंह विसेन जी ने मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है कि उनके क्षेत्र का २० लाख रु० गन्ना किसानों को दे दिया जाय, मगर मुख्य मंत्री ने नहीं दिलवाया ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इससे नहीं उठता।

श्री राजनारायण—इस पुस्तक के पेज १३ पर लिखा हुआ है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह भी बात सही नहीं है। गलत बात है। मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि यदि इस सदन के माननीय सदस्य ऐसा समझते हैं कि उसमें जो बातें लिखी गई हैं वे सही हैं तो मैं चुनौती के रूप में कहना चाहता हूं कि वे इन बातों को बाहर चल कर दोहरायें और फिर मुझसे इस बात को कहें, तब मैं कचहरी में जाऊं और अपने साथियों से भी जाने को कहूं। अगर यहां आप गलत बातों और परम्पराओं को अपनाना चाहते हैं तो मेरी चुनौती है, उनके नेताओं को चुनौती है....

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मेरा आपके द्वारा एक निवेदन है.....

श्री अध्यक्ष—मैंने माननीय त्रिलोकीसिंह जी को बुला लिया है।

श्री त्रिलोकीसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक आपकी सेवा में एक व्यवस्था का प्रश्न पेश करना चाहता हूं। क्या इस आदरणीय सदन के किसी माननीय सदस्य को सदन के नियमों और प्रथाओं के अन्तर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह सदन में बैठ कर दूसरे माननीय सदस्यों को ललकारे कि यदि उनमें हिम्मत है तो यही बातें बाहर चल कर कहें ? (शेम शेम की आवाजें) मुझे दुख है कि शेम शेम कहने से मामला नहीं हल हो सकता और मुझे खुद इस पर शेम है। मैं नम्रतापूर्वक आपके द्वारा समस्त सदस्यों से कहूंगा कि इस आदरणीय सदन की प्रथाओं की रक्षा करने का भार मान्यवर के साथ हम सब पर उतना ही है और जब आप अपनी जगह सुशोभित हैं, तो जो भी हमारी दिक्कतें हैं वह सब आपकी सेवा में पेश करेंगे और आपका जो निर्णय होगा वह मुझे पूर्ण आशा है सर्वमान्य होगा।

जो मैंने प्रश्न उपस्थित किया है मैं, मान्यवर से, निवेदन करूंगा कि उस पर अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मेरा भी निवेदन सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—इसी व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में कहना है ? यदि हां, तो कहें ।

श्री राजनारायण—जी हां, इसी सम्बन्ध में कहना है ।

जहां तक कोई बात किसी व्यक्ति ने कही जिसे मुख्य मंत्री जी निराधार कहते हैं, यद्यपि मैं उस पर भी विरोधी मत रखता हूं, और नम्रता के साथ इस 'ऐरे गैरे पचकल्याणी' शब्द को संसदीय नहीं मानता । उन्होंने इस पुस्तक में जो बातें उठायी हैं, जो सवाल उठाये हैं, वे अपनी जगह पर हैं और आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं चुनौती देना चाहता हूं कि वह आज पब्लिक मीटिंग बुलायें और हम भी बुलायें और जितनी बातें सही हैं वह हम कहते हैं और मुख्य मंत्री जी मुकदमा चलायें, मैं देखता हूं ।

मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी गरमी न दिखायें । न मालूम कितनों की गरमी, जो इस सदन में दिखायें हैं, उनकी झाड़ी गयी है और माननीय मुख्य मंत्री जी की भी गरमी झड़ जायगी.....

श्री अध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राजनारायण—अगर हमारे देश का कोई नागरिक ऐरा-गैरा पचकल्याणी है तो मुख्य मंत्री जी उससे डबल ऐरे गैरे पचकल्याणी हैं ।

श्री अध्यक्ष—आप इस तरह से सदस्यों को नहीं कह सकते । सदस्यों के लिये उन्होंने नहीं कहा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं और वह यह है कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कानून की निगाह में मुख्य मंत्री और ऐरे गैरे पचकल्याणी नत्थू खैरे सब एक समान हैं और इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है और इसलिये अगर ऐरे गैरे पचकल्याणियों को प्रतिष्ठित लोगों पर झूठ आरोप लगाने की छूट दे दी जायगी तो किसी की कीर्ति सुरक्षित नहीं रह सकती । तो क्या सरकार ऐसी कार्यवाही करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता । अब जो व्यवस्था का प्रश्न अभी माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने उठाया है उस प्रश्न के बारे में कहना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि हर एक सदस्य यहां पर उच्च आदर्शों को रखता है और उसके हृदय में जो बात होती है उस चीज को खुद सोचकर और उस पर तब विचार करना चाहता है । वह व्यक्ति मेरे पास आया था । मैंने उससे कहा था कि जो तुम्हारे कई आक्षेप हैं उसे आदरणीय सदन के किसी सदस्य के द्वारा उपस्थित करा सकते हो, लेकिन छापकर बांटने की जो प्रथा है इसको मैं प्रोत्साहन नहीं देना चाहता । अगर हर एक आदमी रोज एक एक केस के बारे में छापता रहे तो मुकदमा रोज का एक एक नहीं कर सकते । एक चीज छाप दी, उस पर मुकदमा चलाने में ६ महीने लगेगा और दूसरे रोज दूसरी चीज छाप दी तो यह जनतांत्रिक प्रथा नहीं है, क्योंकि वह कह रहा था कि जनतांत्रिक पद्धति के अनुसार वह ऐसा कर रहा है । मैंने कहा कि इस तरह से छापकर जिस पर प्रेस की भी मुहर नहीं है जो तुम प्रकाशित करते हो, यह अनुचित है और मैं उसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहता । अब उसको इस प्रकार सामने लाकर प्रश्न पूछना मैं अनुचित समझता हूं, सदन की मर्यादा के लिये । अगर वह चीजें आप सत्य समझते हैं या यह समझते हों कि ऐसा हो सकता है तो अपनी तरफ से प्रश्न पूछें कि यह बात सही है या नहीं, उसका नाम लेकर जो उसने छापी और उस पर फिर यह कहना कि उस पर आप मुकदमा चलावें, उससे यह मालूम होता है कि उस पर मुकदमा चलाये जाने की आपकी इच्छा है । पालीवाल जी ने यही प्रश्न पूछा कि ऐसी गैर जिम्मेदारी के काम के लिये

इजाजत दे दी जाय तो दूसरों के ऊपर भी लोग आक्षेप करेंगे और इसलिये क्या सरकार इसको रोकने के लिये उस पर मुकदमा चलाना चाहती है ? अगर मुकदमा चलाने की बात है तो पूरक प्रश्न ठीक प्रकार से होने चाहिये और फिर यह उसमें नहीं होना चाहिये कि हम भी बाहर भी ऐसी चीजें कहेंगे और आप हम पर मुकदमा चलाइये। यानी मतलब यह है कि आप यहां करते हैं तो आपको यहां प्रश्न पूछना चाहिये और मैं आपको इजाजत दे दूंगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस तरह से यह प्रश्न उपस्थित किया गया है उस दृष्टि से यह कोई अच्छी बात नहीं है हालांकि मैं रोक नहीं सकता। लेकिन जो दूसरे पूरक प्रश्न किये गये हैं, वे ठीक नहीं हैं।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—अध्यक्ष महोदय .....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें। यह प्रश्न जिस तरह से नियम है पूछा गया है, मैं उसको रोक नहीं सकता क्योंकि कायदे के अनुसार है, लेकिन उसी हद तक यह सीमित रहना चाहिये। पुस्तिका में जो विषय रखे गये हैं उनमें से अमुक सही है या नहीं है उनका उत्तर जिस वक्त उस सम्बन्ध में मूलप्रश्न आयेगा उस समय आप प्रश्न करें, उनका उत्तर मंत्री जी को देना चाहिये। यह तरीका होना चाहिये। उस वक्त यह गरमागरमी नहीं होनी चाहिये। यह आम सिद्धांत मैंने बता दिया और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को भी चाहिये कि कोई भी कैसी बात हो लेकिन जो आदमी यहां मौजूद नहीं है, उसके विषय में अगर ऐसा जिक्र आ जाता है, तो जरा लखनऊ की भाषा बोलनी चाहिये क्योंकि यहां की भाषा में बहुत नम्रता रहती है। कुछ शब्दों के प्रयोग से ही ऐसा हो जाता है कि गरमागरमी आ जाती है, यद्यपि उनमें से कुछ पार्लियामेंटरी शब्द हो सकते हैं। यदि ऐरे गैरे शब्द कहा गया, तो कोई बुरी बात नहीं कही गई क्योंकि ऐरे गैरे शब्द रोज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में बैठकर हम ऐसा कहने लगें और उस तरह की बात कहने लगें तो यह कुछ अच्छी चीज मालूम नहीं होती है। यहां पर कोई भी बात कही जाती है तो उसे शांति से कहना चाहिये, क्रोधावेश में बात बढ़ जाती है। इस प्रश्न के ऊपर जो मैटर सामने आया है, उस पर प्रश्न किये जायें। यहां पर यह पूछा गया है कि उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही क्यों नहीं करती, तो इसमें शब्द "कार्यवाही" पर जोर दिया गया है। और संकेत है कि अगर इस तरह से कोई करता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—अगर गलत है तो !

श्री अध्यक्ष—जब उसे सरकार गलत कहती है, तब भी आप उसे नहीं मानते हैं। आप जब करना चाहते हैं, अगर सरकार उस चीज को गलत कहे। अगर इस तरह की बात होगी, तो वह मुकदमा करेगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मुझे एक सवाल पूछने दिया जाय, जैसा आपने कहा है, उसी के अनुसार पूछूंगा।

श्री रामायणराय—अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। चाहे कोई मुख्य मंत्री हो या साधारण सदस्य हो, क्या उसे सदन में ताव दिखाने का अधिकार है और क्या यह संसदीय परम्परा है ?

श्री अध्यक्ष—सदन के सदस्य जब ऐसी बात करते हैं और ताव दिखाते हैं, तो जब वे इंसान हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ताव दिखाते हैं, तो वह भी इंसान हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह —अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रश्न मैंने उपस्थित किया था, उस का समाधान, जहां तक मैं समझ सका हूं, नहीं हो पाया है। अगर आप की इजाजत हो तो मैं अपना प्रश्न दोहरा दूं।

श्री अध्यक्ष—आप कह दीजिये।

श्री त्रिलोकीसिंह —मान्यवर, मुझे दुख है कि इस तरह की बात कही जाती है। क्या इस सदन के नियमों के या प्रथा के अनुसार किसी माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि वह किसी दूसरे माननीय सदस्य को इस सदन के किसी कार्य के सिलसिले में, प्रश्न या कथन के सिलसिले में, ऐसी चुनौती दे कि बाहर चलकर यह बात कहें, तभी इसका निर्णय ठीक तरह से हो सकेगा ? मैंने नम्रतापूर्वक यही व्यवस्था का प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया था।

श्री चन्द्रभानु गुप्त —मैंने यह नहीं कहा था, अगर विरोधी दल के नेता ने यह समझा हो, तो यह उनका भ्रम है। मैंने यह कहा था कि यदि आप ने जो बात कही है, उसे आप सच मानते हैं तो आप इसको बाहर दोहरायें, तभी इसका नोटिस लिया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष—तब आपने गुस्से में कहा था। जैसे अब आप कह रहे हैं, वैसे नहीं कहा था।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जैसा कि आपने स्वतः कहा है कि जब किसी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाये जाते हैं और यहां पर उनको दोहराया जाता है, तो एक व्यक्ति ने इस तरह की बात मान कर यह प्रश्न दिये हैं, उन तमाम बातों को, जो उसमें दी गई हैं, यहां दोहराई जाती हैं, तो यह गुस्से वाली बात तो हो ही जाती है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैंने प्रश्न उठाया है, तो इस के पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिये मुझे समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप को बाद को इजाजत दी जायगी, पहले दूसरों का निर्णय तो हो जाय।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर यह प्रथा नहीं होनी चाहिये कि किसी को चैलेंज दिया जाय। जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका उत्तर दिया जाता है। उनका यह कहना है कि उन्होंने चैलेंज के उद्देश्य से नहीं कहा था। एक बाहर का आदमी जो गैरजिम्मेदार समझा जाता है, उसके कहने पर वे कोई कार्यवाही करना नहीं चाहते हैं। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसलिये आप यदि कहेंगे तो उस पर कार्यवाही होगी। आप को तो उन्होंने ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति करार दिया है। उनका यही मतलब था।

श्री उग्रसेन—मेरा निवेदन यह है कि मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी के कथन से नहीं निकलता है।

श्री अध्यक्ष—आप जरा ठंडे हो कर सुनें।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, हम तो ठंडे ही हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी के कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिये उनमें ज्यादा गरमी है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कृपा करके माननीय मुख्य मंत्री मुकदमे और जेल की धमकी न दिया करें।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—श्रीमन्, मुझे दुख है, कि इस प्रकार के शब्द मेरे इस प्रश्न के संबंध में कहे गये। मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूं। मेरा यह निवेदन है कि यदि इस प्रकार का आक्षेप लगाया जायेगा और आप इस सदन में दंड देने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो यह प्रथा बढ़ती जायेगी। मैंने एक प्रिविलेज का मोशन भी किया था, आपने उसको स्वीकार नहीं किया और यह कहा कि इस प्रकार का अधिकार है। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी किसी बात को गलत कहते हैं, तो बाहर का व्यक्ति उसका उत्तर दे सकता है और माननीय सदस्य उसको अल्पसूचित प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप स्वयं प्रश्न पूछ लें। किसी बात को सामने रख कर चैलेंज देना कि यह बात सही है या गलत है, ठीक नहीं है। आप यह पूछते कि मुकदमा क्यों नहीं चला, तो उसका जवाब देते। आपने, प्रश्न को गोल रखा। इसके अन्दर दो चीजें आ जाती

हैं। पहली बात तो आप यह चाहते हैं कि उन पर मुकदमा चले और पूरक प्रश्न के अन्दर यह सवाल हुआ कि यह बात सही है या नहीं। आपने पहले पुस्तिका छापने वाले का नाम लेकर बात को शुरू किया और फिर दूसरी बात को अन्दर ले आये। मैं समझता हूं कि यह चीज ज्यादा अच्छी नहीं है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—यह प्रश्न तो इससे निकलता है। वह व्यक्ति माननीय गृह मंत्री जी के घर पर रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न के संबंध में और समय दिया जाय या आधे घंटे की बहस करने के लिये समय दिया जाय। इस समय इसके लिये पांच मिनट और दीजिये।

श्री अध्यक्ष—अब तो जो चार्जेज लगाये गये हैं उन पर कहा जाता है प्रश्न पूछे गये हैं तो जब प्रश्न पूछे जायंगे तब आप इस सिलसिले में पूरक प्रश्न पूछ लीजियेगा।

टाउन एरिया कमेटी कंकर खेड़ा भंग करने के सम्बन्ध में जानकारी

**१०—आचार्य दीपङ्कर—क्या स्वायत्त शासन मंत्री को १ अगस्त, १९६१ को ऐसा पत्र मिला है जिसमें मांग की गई है कि टाउन एरिया कमेटी, कंकर खेड़ा (मेरठ) में दलबन्दी के कारण जनता द्वारा निर्वाचित कमेटी को भंग करवाने का प्रयास किया जा रहा है और अतिरिक्त जिलाधीश, मेरठ ने कमेटी को भंग करने से पहले स्पष्टीकरण की मांग की है ?

स्वशासन राज्य मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)— जी हां।

**११—आचार्य दीपङ्कर—यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस संबंध में आयुक्त से आख्या मांगी जा रही है।

तारांकित प्रश्न

*१—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—[हटा दिया गया।]

*२-३—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[२३ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*४-६—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—[२३ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

दादरी के विद्युतीकरण हेतु सर्वेक्षण

*७—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि कस्बा दादरी, जिला बुलन्दशहर में बिजली दिये जाने के लिये कितनी बार सर्वे हुआ और कितना धन इस पर व्यय हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—दादरी के विद्युतीकरण हेतु दो बार प्राथमिक सर्वे किया गया, परन्तु विभागीय अधिकारियों को दिये गये भत्ते के अलावा कुछ अन्य खर्चा नहीं हुआ।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

फर्रुखाबाद जिले में नवीन सड़कों का निर्माण

*८—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार विधान सभा के गत सत्र के दिनांक १० मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में ३४ १/२ मील बनने वाली नई सड़कें कौन-कौन थीं और १६ १/२ मील बनने वाली कौन-कौन सड़कें बन कर तैयार हो चुकी हैं ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग:—

सड़क का नाम			लम्बाई
१—छिबरामऊ-सौरिख-बिधूना	..	..	१६, १/२ मील
२—कन्नौज-बिलग्राम	..	..	३ मील
३—छिबरामऊ-फर्रुखाबाद	..	..	१५ मील
		योग ..	३४, १/२ मील

द्वितीय भाग—

छिबरामऊ-सौरिख-बिधूना सड़क	..	..	१६, १/२ मील

*९-१०—श्री ऊदल —[२४ अगस्त, १९६१ के लिये प्रश्न ५०-५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*११-१२—श्री झारखंडेराय—[२३ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*१३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[२३ अगस्त, १९६१ के लिए स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

सहायक बिक्री-कर अधिकारियों की पदोन्नति का आधार

१—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहायक बिक्री-कर अधिकारियों की पदोन्नति और इन पदों को स्थायी बनाने का क्या आधार है ?

वित्त मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—सहायक बिक्री-कर अधिकारी, बिक्रीकर अधिकारी के पदों पर पदोन्नति पाने के पात्र (eligible) हैं। जितने सहायक बिक्री-कर अधिकारी पदोन्नति पाने के पात्र होते हैं उनमें से केवल कुशलता के ही आधार पर सख्ती से चुनाव करके पदोन्नति की जाती है। सरकारी कार्य के हित में जब और जैसे आवश्यकता पड़ती है, पदों को स्थाई किया जाता है।

२—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहायक बिक्री-कर अधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धी कोई सेवा-नियम बनाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—सहायक बिक्री-कर अधिकारी सेवा नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उनको यथाशीघ्र अंतिम रूप देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

३—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त बिक्री-कर अधिकारी राजपत्रित श्रेणी के अधिकारी क्यों नहीं बनाये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—सहायक बिक्री-कर अधिकारियों को राजपत्रित पद प्रदान करना आवश्यक नहीं समझा गया। पदों को राजपत्रित तभी बनाया जाता है जब कि राजकीय कार्य के हित में अथवा प्रशासकीय दृष्टि से यह आवश्यक समझा जाय।

४—**श्री विश्रामराय**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस समय बिक्री-कर विभाग में कितने अधिकारी हैं जो लोक-सेवा आयोग द्वारा चुने गये हैं और कितने ऐसे हैं जिनको पदोन्नति विभाग द्वारा दी गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—मांगी हुई सूचना नीचे दी हुई है:—

पदों का नाम	उन पदों की संख्या जिन पर लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी नियुक्ति की गई	उन पदों की संख्या जिन पर लोक सेवा आयोग की स्वीकृति से विभाग द्वारा पदोन्नति की गई	उन पदों की संख्या जिन पर पदोन्नति विभाग द्वारा की गई पर जिनपर अभी तक लोक सेवा आयोग की अंतिम स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है	अन्य विवरण
१—असिस्टेंट कमिश्नर, बिक्री-कर	०	४	०	
२—बिक्री-कर अधिकारी	४७	३३	०	
३—सहायक बिक्री-कर अधिकारी	५६	१*	६४	लोक सेवा आयोग की स्वीकृति मांगी गई है, उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।
			१*	एक खाद्य तथा रसद विभाग के कर्मचारी को सहायक बिक्री-कर अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के लिए भी लोक सेवा आयोग की स्वीकृति मांगी जा रही है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ९ की स्वीकृति पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, हमारी व्यवस्था आपकी कृपा से इस ढंग से आ रही है, जानकारी के लिये कि श्री टम्बरेश्वर प्रसाद जी का ९ वां प्रश्न है और इस समय तो नहीं मगर यदि आप अपने कार्यालय में देखेंगे तो अनेक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो जायंगे। इनके प्रश्न में है---"क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बनारसीदास गौड़ नामक व्यक्ति ने तीन विभिन्न पुस्तकों में जो आरोप सरकार के विरुद्ध लगाये हैं"। अब उन तीन विभिन्न पुस्तकों का नाम भी नहीं है और मैं अक्सर प्रश्न फिरते हुये आपको बता सकता हूं कि आपके कार्यालय से आ जाता है, अस्पष्ट है, व्यक्तिगत है, इसमें पत्रिकाओं का नाम नहीं है। तो जिस किसी आधार पर अभी तक आपके कार्यालय से प्रश्न फिरते रहे हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर उस आधार को जरा सख्ती के साथ इसमें लगाया गया होता तो शायद इस प्रश्न को स्वीकार न किया गया होता और जब आज ये प्रश्न आये तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज माननीय अध्यक्ष के कार्यालय ने इस प्रश्न को मान्यता कैसे दे दी? मैं समझता था कि शायद अध्यक्ष जी स्वतः चाहते हों कि इसका सदन में विस्फोट हो, वरना ऐसे अनेक प्रश्न फिरते चले जाते हैं। इसलिये हमने कहा कि अच्छी बात है, इस पर सदन में चर्चा हो जाय। आप जिन बातों को कह रहे हैं कि वह प्रश्न पूछा गया है, मैं सही हूं, मैं सत्य हूं, केवल अगर मैं ही कहता रहूं कि मैं सत्य हूं तो कोई मानने को तैयार नहीं है। जब हमारे ऊपर खुले आम आरोप हो रहा है और एक नहीं अनेक आरोप हो रहे हैं...

श्री अध्यक्ष---यह तो आप उपदेश रहे हैं, व्यवस्था की बात क्या है?

श्री राजनारायण---उसी व्यवस्था पर आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि कभी-कभी कुछ लोग लंगोटी लगा कर, आधी बाहों का कुरता पहन कर आ जाते हैं, उसमें लोग धोखा खा जाते हैं। जब यह स्वतः मान रहे हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको भी धोखा दे चुके हैं या उनके सन्निकट बैठने वाले कैलाश प्रकाश जी को धोखा दे चुके हैं, तो यह जरा ऐसी चीज हो जाती है...

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न पूछिये, व्यवस्था आप क्या चाहते हैं?

श्री राजनारायण---व्यवस्था यह है कि जब ऐसे प्रश्न आयेंगे तो यह सवाल उठेगा....

श्री अध्यक्ष---अगर आप चार्ज के साथ लायेंगे तो प्रश्न उठेगा।

श्री राजनारायण---मैं समय बचाने के लिये कह रहा हूं कि आप इस नाम को निकाल दीजिये। मैं नहीं चाहता कि श्री गौड़ या कोई नाम हो....

श्री अध्यक्ष---मैटर को ले आइये आप।

श्री राजनारायण---जितने विषय हैं अगर उन विषयों को सदन में रखा जाय तो दो, ढाई घंटे की बहस के लिये आप समय देंगे?

श्री अध्यक्ष---आप पहले प्रश्न पूछें।

श्री राजनारायण---तब तक तो सदन ही उठ जायगा।

श्री अध्यक्ष---पहले तो आप प्रश्न पूछ लें। उसका जवाब मिलने के बाद अगर आप असन्तुष्ट रहेंगे तब आप डिमांड कर सकते हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐरा-गैरा पचकल्यानी व्यक्ति....

श्री अध्यक्ष---अब मैंने रोक दिया, जनाब।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—वह व्यक्ति अगर चुन कर आ जाय और मुख्य मंत्री या मंत्री बन जाय तो क्या उसका अधिकार छिन जाता है ?

श्री अध्यक्ष—कम से कम मेरे सामने वह सदस्य तो हो ही जायगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अनुसार (व्यवधान) राजनारायण जी, आप कृपा कर के सुन लें। मैंने कोई कामरोको प्रस्ताव तो स्वीकार नहीं किये, लेकिन नियम ५२ के अनुसार एक तो बाढ़ के बारे में कई जगह से आया है....

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, पहले तो मेरा यह कहना है कि जब नेता लोग बोल चुकते हैं तो लाउड स्पीकर को नीचे को धांस देते हैं। (व्यवधान) काफी देर हो गयी सुनते-सुनते, आपकी बड़ी कृपा है कि अब तक मुझे निकाला नहीं, और दिन तो निकाल देते हैं....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें, इसमें एक टीकाराम जी का है। श्री टीकाराम जी (बदायूं), बालकराम जी, रूर्मासिह जी, इनका भी है....

श्री टीकाराम पुजारी—बदायूं के टीकाराम को पुजारी टीकाराम बना दिया। श्रीमन्, मेरी पूरी बात सुन ली जाय।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, मैं कह रहा हूं। मेरी सुन लीजिये नहीं तो मैं गोदी में ले जाया जाता हूं और मैं आराम में रहता हूं। मैं कह रहा हूं, श्रीमन्.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, मेरी अर्ज सुन लें। जब वह बोलते हैं तो मैं कुछ नहीं कहता, अब जब मैं बोलता हूं तो ये क्यों बोलते हैं ? इनको क्या अधिकार है ? मैं बोलूंगा, मैं मानूंगा नहीं....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें।

श्री टीकाराम पुजारी—इनका क्या बोलने का ठेका है ? क्या मैं जनता का चुना हुआ नहीं हूं ? अखबार वाले भी नहीं चाहते। मैं आज माननीय सदन के अन्दर कह रहा हूं। आज जो चीज चल रही है वह मैं देख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—यह व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, व्यवस्था का तो है ही। जब यह बोलते हैं तो वह बहका देते हैं और वे बोलते हैं तो ये बहका देते हैं। अब खेल-खेल में वह समझौता कर लें तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष—बैठिये आप, ठीक है, सुन लिया।

अब माननीय टीकाराम (बदायूं) और मदन पांडेय जी का नियम ५२ के अनुसार है, और भी आयेंगे तो मैं उनको एक साथ रख दूंगा। २१ तारीख को मैं एक ले चुका हूं लेकिन इसको भी २१ तारीख को ही लूंगा। श्री उग्रसेन जी का है गीता प्रेस, गोरखपुर के मालिकों की तरफ से तालाबन्दी होने से वहां पर २०० मजदूर बेकार हो चुके हैं और वह कहते हैं कि यह एक रजिस्टर्ड बौडी है और फैक्टरी ऐक्ट में आती है। तो यह २२ तारीख को लिया जायगा और सम्बंधित मंत्री वक्तव्य दें।

दोहरीघाट नहर के फटने के फलस्वरूप सूखा पड़ने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब दोहरीघाट नहर के फटने के संबंध में माननीय गौरी शंकर राय तथा झारखंडे राय जी ने प्रश्न उठाया था नियम ५२ के अन्तर्गत, उसके संबंध में माननीय सिंचाई मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, दोहरीघाट पम्प कैनाल के अक्वेडक्ट के दाहिने पुश्ते का एक छोटा सा भाग जिसकी लम्बाई १५४ फिट थी. . . .

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठिये। मैंने पढ़ कर सुनाया नहीं था। पहले मैं सुना दूं फिर वक्तव्य दें।

वह इस प्रकार है कि:—

"मैं आपकी आज्ञा से विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत लोक महत्व के निम्नांकित अविलम्बनीय प्रश्न की ओर माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

एशिया की सबसे बड़ी पम्प नहर दोहरीघाट जिसकी क्षमता ६०० क्यूसेक्स की थी इसी वर्ष में ४२० क्यूसेक्स पानी देने पर ही नहर पानी को सम्भाल न सकी और फट गई। इससे बहुत बड़ी क्षति हुई। इस वर्ष गन्ने के मौसम में दोहरीघाट नहर के पानी न देने के कारण हजारों एकड़ गन्ना सूख गया है। दोहरीघाट के आखिरी सिरे पर गन्ना बोने के बाद एक बार भी पानी नहीं मिला और अधिकांश हिस्से में गन्ना बोने के बाद केवल एक बार ही पानी मिल सका। इस पानी के अपर्याप्त होने के कारण हजारों एकड़ गन्ने की फसल खराब होने से किसानों के लाखों रुपये की क्षति से उत्पन्न परिस्थिति की ओर मैं माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, दोहरीघाट पम्प कैनाल के अक्वेडक्ट के दाहिने पुश्ते का एक छोटा-सा भाग जिसकी लम्बाई १५४ फिट थी, १ जून, १९६१ को दिन के साढ़े आठ बजे गिर गया। ज्योंही सरकार को इस दुर्घटना की सूचना मिली वैसे ही मुख्य अभियन्ता से इसकी तुरन्त जांच करने के लिये कहा गया। तदनुसार इस दुर्घटना की जांच तीन अधिकारियों की एक समिति द्वारा की गई, जिनमें से एक अधीक्षण अभियन्ता (सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर), दूसरे इर्रीगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की के शोध अधिकारी और तीसरे सेंट्रल डिजाइन डाइरेक्टरेट के अधिशाशी अभियन्ता थे। इस जांच कमेटी की रिपोर्ट से यह पता चला है कि डाट के शीर्ष यानी क्राउन के साथ पास के पुश्ते की उपर्युक्त लम्बाई की जुड़ाई कुछ दोषपूर्ण थी जिसके फलस्वरूप पानी के जोर से पुश्ता टूट गया, क्योंकि यह निर्माण कार्य १९५५ में ही पूरा हो गया था, इसलिए संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध इस समय कोई कार्यवाही कराना सम्भव नहीं है, सिवा इसके कि उसका नाम अविश्वसनीय ठेकेदारों की सूची (ब्लैक लिस्ट) में लिख दिया जाय। अपूर्ण वैभागिक पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही है। पंपिंग स्टेशन से केवल ६ फर्लांग की दूरी पर पुश्ते की दीवार को क्षति पहुंची। इसलिए इसका शीघ्र ही पता लग गया और पुश्ते के टूटने का पता लगने के बाद तुरन्त ही पम्प बंद कर दिये गये। इस प्रकार पास के खेतों में बह कर अधिक पानी नहीं पहुंच सका। इसके अतिरिक्त वहां पर जमीन का ढाल अच्छा है जिसके कारण बहता हुआ पानी शीघ्र ही घाघरा नदी में मिल गया, जो पास ही बहती है। जिन खेतों में पानी बह कर पहुंचा उनमें उस समय गन्ने की फसल लगी हुई थी अथवा गेहूं की फसल कट जाने के बाद कुछ खाली पड़े थे जिन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची, बल्कि इसके विपरीत उन्हें इस पानी से कुछ हद तक लाभ ही पहुंचा। जान और माल को कोई क्षति नहीं पहुंची।

१५४ फीट की लम्बाई में टूटे हुए पुश्ते के निर्माण की लागत केवल ३,४३० रुपये थी। यह पुश्ता १–५ के सीमेंट के मसाले से बनाया गया था और इसे अधिक मजबूत बनाने के लिए अब इस दीवार को ९,००० रुपये की लागत से १–२ और १–३ के अधिक पक्के मसाले से बना दिया गया है। यह मरम्मत पांच दिन के अन्दर पूरी हो गई और ६ जून को नहर फिर से चालू कर दी गयी।

पहले ३६ मील (२२ मील आजमगढ़ और १४ मील बलिया जिले में) के कुलाबे २६ मई, १९६१ को एक हफ्ते के लिए बन्द कर दिये गये थे, ताकि नहर के आखिरी सिरे पर, जहां सिंचाई के लिये पानी की तात्कालिक तथा भारी आवश्यकता थी, पानी सप्लाई किया जा सके, नहर के इन ३६ मीलों में पानी सप्लाई पहले पांच दिनों के लिए सामान्य रूप से और फिर पांच दिन के लिए इस दुर्घटना के फलस्वरूप रुक गयी थी। नहर के आखिरी सिरे पर पानी सप्लाई केवल पांच दिन के लिए बन्द रही। इसके फलस्वरूप ६८ एकड़ गन्ने के क्षेत्र को कुछ क्षति पहुंची। इससे संबंधित किसानों को सिंचाई कर में छूट दी जायगी जहां भी नियमानुसार ऐसी छूट दी जा सकती है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—एक और सफाई मंत्री जी कर दें तब हम लोग प्रश्न करें। हमने कहा था कि बहुत-सी ऐसी जमीन है जहां पर गन्ना बोने के बाद एक बार भी पानी नहीं पहुंचा और बहुत-सी ऐसी जमीन है जहां पर सिर्फ एक बार पानी पहुंचा, इसको बताएं कि क्या यह फैक्ट है?

श्री राममूर्ति—इसकी फिगर्स इस वक्त मेरे पास नहीं हैं कि कितने हिस्से को पानी मिला या नहीं मिला। खाली इतनी खबर आयी है कि वह क्षेत्र जिसमें पानी दिया जाने वाला था, उस में ६८ एकड़ के हिस्से को नुकसान पहुंचा।

श्री गौरीशंकर राय—कृपया मंत्री जी बतायेंगे कि कितना भाग दोहरीघाट नहर का ऐसा है जहां गन्ने की बोवाई के बाद एक बार भी पानी नहीं पहुंच सका?

श्री राममूर्ति—यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि इस नहर की क्षमता ६ सौ क्यूसेक्स की है लेकिन इस साल ४२० क्यूसेक्स पानी जाने के बाद यह अंदेशा हुआ कि ४२० क्यूसेक्स पानी को संभालने के योग्य इसकी सारी शक्ति और दीवारें नहीं हैं?

श्री राममूर्ति—अगर आप की इजाजत हो तो, अध्यक्ष महोदय, मैं जरा विस्तार के साथ सब बात बताऊं?

श्री अध्यक्ष—बता दें। लेकिन बहुत लम्बा ब्योरा नहीं होना चाहिए।

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, यह नहर शुरू के हिस्से में डाट लगा कर बनाई गई थी और हर बड़ी डाट के बीच में एक छोटी डाट और लगी है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने देखा होगा, दो डाटें जहां पर कि जोड़ी गई हैं उसके बीच में खाली जगह छोड़ दी गई थी और यह खयाल किया था इंजीनियरों ने कि जब पानी चलाया जायगा तो पानी अपने साथ सिल्ट लाता है। उस सिल्ट के छोड़ने से जब नहर बन्द होने लगती है तब सिल्ट उसमें गिरने लगती है। इस तरह से वह हिस्सा जो छोड़ा गया था उसमें सिल्ट भर जायगी और यह खयाल था कि एक समतल बेड जब हो जायगी तब उसके अन्दर लहरें नहीं होंगी। शुरू में ३० क्यूसेक्स पानी चलाया गया था और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते गए। जब ४२० क्यूसेक्स छोड़ा गया उस वक्त तक जो खाली जगह छोड़ी गई थी उसके अन्दर सिल्ट नहीं भरी और जब उसके बाद और पानी छोड़ा गया तो पानी में लहरें जोरों से उठने लगीं। जो दीवार थी वह इस खयाल से बनायी गयी थी कि ६०० के बजाय ७०० क्यूसेक्स पानी इसमें चले। लेकिन सिल्ट न भरने की वजह से जब उसमें लहरें उठने लगीं तो एक हिस्सा जो कमजोर था वह गिर गया।

श्री गौरीशंकर राय—अध्यक्ष महोदय, जब ३०० क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया था उस समय भी मैंने देखा कि दोनों सिरों से छलछला कर पानी कहीं-कहीं गिरने वाला हो गया था। तो क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि लहर न उठने की स्थिति में भी पानी कगारों के ऊपर चला गया था ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि जो खांचे छोड़े गये थे वह अभी भी छूटे पड़े हुए हैं, उनमें सिल्ट पूरी तरह से नहीं भरी है, वह जगह खाली है। मैं माननीय सदस्यों को दावत देता हूं, अगर वह चाहें तो मैं उनको सरकार के इन्तजाम से निरीक्षण के लिए वहां भेज सकता हूं। जब पानी उसमें छोड़ा जाता है तो झटके के साथ जाता है और वेव ऐक्शन होता है। यह मसला हमने रिसर्च डिपार्टमेंट को दे दिया था। उनकी पूरी रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है लेकिन मैंने चीफ इंजीनियर से सलाह की थी। उनका कहना है कि जब यह ओरिजिनल स्कीम बनी थी तो ३० लाख रुपये उसके लिए रखे गये थे जिसमें से २५ लाख रुपया खर्च किया गया था और ५ लाख रुपया बचत के तौर पर निकाल लिया गया था, यह समझ कर कि पानी की सिल्ट से अपने आप ही यह खांचे भर जायेंगे। लेकिन वह नहीं भरे। तो अब वह ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इसको भरवाना पड़ेगा और वह यकीन करते हैं कि उन खांचों के भर जाने पर वेव ऐक्शन पैदा नहीं होगा और नहर में पानी ठीक तरह से चलेगा।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसान ईख में तीन पानी देता है और इस नहर से एक पानी किसानों ने लिया और ऐन मौके पर नहर टूट गई, किसानों को पानी नहीं मिला, तो सरकार इसके रेट में क्या कमी करेगी ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, अप्रैल, मई और जून के महीने में गन्ने को पानी लगता है। यह नहर केवल पांच दिन बन्द रही। पांच दिन के बाद वह हिस्सा उसका दुरुस्त कर दिया गया था और पानी उसके अन्दर चलाया गया।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जिस दिन नहर टूटी है उसके करीब एक हफ्ते पहले से पूरा पानी इस नहर का सीधे बलिया जिले के सुरहा ताल को फीड करने के लिए जा रहा था, ताकि सुरहाताल कैनाल भी फीड की जा सके और बोरा धान को पानी दिया जा सके और उसके बाद यह नहर टूट गई। इस तरह से आजमगढ़ के किसानों को दो हफ्ते तक पानी नहीं मिला। इसको देखते हुए सिंचाई मन्त्री जी उनको क्या छूट देने जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, झारखंडेराय जी ने जिस तरफ ध्यान खींचा उसकी मालूमात इस वक्त कम से कम हमारे पास नहीं हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं वह अधूरा है। इसलिये मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इसको स्थगित कर दें और पूरी जानकारी प्राप्त कर के तब वह जवाब दें।

श्री अध्यक्ष—(श्री गौरीशंकर राय से) आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि पूरी जानकारी उनको नहीं है, कितने एकड़ जमीन में एक दफा भी पानी नहीं दिया गया, यह बात आपने उसमें लिखी थी, उसकी जानकारी मैं समझता हूं कि उनको लेकर आना चाहिए था।

श्री राममूर्ति—मैं यह अर्ज कर दूं कि सिंचाई विभाग के अन्दर इस बात का कोई हिसाब-किताब नहीं रखा जाता कि किसने किस फसल के लिये कितना पानी दिया। इसके लिए एक पीरियड कायम रहता है—जैसे गन्ने की फसल के लिये अप्रल से जून तक। उस पीरियड में किसान चाहे एक बार पानी ले चाहे ३ बार ले।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, यह नहर का कानून है कि चाहे एक बार पानी लो या १० बार, लगान पूरा देना पड़ता है, लेकिन जब ऐसी हालत हो कि पानी दिया ही न गया हो वहां क्या होगा ? मैंने १० बार चीफ इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर को फोन किया, पत्र भी लिखा, किन्तु एक बार भी पानी नहीं मिला, तो उसकी जांच तो होनी चाहिये और उसका हमें भी पता होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष---यह ठीक है, जब एक बार भी पानी नहीं गया, तो इसकी जांच होनी चाहिये। जहां एक बार सिर्फ पानी गया उसकी भी जांच करा लें मन्त्री जी। इस समय इसका जवाब नहीं आया, इसलिये मैं इसको इस समय स्थगित करता हूं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना दे दूं...

श्री अध्यक्ष---आप उसे लिख कर दे दें, अब दूसरा गेंदासिंह जी वाला प्रस्ताव लिया जायेगा, उस पर माननीय मन्त्री जी स्टेटमेंट देंगे।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अनावृष्टि के फलस्वरूप व्यापक क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, उस प्रस्ताव को भी पढ़ दिया जाय, क्योंकि पहले तो वह छप जाया करता था।

श्री अध्यक्ष---मैं उसे पढ़े देता हूं। वह इस प्रकार है:---

"प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में एक लम्बी अवधि तक अनावृष्टि के कारण कीड़ों द्वारा तथा पानी के अभाव में भारी तथा व्यापक क्षति खरीफ की फसलों की हुई। इस दैवी आपदा के संकट से करोड़ों किसानों को बचाने के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलंबनीय प्रश्न पर माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिये आज सदन में नियम ५२, प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं।"

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में आमतौर से जून के पहले हफ्ते में पूर्वी जिलों में और दूसरे हफ्ते में पश्चिमी जिलों में वर्षा शुरू हो जाती है और हर जिले की जो फिगर्स होती हैं वर्षा की, वह एक दूसरे से भिन्न होती हैं। कहीं-कहीं काफ़ी वर्षा भी हो जाती है। लेकिन पूर्वी जिलों में औसतन ज्यादा बारिश होती है और वहां जरूरत भी है, क्योंकि वहां ज्यादा धान पैदा होता है। खरीफ की फसल के लिये तो कम से कम हफ्ते में एक बार बारिश होनी चाहिए। इस साल जून के पहले हफ्ते में पूर्वी जिलों में बारिश शुरू हो गयी और पश्चिमी जिलों में दूसरे हफ्ते में शुरू हुई। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, एटा, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया आदि जिलों में नार्मल से ज्यादा बारिश हुई थी। गाजीपुर में ८.७८ इंच बारिश हुई, जून के दूसरे हफ्ते में। कुल टोटल वहां का था १०.१६ इंच। यह जून के महीने में इतनी बारिश हुई जब कि नार्मल वहां ४.५६ होती थी। आजमगढ़, देवरिया में भी काफ़ी बारिश हुई थी जून के दूसरे हफ्ते में, लेकिन आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, फैजाबाद आदि डिवीजन में कम बारिश हुई थी। जुलाई के फर्स्ट वीक में तमाम प्रदेश भर में बारिश हुई सिवाय चन्द जिलों के---बरेली, आगरा डिवीजन और सीतापुर। दूसरे हफ्ते में हर जिले में बारिश हुई थी.....

श्री अध्यक्ष---बारिश के बारे में जो स्टेटमेंट आपने छपा के बांटा है उसमें सब दिया हुआ है। अब वह कह रहे हैं कि आप यह बतलायें कि अनावृष्टि भी कहीं हुई है और कीड़ों के द्वारा और पानी के अभाव से कहीं नुकसान हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नुकसान संबंधी यह है कि १६ से २७ जुलाई तक बारिश नहीं हुई इसकी वजह से कुछ सूखे का प्रभाव पड़ा। हमने गवर्नमेंट का जो एंटोमोलोजिस्ट डिपार्टमेंट है और एग्रीकल्चर विभाग है उससे सम्पर्क कर के दरियाफ्त किया तो वह कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ। जुलाई में उर्द, मूंग और सनई और लोबिया की फसल को एक तितली होती है, उसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ है। प्लांट प्रोटेक्शन यूनिट के जरिये से तमाम दवाई वगैरह छिड़कवाई गई है, लेकिन कुछ नुकसान अवश्य हुआ है। उसका तखमीना करना असंभव है। हम ऐसे आदेश देंगे कि अगर कोई एसा नुकसान हुआ है तो उसका तखमीना करें। अगर वह ऐसा होगा जो हमारे रूल के मुताबिक रिलीफ देने लायक हो तो रिलीफ और छूट भी देंगे।

हमारा जो छपा हुआ स्टेटमेंट है उससे मालूम होता है कि सूबे भर में बारिश हुई है और आशा की जाती है कि खरीफ की फसल अच्छी होगी और किसान उसकी वजह से सुखी होंगे। भगवान से सब लोग मनाएं कि हम सैलाब से बचे रहें तो अवश्य हमारे प्रदेश का कल्याण होगा।

श्री गेंदासिंह—स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि जून के पहले पखवारे में औसत से बहुत ज्यादा वर्षा हुई और दूसरे में औसत से कम बरसा। इस सिलसिले में कीड़ों के प्रकोप से, सूखा से जो किसान का नुकसान हुआ है उसके लिए जो कहा गया कि अनुमान बाद को लगायेंगे तो यह किस वक्त लगायेंगे और वह किस बुनियाद पर होगा कि कितनी क्षति हुई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—फसल जरा ऊपर उठे और फले-फले तभी अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी टोटल वर्षा के साथ-साथ औसत वर्षा जो अभी तक हो जाती वह कितनी होती, उसके आंकड़े भी देंगे? इससे मुकाबला करने में सुविधा हो जायगी।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमने सब दे दिये हैं। अब ज्यादा लिखा-पढ़ी का काम मत बढ़ाइये।

श्री अध्यक्ष—आप बता दीजिये, वह औसत पूछ रहे हैं कि अगस्त तक औसत वर्षा कितनी हुआ करती है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमने एक स्टेटमेंट पारसाल दिया था इस सदन में, वह माननीय सदस्यों के पास होगा।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—जो विवरण प्रस्तुत किया गया है सदन में, उसमें से एक आध जिलों की मिसाल पढ़े देता हूं—

"आगरा डिवीजन में मथुरा में जून क प्रथम पक्ष में औसत है २.६ इंच, वर्षा हुई है १.५ इंच और इस साल १.२० इंच है। उसका औसत तीसरे पक्ष में ७.३५ इंच और वर्षा हुई है ५ इंच। उसके बाद दूसरा डिवीजन है इलाहाबाद—उसमें जून के प्रथम पक्ष में औसत है ४.२ इंच और हुई है १.१३ इंच। दूसरे पक्ष में जुलाई का औसत ११.८३ है और वर्षा हुई है १०.३३ इंच। गोरखपुर डिवीजन में, देवरिया में औसत है जून के प्रथम पक्ष में ७ इंच और वर्षा हुई है १.९९, यानी बहुत कम हुई है। औसत है उसका जुलाई में १२.८४ और वर्षा हुई है ७.२५। इसी तरह से लखनऊ डिवीजन में औसत है ४.१७ और वर्षा हुई है १.९८।"

इन फिगर्स के देखने से मालूम होता है कि औसत के मुताबिक वर्षा नहीं होती और बोने के वक्त का ठीक नक्शा किसान के सामने नहीं आता, क्योंकि बोने के समय जितनी वर्षा होनी चाहिए उतनी कई जिलों में नहीं हुई और बोने का सीजन लेट हो गया है।

श्री अध्यक्ष—उसकी वजह से हजारों एकड़ भूमि बगर बोये हुए पड़ी रह गयी है, यह आपका तात्पर्य है ? आप यह प्रश्न पूछें कि ऐसी कोई चीज हुई है कि वर्षा न होने के कारण फसल बोयी न गई हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बहुत ज्यादा कमी तो हुई ही नहीं है । एग्जेक्ट फिगर्स इस वक्त नहीं दे सकता, लेकिन जहां तक मेरी इत्तला है, बहुत ज्यादा कमी रकबे में नहीं हुई ।

*श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि अभी जो विवरण मंत्री जी ने बांटा है और बयान दिया है उससे भी यह जाहिर है कि जो पानी शुरू में नहीं बरसा उसकी वजह से अरली पेडी को काफ़ी क्षति पहुंची है और जो लेट फसलें होती हैं—कोदों वगैरह, उनको भी क्षति पहुंच चुकी है, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि कितनी क्षति हुई है और जो लेट पेडी है उसकी रोपनी भी बहुत देर की हुई है, इसका असर पड़ेगा फस्ल बहुत कमजोर होगी, तो क्षति होने पर छूट करने का विचार सरकार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां तक लेट पेडी का संबंध है, अभी देरी नहीं हुई ह, मघा नक्षत्र तक रोपनी हुआ करती है । (विघ्न) कहिये तो मैं चुपचाप बैठ जाऊं । जहां तक अरली पैडी का ताल्लुक ह ,कुछ नुक़सान जरुर हुआ है, लेकिन एक चौपाई है—"सूखा धान पड़े जिमि पानी", अभी गुंजायश है उसके डेवलप होने की, लेकिन कोदों में इस वक्त नामुमकिन है अन्दाजा लगाना । अगर नुक्सान होगा तो मुनासिब कार्यवाही की जायगी ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, मेरी एक शिकायत है कि सब से अधिक वर्षा में कमी कुमायूं, रुहेलखंड और लखनऊ में हुई, यानी ९.५५, लेकिन तारीख १ से ६ तक लखीमपुर से ११ मील इधर-उधर के सारे गांव जलमग्न रहे और हजारों एकड़ फसल का नुकसान हुआ, उसको इस रिपोर्ट में कहीं नहीं बताया गया है । यह सरकार की नेग्लीजेंस है, मैं इसकी शिकायत करता हूं ।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहूंगा कि हर ७वें दिन रेवेन्यू मैन्युअल के अनुसार रेवेन्यू रिपोर्ट सरकार के पास आती है जिसमें और बातों के साथ साथ इस क्षति का अनुमान भी होता है, क्या सरकार के पास इस तरह की रिपोर्ट आयी है और क्या उसको सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी? उसको रखने में राजस्व मंत्री जी को क्या दिक्कत है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे कोई एतराज नहीं है । सदन से मैं कोई कागज चुरा कर नहीं रखना चाहता । उसी आधार पर तो मैंने बताया कि ज्यादा रकबा नहीं रुका है ।

श्री गेंदासिंह—जो रिपोर्ट इस सिलसिले में आयी है, क्या मंत्री जी उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बता तो दिया कि वह बहुत ज्यादा नहीं है । आप चाहें तो उनके कमरे में जाकर देख लें ।

देहरादून के चाय बागान के मजदूरों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, क्या यह हड़ताल वाला प्रश्न कल नहीं लिया जा सकता ?

श्री अध्यक्ष—इस प्रश्न के लिए तो मंत्री जी बड़ी मुश्किल से आज के लिए राजी हुए थे । मैंने उनसे कहा था कि इसका सम्बन्ध हड़ताल से है, इसको जल्दी खत्म करना चाहिये,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष]

मैं उस पर बहुत देर तक बहस नहीं होने दूंगा। मैं उसको पढ़कर सुनाये देता हूं। वह इस प्रकार है—

"देहरादून के चाय बगीचों में गत तीन सप्ताह से श्रमिकों द्वारा हड़ताल चल रही है। जहां एक तरफ हजारों श्रमिकों को इस आर्थिक कठिनाई में अपने जीवन यापन में कष्ट उठाना पड़ रहा है वहां चाय के उत्पादन में भी क्षति पहुंच रही है। परिस्थिति बिगड़ती जा रही है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की ओर माननीय श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज सदन में माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं।"

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, इसके पहले आप अविश्वास का प्रस्ताव ले लें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—इसके बाद ही मैं उसको लूंगा।

श्रम उप मंत्री (श्री वसी नक़वी)—श्रीमन्, देहरादून में २२ चाय के बागात हैं, जिनमें २,४०० कर्मचारी काम करते हैं। इन बागात में रखे गये कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन दरों में अभी हाल में संशोधन किया गया है और पहली मई, १९६१ ई० से यह दरें १ रुपया ४४ न० पैसे प्रति दिन अथवा ३७ रुपया ५० न० पैसे प्रतिमास निर्धारित कर दी गयी। इन दरों के लागू करने के विषय में कुछ संदेह प्रकट किये गये जिस की वजह से कर्मचारियों में काफी असंतोष फैल गया। कर्मचारियों ने साथ ही यह मांग भी प्रस्तुत की कि जो कर्मचारी मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अधीन वेतन नहीं पाते हैं, उनके वेतन में भी तदनुकूल वृद्धि की जाय, जिसके फलस्वरूप उन कर्मचारियों की यूनियनों ने १८ चाय के बागात के मालिकों को हड़ताल का नोटिस दिया। यूनियनों ने यह भी सूचित किया कि यदि उनकी मांगें, जिनकी संख्या अलग-अलग चाय के बागात में १० से १७ तक थीं, पूरी नहीं की गयीं तो कर्मचारी १५ जुलाई, १९६१ से हड़ताल कर देंगे। यूनियन द्वारा उठायी गयी मांगों में सबसे महत्वपूर्ण मांगें—संशोधित न्यूनतम वेतन दरें लागू किये जाने, कर्मचारियों के लिये नये क्वार्टर बनवाने, वर्तमान क्वार्टर की मरम्मत करवाने, बीमारी की छुट्टी की सुविधा देने, कम्बल बटवाने तथा बोनस का भुगतान करने के सम्बन्ध में थीं। उन हड़तालों की नोटिसें सरकार को भी मिलीं। श्रम विभाग के अधिकारियों ने दोनों पक्षों में समझौता कराने का अनेक बार प्रयत्न किया, जिसके फलस्वरूप ७ चाय के बागात में हड़ताल रुक गई। अन्य चाय के बागों में जल्दी सफलता नहीं प्राप्त हो सकी और लगभग १,७०० कर्मचारियों ने जो उक्त बागात में काम करते थे, १५ जुलाई, १९६१ से हड़ताल कर दी। १७ जुलाई, १९६१ को मेसर्स बनजारावाला टी स्टेट में झगड़ा तय हो गया और अगले दिन हड़ताल समाप्त हो गयी। इसी प्रकार २४ जुलाई, १९६१ को अन्य ६ चाय के बागात के मालिकों तथा कर्मचारियों में समझौते हो गये और कर्मचारी उसी दिन काम पर लौट आये। दो दिन बाद वली बाग टी स्टेट के कर्मचारियों और मालिकों के बीच भी एक समझौता हो गया और कर्मचारी काम पर आ गये। शेष ३ बागात—मेसर्स हरबंशवाला टी स्टेट, आरकेडिया टी स्टेट, तथा ईस्ट होप टाउन टी स्टेट के लगभग १,२०० कर्मचारी ६ अगस्त, १९६१ तक हड़ताल करते रहे। ६ अगस्त, १९६१ को इन चाय के बागात में भी समझौता हो गया और कर्मचारी काम पर लौट आये।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—अब मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने आज की बैठक में निश्चय किया है कि निम्नलिखित विधेयकों के सामान्य विवाद, खंडशः विचार तथा पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय:—

१—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१—आधा दिन।

२—उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१ . . १ दिन ।

३—उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६१ . . २ दिन ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। दफा ५२ के अनुसार मैंने भी एक प्रश्न दिया था। मेरा प्रश्न क्यों नहीं लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—अभी आप कृपया बैठें ।

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निम्नांकित विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है:—

१—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ . . आधा दिन ।
२—उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१ . . १ दिन ।
३—उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६१ . . २ दिन ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन निम्नांकित विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है:—

१—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ . . आधा दिन ।
२—उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१ . . १ दिन ।
३—उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६१ . . २ दिन ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—इसी क्रम में विधेयक यहां उपस्थित किये जायंगे । पहले बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक आयेगा, फिर उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक आयेगा और अन्त में उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक आयेगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैंने सुना है कि सरकार इंटरमीडिएट एजूकेशन विधेयक को वापस ले रही है ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

अतिरिक्त अनुदान उपस्थित करने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—एक्सेस ग्रांट्स के लिये राज्यपाल जी ने उसे उपस्थित करने की तारीख २१ मुकर्रर की है, यह मैं सदन को सूचना दिये देता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Laws Amending Bill, 1961] को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Laws Amending Bill, 1961] को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Laws Amending Bill, 1961] को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पष्ठ ६७८–६९१ पर)

द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का सरकारी सचिवालय से सम्बन्धित बीसवां प्रतिवेदन*

श्री अध्यक्ष—अब सभापति, प्राक्कलन समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का सरकारी सचिवालय से सम्बन्धित "बीसवां प्रतिवेदन" प्रस्तुत करता हूं।

(कुछ शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष—आप खामोश रह कर दो मिनट उनको सुन लें।

†श्री देवकीनन्दन विभव—मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस सचिवालय से सारे प्रदेश की व्यवस्था होती है, जहां पर तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कार्य-संचालन होना है, आपसे अनुग्रह करूंगा कि जो प्रतिवेदन यह समिति प्रस्तुत करती है उसको माननीय सदस्य और सरकार ध्यान से पढ़ें जिसमें समिति ने काफी कार्य किया है। मुझे आशा है समिति ने जो इसमें साढ़े २५ लाख रुपये की कमी का सुझाव दिया है और जो एफीशियेंसी के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर माननीय सदस्य और सरकार गम्भीरता से ध्यान देंगे तथा समिति की सिपारिशों को पढ़ने की कृपा करेंगे।

मन्त्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मंत्रि परिषद् के विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव मेरे सामने आया है वह इस प्रकार है:—

"यह सदन वर्तमान मंत्रि-परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है।"

मैं इसको वैध करार देता हूं, इसलिये इसको पढ़ दिया। अब जो माननीय सदस्य इसको इजाजत देने के पक्ष में हैं वे अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(९४ सदस्य अपने स्थान पर खड़े हुये।)

श्री अध्यक्ष—अनुज्ञा देने के पक्ष में ९४ की संख्या है, इसलिये अनुज्ञा सदन को इस प्रस्ताव को पेश करने की है।

अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं। नियम में यह है कि जब इस तरह की अनुज्ञा दी जाय तो १० दिन के अन्दर उसको आ जाना चाहिये। अब १२ तारीख से सदन २० तक के लिये उठ रहा है। तो मैं सदन से यह अनुमति चाहूंगा कि जो नियम है, चूंकि शनिवार को छुट्टी होने की वजह से १९ तारीख पड़ती है, इसलिये सोमवार को ही यह लिया जाय, यानी २१ तारीख को लिया जाय।

---

* छापा नहीं गया।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—यदि मान्यवर, २२ तारीख को रखें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, पहले ही लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—पहले तो कल या परसों ही लिया जा सकता है । छुट्टी के बाद जो पहला दिन पड़ता है, वह २१ तारीख है । तो नियम का पालन इसी में होगा कि छुट्टी के बाद जो पहला दिन पड़ता है उसी दिन ले लें ।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मान्यवर, जो सुझाव नेता विरोधी दल ने दिया है उसको मैं भी ठीक समझता हूं कि २२ को लिया जाय तो अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष—तो यह दो रोज चलेगा, २२ और २३ को ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ठीक है ।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि इसमें नियम आपको परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उस दिन शनिवार और रविवार पड़ता है और नेक्स्ट वर्किंग डे २१ ही पड़ता है । तो बिना नियम को परिवर्तित किये हुये भी मौजूदा नियम के अन्दर पालन कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—सदन अगर किसी....

श्री राजनारायण—हां, सदन अगर किसी चीज को मान ले तो ठीक है, क्योंकि यह तो सर्वोच्च है, कोई कहना ही नहीं है फिर । लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इस सरकार के ऊपर अक्सर अविश्वास के प्रस्ताव आते रहे हैं और जितने दिन का इसका जन्म हुआ उसके अन्दर २ अविश्वास के प्रस्ताव आ गये, और मैं समझता हूं विभिन्न मंत्रियों पर और आने वाले हैं । इसलिये दो दिन का समय उचित नहीं होगा । कम से कम ४ दिन का समय दें । और यदि ४ दिन न दे सकें तो ३ दिन तो अवश्य ही दें । अभी आपने देखा होगा बिहार के मंत्रिमंडल पर अविश्वास का प्रस्ताव आया था, उनके खिलाफ बातें भी कम थीं फिर भी ३ दिन वहां रखे गये बहस के लिये ।

श्री अध्यक्ष—मैंने निश्चय कर दिया कि दो रोज दिये जायेंगे ।

श्री राजनारायण—आपके निश्चय पर हम निवेदन तो कर ही सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—नियम में यह है कि सदन के बिजनेस को देखते हुये समय देना चाहिये । उस हिसाब से तो १ दिन ही होना चाहिये था, क्योंकि सदन का बिजनेस बहुत है और दिन कम हैं और पहले से घोषित हो चुका है कि सदन सितम्बर के पहले हफ्ते तक ही बैठेगा । लेकिन प्रथा यह चली आ रही है कि दो दिन दिये जाते रहे हैं । इसीलिये मैंने दो दिन दिये जो थोड़ा सा अधिक ही पड़ जाता है । अगर नियम की स्पिरिट को देखा जाय तो जो १ महीने का सेशन चल रहा है उसमें १ रोज ही खप सकता है । लेकिन दो दिन हो जा (तो काफी है । अतः २२ और २३ तारीख को इस पर बहस होगी । अब २२ को जो सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स पर विवाद होना था वह २४ तारीख को होगा ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अभी तक मान्यवर, विरोधी दल की तरफ से अविश्वास का प्रस्ताव आता रहा । अब की मुख्य मंत्री जी चाहते हैं, इसलिये तीन दिन का समय रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—मुख्य मंत्री जी अगर चाहें कि इसको वापस ले लिया जाय तो क्या आप ले लेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा, उसको ध्यान में रखते हुये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के कार्य में कोई बाधा न पड़े और दो दिन के बजाय तीन दिन भी मिल जायं। २६ तारीख को जो शनिवार पड़ेगा उस दिन हम बैठने को तैयार हैं। इससे किसी काम का भी नुकसान नहीं होगा। इसको दोनों पक्ष मान लेंगे, ऐसी मेरी आशा है। आप और मुख्य मंत्री जी भी इस बात को मान लेंगे?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी को इसको स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं होगा। अगर तीन दिन का समय मिल जाय तो जिनको जो कुछ कहना है वह सब अपनी बातें कह सकेंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—२६ तारीख को तो रक्षाबंधन है। वह दिन तो ले नहीं सकते। कोई शनिवार अगर लिया जा सकता है तो उसके बाद का लिया जा सकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी और आप आपस में तय कर लें। मैं इस समय इसको तय नहीं करता हूं। मेरी तरफ से तो दो ही रोज हैं। अगर आप लोग शाम तक बात करके कोई चीज तय कर लें तो फिर देखा जायगा।

*क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ (क्रमागत)††

श्री अध्यक्ष—यह विधेयक क्रिमिनल लाज वाला कल चल रहा था। खंड २ खत्म हो चुका था। खंड ३ पर मोतीलाल अवस्थी जी बोलेंगे।

†श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन करता हूं कि....

श्री अध्यक्ष—यह तो आपका विरोध है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जी हां। खंड ३ इस प्रकार है:—

"३—क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा २५१-ए की उपधारा (६) में—

(क) अन्त में आये हुये "पूर्ण विराम" के स्थान पर "सेमीकोलन" रख दिया दिया जाय, और

(ख) सेमीकोलन के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"and shall summon the witnesses, documents or things, specified in any application, made on behalf of the prosecution before the said date, for summoning the same, unless, for reasons to be recorded, he deems it unnecessary to summon all or any of them".

इसके आगे धारा ७ में लिखा हुआ है :—

"(7) On the date so fixed, the Magistrate shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution".

श्रीमन्, इसमें कहा गया है कि जैसा भी एवीडेंस प्रोड्यूस किया जाय वह ले लेगा। "प्रोड्यूस" के माने यह थे कि बराहरास्त उनकी गवाहियां लेकर प्रस्तुत की जाती थीं, लेकिन अब जो एक अधिकार नया इस प्रकार से रखा गया है कि प्राजीक्यूशन की तरफ से उन गवाहियों को समन

---

*४ अगस्त, १९६१ की कार्यवाही में छपा है।

††८ अगस्त, १९६१ की कार्यवाही से।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने के लिये वह प्रार्थना करे, गवाही या डाकूमेंट, या और भी चीजें जो कि उस दरख्वास्त में लिखी हुई हैं तो इस अधिकार को दे देने से यह होगा कि प्राजीक्यूशन की तरफ से उन गवाहियों को लाने का प्रयास किया जायगा जो किन्हीं न किहीं अन्य कारणों से अदालत में आना पसन्द न करती हों। कल विवाद के समय यह बात कही गयी थी कि १८९५ से यह सुविधा थी कि इन गवाहियों को समन करने के लिये कोई जोर नहीं डाले जाते थे।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सुल्तान आलम खां, पीठासीन हुये।)

लेकिन अब इस तरह से जो गवाहियों के लाने का प्रयास किया जायगा तो उसमें स्वतंत्र रूप से गवाहियां अदालत में आना पसन्द नहीं करेंगी। कल मंत्री जी की तरफ से कहा गया था कि मुकदमे अभी तक ठीक से संचालित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि साक्ष्य के आने में दिक्कत पड़ती है। मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि अगर पुलिस का व्यवहार अच्छा हो, उस पर विश्वास हो तो साक्ष्य बराबर आ सकते हैं। अदालतें जो न्याय देने के लिये हैं उन पर हमारा विश्वास है और हम यह भी विश्वास रखते हैं कि वहां जो साक्ष्य उनके सामने आयेंगे वे स्वतंत्र होंगे और उन पर किसी भी पक्ष का कोई दबाव नहीं होगा। स्वतंत्र गवाहों के आने के लिये उनको स्वतंत्रता देनी चाहिये, उन्हें उनकी इच्छा पर ही बुलाना और उनका साक्ष्य लेना चाहिये, उन पर किसी किस्म का दबाव नहीं आना चाहिये। समय हो जाने के बाद यदि वह अनुपस्थित रहेंगे, तो उनके विरुद्ध वारेन्ट इशू किया जायेगा और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसी हालत में उनके साथ अन्याय होगा। मैं इस सम्बन्ध में पहले भी कह चुका हूं, मेरा इस धारा के सम्बन्ध में विरोध है, मैं इसे अनुचित समझता हूं, मेरी समझ से इस को हटा देना चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह विधेयक पारित हो रहा है?

श्री अधिष्ठाता—अभी तो क्लाज तीसरे पर तकरीर हुई है और अभी संशोधन चल रहे हैं।

क्या माननीय मंत्री जी इसका जवाब देना पसन्द करेंगे?

*गृह मन्त्री (श्री चरणसिंह)—मैं जनाब को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझ से यह प्रश्न किया। जो प्रश्न माननीय मोतीलाल अवस्थी जी ने उठाया है, वह ऐसा नहीं है जिस के सम्बन्ध में कुछ जवाब देने की आवश्यकता हो। आई०पी०सी० की दफा ४४१ के बारे में तो कुछ ऐसी राय हो सकती थी, लेकिन इसमें जब कि मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार दे दिये गये हैं कि वह पुलिस की दरख्वास्त पर गवाहियां तलब कर सकेगा, तब इस पर भी एतराज किया जाय, यह बात समझ में नहीं आती है। ऐसा मालूम होता है कि इनको अपराधियों से कुछ ज्यादा प्रेम है बनिस्बत उन लोगों के जिनको कि इससे हानि पहुंचती है।

श्री अधिष्ठाता—वैसे तो १ और २ के बीच में वोटिंग नहीं ली जाती है। सदन की क्या राय है कि इस पर वोटिंग ली जाय? या अभी दूसरे आइटम को ले लिया जाय।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—इस पर तीसरी रीडिंग कर ली जाय।

श्री अधिष्ठाता—जब तक दूसरी रीडिंग पूरी नहीं हो जाती, तब तक तीसरी रीडिंग नहीं हो सकती है। और दूसरा आइटम ले लिया जाय।

†उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, १९६१

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Land Laws (Second) Amendment Bill, 1961] पर विचार किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†७ अगस्त, १९६१ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

इस संबंध में मुख्तसरन मुझे यह अर्ज करना है कि इस बिल के जरिये हम तीन ऐक्ट्स में तरमीम कर रहे हैं, एक तो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट है, दूसरा इम्पोजीशन आफ सीलिंग ऐक्ट है और तीसरा यू०पी० रिकवरी आफ गवर्नमेंट ड्यूज है। इस का जो क्लाज २ है, वह जमींदारी एबालिशन के संशोधनों से संबंध रखता है, क्लाज तीन सीलिंग ऐक्ट के संशोधनों से संबंध रखता है और क्लाज ४ रिकवरी ऐक्ट से संबंधित है। जो क्लाज २(१) है, उसमें हम यह कहना चाहते हैं कि जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में १२२(बी) और जोड़ दें। जस्टिस देसाई की जो हाई कोर्ट में रूलिंग हुई है, तो उसमें कहा गया है कि इस ऐक्ट में यह प्राविजन नहीं है जिस के आधार पर यह अवैध हो जायेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय मंत्री जी जिन कानूनों का जिक्र कर रहे हैं, हाई कोर्ट की रूलिंग के संबंध में, वह इनको मिलने चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह मेज पर रख दिये गये हैं, आप उनको देख सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—वह मेज पर रख दिये गये हैं, यदि कोई माननीय सदस्य उनको देखना चाहें, तो देख सकते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—सेक्शन १२(२) के सब क्लाज २ में कलेक्टर को पावर दी गयी है कि अगर कहीं कोई जायदाद पर नाजायज तरीके से कब्जा कर सकता है, या किसी की जायदाद को नुक्सान पहुंचाता है तो कलेक्टर उस को बेदखल कर सकता है और हरजाना वसूल करेगा, जो मिस् एप्रोप्रियेशन करेगा उस पर कार्यवाही होगी।

दफा १५३ में हम अमेंडमेंट चाहते हैं कि यदि कोई सीरदार तकावी लेता है या कोआपरेटिव से कर्जा लेता है तो उसको जमानत देनी पड़ती है, जिस से उस को बड़ी दिक्कत होती है। इसलिये हम उस को कुछ सहूलियत देना चाहते हैं कि वह कोआपरेटिव सोसाइटीज के हक में और गवर्नमेंट से तकावी लेने में अपनी सीर को मारगेज कर दें। उस को यह हक इसलिये दे रहे हैं, ताकि जो दिक्कत रुपया लेने में उस को होती है, वह न हो। हमारे प्रदेश में लगभग दो तिहाई सीरदार हैं और एक तिहाई भूमिधर हैं। भूमिधर को इस प्रकार का अधिकार पहले था, लेकिन सीरदार को नहीं था, वह अब हम देने जा रहे हैं, ताकि खेती की पैदावार बढ़े। खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, वह पूंजी उस को आसानी से मिल जाये, इसीलिये उस को इस प्रकार का हक देना चाहते हैं।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—यह हक आप कोआपरेटिव सोसाइटियों के बारे में ही दे रहे हैं या और भी कहीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कहीं और नहीं दिया जायगा।

१६८(ए) को भी तरमीम किया गया है। इस में यह था कि यदि चकबन्दी एरिया में कोई जमीन पड़ती है, तो उस को ट्रांसफर करने में पूरी कार्यवाही करनी पड़ती थी। लेकिन अब हम कहते हैं कि कहीं पर यदि कोई जुज है, तो उस को ही ट्रांसफर कर दिया जाय।

दफा १८३ और १८८ में भी अमेंडमेंट हैं।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो विधेयक हमारे सामने माननीय न्याय मंत्री जी ने पेश किया है, वह उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय) संशोधन विधेयक है। ऐसा मालूम होता है कि प्रथम संशोधन विधेयक सन् १९६१ में आ चुका है। लेकिन वह विधेयक अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। जो बिजनेस एडवायजरी कमेटी का प्रोग्राम है, उस में यह आगे आने वाला है। हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह क्या बात है। यह तो वही मसला है कि घोड़ा पीछे और गाड़ी आगे। दूसरा संशोधन विधेयक आ गया है और प्रथम संशोधन विधेयक नहीं आया है। प्रथम संशोधन विधेयक पहले आना चाहिये था और उसके बाद यह दूसरा संशोधन विधेयक आना चाहिये था। क्रम से चलना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह अवैधानिक चीज है और इस पर बहस नहीं होनी चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—गजट में छप चुका है। आप उस को देख लें, हम उन सब को यहां पर कहां तक उठा कर लायें?

श्री मोतीलाल अवस्थी—आप तो कुछ और कह रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य का कहना है कि पहला अमेंडमेंट अभी नहीं आया है और आप दूसरा अमेंडमेंट ले आये हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो पहला अमेंडमेंट हुआ है, वह तो पहले हो गया है, यह तो दूसरा अमेंडमेंट है।

श्री अधिष्ठाता—आज ही वह भी इंट्रोड्यूस किया गया है न इससे पहले?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उससे और इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यह तो एक अलग बिल है।

श्री अधिष्ठाता—१२ वें आइटम पर जो लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लाज (अमेंडमेंट) बिल, १९६१।

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह बिल्कुल दूसरी चीज है। वह लाज ऐक्ट है और यह लैन्ड ऐक्ट है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य ने इस तर्क को महसूस किया होगा कि वह बिल और यह बिल बिलकुल अलग अलग हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—२४० में जुरिस्डिक्शन का मसला है, उसको हम तय करना चाहते हैं कि रेवेन्यू कोर्ट में रहे, सिविल कोर्ट में न जाय।

२४० (एच-एच) में हम यह साफ करना चाहते हैं कि जो इश्यू रेवेन्यू कोर्ट में है उसके मुताल्लिक कोई रिलीफ सिविल कोर्ट में न की जाय। बहुत तोड़ मरोड़ कर दावा दीवानी में दायर कर देते हैं जिससे किसान बड़ा परेशान हो जाता है। तो उसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं।

२९४ के जरिये से गवर्नमेंट को रूल बनाने का अधिकार दिया जाता है, जो नहीं था।

३३१ दफा को भी हम तरमीम कर रहे हैं टु ब्रिंग इट इन लाइन विद २४२ यू०पी० टेनेंन्सी ऐक्ट। उससे रेवेन्यू कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रहेगा और किसी कोर्ट का नहीं रहेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री महोदय जो मूल अंग्रेजी में है उसी का हिन्दी अनुवाद करते जाते हैं? जो वे कहते हैं वह समझ में नहीं आता।

श्री अधिष्ठाता—आप जरा गौर से सुनिये और समझने की कोशिश करिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—सीलिंग बिल के शेड्यूल में कुछ ओमिशन्स सहवन रह गये थे उनको भी हम करेक्ट करना चाहते हैं, जहां तक कम्पेनसेशन का मामला है।

इस तरह से यह विधेयक बहुत सिम्पिल है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम सीरदारों को सिम्पिल मारगेज का हक देना चाहते हैं। यही एक बहुत इम्पार्टेंट बात है। मैं आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री अधिष्ठाता—माननीय भीखालाल

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं एक वैधानिक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। मेरे मित्र शायद यह प्रस्ताव पेश करने जा रहे हैं कि इसे एक सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय जो १५ दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इसी संबंध में मेरी वैधानिक आपत्ति है। परसों सदन ने यह तय किया है कि यह बिल आज दिन भर में खत्म होना चाहिये। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया था, फिर यहां प्रस्ताव पेश हुआ, उसको सदन ने स्वीकार किया। आपके प्रस्ताव से मालूम होता है कि आज यह खत्म न हो, १५ दिन के लिये यह सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय और १५ दिन के अन्दर वह रिपोर्ट दे। तो सदन के उस निर्णय के होते हुये ऐसा प्रस्ताव लाना मैं समझता हूं अवैधानिक है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, इसी प्रकार की आपत्ति शांतिप्रपन्न जी ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पर प्रस्तुत की थी और उस पर रूलिंग हमारे अध्यक्ष महोदय दे चुके हैं कि बिजनेस कमेटी का यह अधिकार कभी नहीं हो सकता कि सदस्यों के अधिकारों का हनन करे जिसमें हमको परिधि बढ़ाने और प्रवर समिति में भेजने का अख्तियार हमेशा रहता है। बिजनेस कमेटी का अधिकार प्रक्रिया नियमावली को तोड़ता नहीं है। अतः उस आधार पर रूलिंग हो चुकी है और नयी रूलिंग होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो तदनुसार व्यवस्था दे दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं यह नहीं कहता कि बिजनेस कमेटी का फैसला है। मैं कहता हूं कि सदन का फैसला है। सदन का फैसला बड़ा महत्व रखता है, यह सावरेन बाडी है। उस फैसले के होते हुये क्या कोई ऐसा प्रस्ताव आ सकता है कि १५ दिन के लिये पोस्टपोन कर दिया जाय और वायलेट करे उस फैसले को?

श्री अधिष्ठाता—बिजनेस एडवायजरी कमेटी की जो रिपोर्ट है वह एक एडवायजरी कमेटी की रिपोर्ट है और उस पर हाउस ने फैसला किया है। अब हाउस के सामने दरख्वास्त की सूरत में कोई अमेंडमेंट आता है तो हाउस ने जो फैसला कर लिया है, आशा की जाती है कि हाउस अपने उस फैसले पर कायम रहेगा; लेकिन अगर हाउस उसको बदलना चाहे तो उसे अधिकार हासिल है। इसलिये मैं समझता हूं कि आप इसे पेश कर सकते हैं।

*श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं कि "उत्तर प्रदेश भूमि विधि, (द्वितीय) संशोधन विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन १५ दिन के अन्दर प्रस्तुत करे और समिति को परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय माल मंत्री जी ने कहा कि यह एक बहुत ही छोटा सा बिल है और इसमें कोई विवाद का मामला नहीं है, इसलिये इसको जल्दी से पास हो जाना चाहिये, लेकिन मैंने अपने संशोधन में प्रवर समिति की मांग के साथ साथ इस बात की भी मांग की है कि इसको अधिकार होना चाहिये कि वह इस विधेयक की परिधि को बढ़ाकर पूरे रूप से जो भूमि विधियां हैं उन पर विचार कर सके और देख सके कि कहां तक भूमि सुधार के कानूनों में खामियां हैं और जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं, उन पर विचार किया जाय और खामियों को दूर दिया जाय। इसलिये मैंने संशोधन रखा है। मेरा यह निश्चित मत है कि जितने हमारे प्रदेश में भूमि सुधार हुये हैं वह काफी नहीं है, वह प्रदेश की जरूरत को पूरा नहीं करते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्रदेश की एक घोषित नीति है उसको भी पूरा नहीं करते हैं। समाजवाद के लक्ष्य पर पहुंचने के लिये जो सुधार होने चाहिये उनको ये पूरा नहीं करते हैं। इसी दृष्टिकोण से मैंने यह संशोधन रखा है कि इस पर व्यापक रूप से विचार हो सके और खामियां दूर हो सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारा यह दावा था कि समान जोत वालों को मिलाया जाय, हमारा यह भी दावा था कि छोटे किसानों को जमींदारों तथा बड़े किसानों के शोषण से बचाया जाय, हमारा यह भी दावा था कि ऐसे भूमि सुधार लागू किये जायं जिनसे हमारी खाद्य समस्या हल हो, उत्पादन बढ़े और हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर हो सके। हम समझते हैं कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि की उन्नति के लिये तथा भूमि व्यवस्था के लिये काफी पैसा खर्च किया गया। जितना पैसा खर्च किया गया उसको देखते हुये जितनी प्रगति होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। अगर हम आंकड़े देखें तो मालूम होगा कि हमारे भूमि सुधारों का असर जमीन की पैदावार पर और खाद्यान्न के उत्पादन पर पड़ता है। हमें यह देखना चाहिये कि हमारे लक्ष्य कहां तक पूरे हुये? अगर हम इसे देखें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारे भूमि सुधारों में कुछ कमियां हैं। इन कमियों को दूर करना चाहिये। हमारी तीनों योजनाओं में कृषि व्यवस्था के सुधार के लिये तथा भूमि सुधारों के लिये बहुत जोर दिया गया है और इनको पहला स्थान दिया गया है। पहली पंच वर्षीय योजना में जो योजनायें कृषि की उन्नति के लिये थीं उन पर ४७ प्रतिशत रुपया व्यय किया गया, दूसरी में ३७ प्रतिशत किया गया और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३८ प्रतिशत रुपया व्यय किया जाने वाला है, लेकिन नतीजा क्या हुआ? पहली और दूसरी योजना को देखें कि किस तरह से हमारे खाद्यान्नों में बढ़ती हुई है। हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जितना खर्चा किया जा रहा है उस हिसाब से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। १९५०-५१ में हमारे प्रदेश में खाद्य उत्पादन ११.२३ मिलियन टन हुआ जब कि हमारा लक्ष्य था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम १४ मिलियन टन उत्पादन कर देंगे। १९५५-५६ तक ११.६० मिलियन टन हो सका यानी .३७ मिलियन टन की बढ़ोत्तरी हुई। इसके आगे १९५९-६० तक पैदावार १२.८३ मिलियन टन हुई यानी १.२३ मिलियन टन की बढ़ोत्तरी हुई। जो १४ मिलियन टन का लक्ष्य था वह पूरा नहीं हुआ। हमारे कृषि उत्पादन के लक्ष्य को पूरा न करने में इरीगेशन और दूसरे विभागों की भी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी प्रदेशीय सरकार की यह है कि हमारे भूमि सुधार जिस तरह के होने चाहिये जिससे किसानों को प्रोत्साहन मिले और वह प्रोत्साहित होकर अपनी पैदावार को बढ़ाने में जुटें, वह नहीं हुआ। हमारे भूमि सुधारों की दिशा बिल्कुल उल्टी है। हमारे भूमि सुधारों की दिशा यह होनी चाहिये कि जमीन जोतने वाले को मिले और हमारे समाजवाद के लक्ष्य की पूर्ति हो सके, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी दिशा उल्टी है। हमारे प्रदेश की भूमि व्यवस्था में पूंजीवाद विकसित हो रहा है और इसको मैंने और अवसरों पर इस सदन में आंकड़ों द्वारा सिद्ध किया है। गांवों में छोटे छोटे किसान अपनी जमीन बेंच रहे हैं। उनके ऊपर टैक्सेशन, लगान और सिंचाई का इतना भार है कि खेती से उनको मुनाफा नहीं होता। वह जमीन खरीद कौन लोग रहे हैं? पैसे वाले, बड़े किसान, जिनको खेती से कोई वास्ता नहीं रहा है, खेती करना जानते नहीं, अपने हाथ से खेती करते नहीं। यह लक्षण है उस विकास का जिसको हम पूंजीवादी विकास कहते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—सीरदार लोग बेच रहे हैं या भूमिधर लोग?

श्री भोखालाल—भूमिधर बेच रहे हैं, क्योंकि सीरदार को बेचने का अधिकार नहीं है। लेकिन वह छोटे छोटे भूमिधर बेच रहे हैं। बड़े किसान नहीं बेच रहे हैं। इस प्रकार जमीनों का संचय कुछ ऐसे व्यक्तियों के पास हो रहा है जो खेती करना नहीं जानते, अपने हाथ से जोतते नहीं हैं।

अब यह कहा जा सकता है कि सीलिंग का कानून पास हो गया है। उसके जरिये से जिनके पास जमीनें संचित हो गयी हैं, उनसे निकाल कर भूमिहीनों को दे दी जायंगी। मैं समझता हू कि यह बात साफ हो चुकी है और इसका जवाब हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री दे चुके हैं। वह स्वयं कह चुके हैं कि सीलिंग का जो बिल पास हुआ है इससे प्रदेश के भूमिहीनों को फायदा होने वाला नहीं है। इसलिये अगर यह कहा जाय कि जो आक्षेप हमने यह किया है कि पूंजीवादी विकास हो रहा है, जमीनें निकाल कर भूमिहीनों को मिल सकेंगी,

[श्री भीखालाल]

वह नहीं मिलेंगी। बल्कि उसके साथ साथ कुछ ऐसी दोषपूर्ण व्यवस्थायें आ गयी हैं जिनसे और गलत काम दिन पर दिन होते जा रहे हैं और जिनकी कोई रोक नहीं हो रही है। हमारी जो पिछली योजनायें चल चुकीं उनमें जो भूमिसुधारों के प्रति व्यवस्थायें रखी गयीं, सीलिंग के संबंध में, जो मार्ग निर्दिष्ट किया गया उसका लिहाज नहीं किया गया। फिर उसी बात को हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी प्लानिंग कमीशन ने दोहराया है कि जिन प्रदेशों में अभी सीलिंग का कानून नहीं बना है या बन भी गया है वहां पर भी इस बात का ध्यान रखना चाहिये सीलिंग लागू करते हुये कि जो यह बोगस ट्रांसफर्स हो रहे हैं उनको मद्देनजर रखा जाय। जिस वक्त अपने यहां यह कानून पास हो रहा था उस वक्त भी विरोधी पक्ष के हम सभी लोगों ने इस बात की मांग की थी कि जो बटवारे हो रहे हैं या हस्तांतरण हो रहे हैं उन पर सरकार रोक लगावे और ऐसी कोई तिथि निश्चित करे कि जिस तारीख से बंटवारे और हस्तांतरण रोक दिये जायं। लेकिन सरकार ने उस पर तिथि ऐसी लगायी कि जिससे जो असल चीज थी, जो असल मसला था वह हल नहीं हुआ। योजना में जिस बात को ध्यान में रखकर वह बात कही गई थी उसको वह डिफीट करता है, खत्म कर देता है।

अभी अभी कल ही अखबारों में हमने पढ़ा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस बात को रखा गया है कि जहां पर सीलिंग का कानून बना है वहां इस बात की व्यवस्था की जाय, कोई तारीख निश्चित की जाय कि उस तारीख के बाद के ट्रांसफर्स का कोई लिहाज नहीं रखा जायगा और वह तारीख वह होनी चाहिये कि जब से हदबन्दी का ऐलान किया जाय, यह ऐलान किया जाय कि सीलिंग लागू की जायगी। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में यह बात नहीं रखी गई और उसमें भी कुछ ऐसी बातें रखी गई हैं कृषि सहकारी समिति के नाम पर कि जिससे बहुत सी गलत और बोगस कृषि सहकारी समितियों का प्रोत्साहन मिल रहा है और बोगस समितियां बनाकर अपनी जमीन को बचाये रखने की कोशिश की जा रही है। यह कृषि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के नाम पर जो पैसा दिया जा रहा है उसको लेने के लिये तरह तरह की बोगस सोसाइटीज बन रही हैं। यह हमने उस वक्त भी कहा था कि यह जो प्राविधान इसमें है इसके जरिये से गलत सोसाइटियां बनेंगी और सरकार से पैसा प्राप्त किया जायगा। सरकार पैसा देगी, सहकारी खेती को प्रोत्साहन देने के नाम पर उसका दुरुपयोग होगा। इसकी एक मिसाल मैं देना चाहता हूं। हमारे जिले में एक कृषि सहकारी समिति बनी। हमारी तहसील नवाबगंज में हमारे जिले के जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनके एक रिश्तेदार हैं, बहनोई हैं जिनका एक फार्म है तीन चार सौ एकड़ का। जैसे ही यह सीलिंग का बिल हमारी असेम्बली में पेश हुआ, वैसे ही उन्होंने एक कृषि सहकारी समिति बना डाली अपने फार्म के नौकरों चाकरों और अपने घर, परिवार तथा रिश्तेदारों को मिलाकर। उसकी आड़ में पूरी जमीन उनकी बच गई। तो अब होने क्या जा रहा है? हमें ऐसा मालूम हुआ है, हालांकि अभी निश्चित मैं नहीं कह सकता कि क्या विस्तृत योजना है, लेकिन कुछ ऐसा है शायद हर जिले में कि सरकार कृषि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिये एक पाइलट स्कीम चलाने जा रही है और उसमें हर जिले के पैमाने पर काफी रुपया खर्च किया जायगा। लाखों की तादाद में खर्च किया जायगा। हमको यह भी मालूम हुआ है कि वही बोगस सोसाइटी जो बनी है हमारी तहसील में क्योंकि वह एक कांग्रेस के पार्लियामेंट के सदस्य के रिश्तेदार हैं, वहां लगभग तीन लाख रुपया सर्फ होने जा रहा है, जो उसी फार्म में इस्तेमाल होगा और वही पाइलट स्कीम चलायी जाने वाली है। तो मैं माननीय माल मंत्री का और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो बोगस सोसाइटियां बनती हैं और उनको जो प्रोत्साहन मिल रहा है सरकार से अनुदान पाने का, यह हमारे प्रदेश के किसानों के लिये अन्याय की बात है। कृषि सहकारी समिति को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। इस व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलना चाहिये, इस पर पैसा सर्फ होना चाहिये, लेकिन जो सोसाइटियां वाकई किसानों ने बनायी हों, उनको यह प्रोत्साहन मिलना चाहिये, इन बोगस सोसाइटियों पर यह रुपया नहीं व्यय होना चाहिये।

तो इसलिये इसमें कुछ ऐसे विस्तृत सवाल हैं कि जिन पर हमको गौर करना है, अपने कुछ पुराने अनुभवों से, अपनी कुछ घोषणाओं के अनुसार जो कि हमने अपनी योजनाओं में की हैं। जो कुछ खामियां हैं अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने में उनको हमें एक कमेटी में बैठकर के ठंडे दिल से सोचना है और जो हमारे कानून में कमियां हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में जाना चाहिये। इस विधेयक के जरिये से जो संशोधन लाये जा रहे हैं वह भी कानून की खमी को पूरा करने के लिये हैं। यह ठीक है कि नियमों में जिस बात का प्राविजन किया गया था उसको कानून में होना चाहिये था। इस खामी को, जिस की ओर हाई कोर्ट ने इशारा किया है, दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन जो धारा १२२ जोड़ी जा रही है वह मैं समझता हूं कि बहुत घातक है। मैं उस ब्योरे में इस समय नहीं जाता, लेकिन इसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जिन पर हमें काफी विचार करना है और मैं समझता हूं कि उन चीजों पर इस सदन में बैठ कर विचार नहीं हो सकता। एक कमेटी में बैठ कर हम ठंडे दिल से उन पर सोच विचार कर सकते हैं। इसलिये मैंने इसे एक प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन में दे देगी और उस से हमें निश्चय करने में सहूलियत मिलेगी कि हम अपने भूमि सुधारों को किस दिशा में ले जायं। मैं आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं समझता हूं, श्रीमन्, कि मेरा और भीखालाल जी का एक ही प्रस्ताव है और मोतीलाल जी का भिन्न है।

श्री अधिष्ठाता—इसके बाद प्रतापसिंह जी का अमेंडमेंट है और उसको मैं समझता हूं अब जरूरत नहीं रही। अब मोतीलाल जी का अमेंडमेंट आपके सामने आयेगा और उसके बाद जो माननीय सदस्य चाहेंगे उस पर अपनी इजहारे राय कर सकेंगे। एक बात मैं और याद दिलाना चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो फैसला है उसके मुताबिक इस बिल को एक दिन मिला है और इसके माने यह होंगे कि ५ बजे तक इस पर डिबेट खत्म हो जाय। यह बात सोच कर आप लोग तकरीरें करें तो बेहतर होगा।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, पूरा दिन तो मिला नहीं, कुछ समय निकल गया दूसरे कामों में।

श्री अधिष्ठाता—कुछ मिनटों का फर्क पड़ता है। मैं तो एक ही बात याद दिलाना चाहता हूं कि आप अपनी डिबेट इस तरह से रेगुलेट करें कि अमेंडमेंट पर बोलने का मौका लोगों को मिल जाय।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं कुछ कहने के पहले एक प्रार्थना यह करना चाहता हूं कि क्रिमिनल लाज बिल जो चल रहा था उसमें आज २३ मिनट लग गये हैं और उस लिहाज से उतना समय आज और मिलना चाहिये इस बिल के लिये इस बात पर आप गौर कर लें।

श्री अधिष्ठाता—इसकी आप चिन्ता न कीजिये। जितना वक्त बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने दिया है और जिसको हाउस ने माना है उतना वक्त इसको मिलेगा।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—पूरे दिन के माने में तो समझता हूं कि इसको ५ घंटे मिलेंगे।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, १९६१ को जनमत संग्रह के लिये वितरित किया जाय। एक माह के जनमत संग्रह के पश्चात् प्रतिवेदन के साथ सदन में प्रस्तुत हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

श्रीमन्, मेरे संशोधन का अर्थ यह है कि ऐसी संस्थायें जिनका ग्राम्य जीवन से संबंध है उनको उससे संबंधित विधेयकों की कुछ जानकारी हो जाय और इसी आशय से मैंने यह संशोधन यहां सदन में प्रस्तुत किया है और इसमें जनमत संग्रह की बात रखी है। जब हम ऐसे कानूनों के बारे में विचार करते हैं जिनका लाखों किसानों से संबंध होता है, जिन पर उन कानूनों के परिवर्तन, परिवर्धन आदि का असर पड़ता है तो हमें सोचना पड़ता है कि हम कुछ उनकी राय भी जान लें। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम सन् १९५१ में पास हुआ और उसके बाद उसमें बहुत से संशोधन किये गये। कानून में अवश्य आपने जमींदारी का खात्मा कर दिया, किन्तु वह दूसरे रूप में आज भी गांवों में मौजूद है।

हमारे सामने हमारे न्याय मंत्री जी ने भूमि व्यवस्था कानून में संशोधन लाने का प्रयास किया है, किन्तु हम सभी जानते हैं कि आज तक कोई इस क्षेत्र में सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि किसानों के जीवन की जो मूलभूत समस्यायें हैं उनको दृष्टि में रखा ही नहीं गया है। मैं नहीं समझता कि जो साधारण से संशोधन माननीय मंत्री जी यहां लाये हैं उसी से उन्होंने अपने कार्य की इतिश्री कैसे समझ ली। उसमें जो जरूरी आवश्यकतायें हैं उनको नजरन्दाज कर दिया गया है। जो दो-एक और संशोधन हैं इस कानून में, उनकी ओर भी मैं समयानुसार चर्चा करूंगा।

श्रीमन्, हाई कोर्ट ने इस कानून का कुछ हिस्सा अवैधानिक करार दे दिया है, इस कारण इसमें कुछ संशोधन करने के लिये सरकार इस बिल को लाई है और हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही इस सरकार को यह जानकारी हासिल हुई कि इस कानून में क्या खामियां हैं। इस कानून से जब कई व्यक्ति पीड़ित हुये, तब वे हाई कोर्ट तक गये। सैकड़ों हजारों किसानों पर इसके द्वारा आपत्ति छायी रही और वे उसको सहते रहे।

श्रीमन, यह बात तब हमारे सामने आई जब उच्च न्यायालय ने इस कानून की कुछ धाराओं को अवैध घोषित कर दिया। मैंने उस जजमेंट को बड़े गौर से पढ़ा है, किन्तु मैं उन बारीकियों की तरफ नहीं जाऊंगा, जिनके कारण हाई कोर्ट ने उन धाराओं को अवैध घोषित कर दिया है, लेकिन मैं उन मूल बातों को जरूर सामने रखना चाहता हूं जिनके कारण प्रदेश में, गरीब जनता में, काफी आतंक छाया हुआ है और किसानों का जीवन अस्त-व्यस्त सा हो गया है।

श्रीमन्, इस प्रदेश के करोड़ों किसानों की स्थिति क्या है, इसका मैं इस समय कुछ जिक्र नहीं करूंगा और इतना ही कहूंगा कि इस प्रदेश में ५५ से ७० फीसदी किसान ऐसे हैं जो केवल कृषि पर ही आश्रित हैं। जिस तरह से और चीजों की संख्या में वृद्धि हुई है उसी तरह इनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। ग्रामों में जो भूमि कृषि योग्य है उसकी तरफ यह सब लोग ललचाई आंखों से देख रहे हैं और उसका परिणाम भी हम सब जानते हैं। किसी जिले की बात ले लीजिये, आज किसानों की भूमि की भूख बढ़ती जा रही है। इसका परिणाम यह है कि गांव से निकलने के जो मामूली से मामूली जानवरों के ट्रैक्ट थे, जो खलिहान थे वह सब हमारी निगाह से खत्म हो गये हैं। किसानों को दिक्कत है कि वह अपने जानवर कहां खड़े करें। मैं साहस से कहता हूं कि उसकी यह अवस्था तबसे हुई जबसे जमींदारी विनाश अधिनियम पारित हुआ। (श्री हुकुम सिंह से) आप बेखबर मत होइये। जब आपको टोका जाता है तो आप नाराज होते हैं। अगर मंत्री जी कहते हैं कि अपराध क्या है तो उनका अपराध यह है कि इस व्यवस्था के रखने के पहले उन्होंने पूरी बात समझी नहीं थी। जमींदारी हटाने के पहले जमींदारी स्वभाव को नहीं समझा। यह अजगर के मुंह की तरह है जो हमेशा किसानों को डराता और फुफकारता रहेगा। आज भी वह फुफकार रहा है और सब को त्रस्त किये हुए है। यह विधेयक इसलिए लाया गया है कि भूमि प्रबन्धक समितियां उन किसानों को ठीक रास्ते से नहीं लगा सकती हैं जो बेसब्र होकर जमींदारों पर अनधिकार कब्जा करके अपनी भूख को मिटा रहे हैं। भूमि प्रबन्धक समितियां हमने बनायी हैं और सब व्यवस्था होते हुए भी ग्राम्य-

जीवन अस्त-व्यस्त है। एक-एक टुकड़े के लिए किसान लपक लपक कर बढ़ता है और कत्ले-आम करता है, सर-फुड़ौवल करता है। अगर यह हो रहा है तो मैं फिर कहूंगा कि कानून में दोष है। जमींदारी विनाश के बाद "व्यवस्था" नहीं हुई। जमींदारी विनाश तो हुआ, जो आपका जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक कहा जाता है, उसके अनुसार जमींदारी विनाश के बाद व्यवस्था नहीं हुई। आप हंस रहे हैं और हम रो कर के फरियाद कर रहे हैं, जिस प्रकार से जब रोम में आग लगी थी तो वहां का राजा हंस रहा था।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—मुझे हंसी आपकी कम समझी पर आती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह आपकी समझ का फेर है और आपकी समझ से दूर की बात है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय अवस्थी जी, आप बहुत दूर चले गये। अगर रोम से यहीं वापस आ जाते तो ज्यादा बेहतर होता।

श्री मोतीलाल अवस्थी—आज वह इस प्रकार से हंस रहे हैं जैसे रावण हंसा करता था जब वह अपने आसपास राम के दल को देखता था कि ये मानुष और बन्दर हमारा क्या करेंगे, ये तो हमारे भक्ष्य हैं। वह भी इसी तरह ललकार कर हंसा करता था।

मैं उन किसानों की कहानी कहना चाहता हूं जिनको सहारा देने के लिए, सहायता देने के लिए हमारे पास ११५ (ग) से (ज) तक धाराएं थीं और हाई कोर्ट से अवैध करार दिये जाने पर सरकार अब हमें दूसरी प्रकार से औषधि पिलाना चाहती है जैसे घा : पर मरहम का फुआहा लगा ा जाता है। श्रीमन्, आज भूमि के बटवारे का प्रयत्न इस अधिकतम जोत के द्वारा किया जा रहा है। कहा गया कि बड़े लोगों से जमीन लेकर भूमि के भूखों को जमीन दी जायगी। क्या मैं मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि उनका वह दावा कहां चला गया? क्या उनको इस बात का साहस है कि वे बता सकें कि कितने भूमि के भूखों को जमीन दी गयी है? एक बीघा भी बता सकें तो मैं उनसे हार मानने के लिये तैयार हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि उनके सारे कानून कागजों पर लिखे रह जाते हैं। अब भी अधिकतम जोत के बारे में जांच पड़ताल हो रही है और एक इंच भी भूमि कराहने वाले किसानों को नहीं मिल पायी है। मैं यह जानता हूं कि आपका शासन काल अटूट चल रहा है, लेकिन इतने बड़े शासन काल में एक इंच भूमि भी भूमिहीनों को नहीं मिल पायी।

श्री अधिष्ठाता—आप मेरी ओर मुखातिब हों।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, आपकी ओर तो रहता ही हूं, लेकिन कभी कभी उनकी ओर भी मुखातिब हो जाता हूं यह देखने के लिये कि वे उपहास क्यों करते हैं और मेरी बात को सुन भी रहे हैं या नहीं या किसानों का दुःख सुनना वे गवारा करते भी हैं या नहीं। पहले जमींदारी विनाश ऐक्ट में धाराओं को हटाया गया और फिर भूमि प्रबन्धक समिति ों की योजना को बनाया गया, लेकिन फिर भी उसको लागू नहीं किया जा रहा है। परिवर्तन तो होते ही रहेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं होगा जो वास्तविक रूप में भूमिहीनों को भूमि दिला सके। किसान जानना चाहता है कि इस कांग्रेस राज्य में क्या एक बिस्वा जमीन भी उसको मिली? अगर भूमि उसको नहीं मिली तो कानून पढ़ने तो वह आयेगा नहीं।

आप कहते हैं कि जब वे लोग सहकारी समितियां बनायेंगे तब हम उनको भूमि देंगे। सहकारिता का कानून हमारे सामने एक बार आया था, वह समिति में गया हुआ है। पता नहीं आयेगा भी या नहीं। अगर आयेगा भी तो अन्त में ही आयेगा, यह भी हो सकता है कि न आये। तो जब तक सहकारिता न होगी तब तक भूमि नहीं मिलेगी और सहकारिता का कानून तब आयेगा जब मंत्री जी की मर्जी होगी। आप कहते हैं कि आज भूमि प्रबन्धक समितियां उन जमीनों का प्रबन्ध करें जो अनधिकृत रूप से किसानों ने ले रखी हैं, लेकिन उसके साथ साथ यह

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

भी कहा जाता है कि बिना कलेक्टर के कोई काम नहीं हो पायेगा। कलेक्टर को आपने एबसोल्यूट रूल दे रखा है। एक ओर तो प्रधान मंत्री से लेकर यहां के मिनिस्टरों तक विकेन्द्रीकरण की बात कही जाती है, कहा जाता है कि स्वराज्य और सुख आ रहा है, क्योंकि हम नीचे से गांवों को उठा रहे हैं, लेकिन आज वे कहते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा तथा इसके साथ ही साथ गांव पंचायतों में सहकारिता लाकर हम स्वराज्य लाये जो कि गांधी जी चाहते थे। मुझे उनके शब्दों को सुन कर उन पर दया आती है कि क्या वे तीन चार लाख आदमियों के सामने भाषण देने के अलावा कभी उन लाखों किसानों के बीच में गये भी हैं और अपनी आंखों से जाकर उनकी हालत देख आये हैं कि वे किस बुरी हालत में रह रहे हैं? मुझे आश्चर्य है कि वे दिल्ली के तख्त पर बैठे-बैठे ही ऐसी ऊंची ऊंची बातें करते हैं और उनकी ताईद विदेशों से भी करा लेते हैं। क्या अब उनके सामने केवल एक यही लक्ष्य रह गया है? अपनी आंखों से उन किसानों की हालत देखने का मौका आ रहा है जब कि उनके मत प्राप्त करने के लिये एक-एक के दरवाजे जायेंगे और तब वे किसान तथा उनके बाल-बच्चे व और लोग उनसे पूछेंगे कि बातें तो बड़ी लम्बी-लम्बी आप करते हैं, लेकिन हमारी सुख-सुविधा के लिये अब तक आपने क्या किया है। उस समय आपको एक-एक को जवाब देना पड़ेगा। जब चैतवा और कलुआ आकर पूछें कि आपने हमारे लिये एक बिस्वा जमीन का भी इन्तजाम किया है, जहां हम अपनी चारपाई भी डाल सकें, आपने हमारे पानी पीने के लिये कुएं का इन्तजाम किया है, जहां हम पानी तो पी सकें, तो उस समय आपको पता लगेगा। कानून पास करा लेने से और उस पर सदन की मुहर लगा लेने से ही आप यह न समझ लें कि आपने बड़ा भारी सुधार कर लिया। यह विधेयक पास तो होगा ही, क्योंकि आपके पास संख्यासुर है, आपका बहुमत है, लेकिन मेरी आवाज भी कहीं पहुंच रही होगी। मैं तो कहता हूं कि जब किसी रोग का इलाज करना हो तो पहले उसका कारण ढूंढ़ लेना चाहिये, क्योंकि बिना कारण ढूंढे हुए बीमारी का सही इलाज नहीं हो सकता है।

मैंने अपने यहां देखा है कि आज किसानों की जमीनों पर बहुतों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और एक-एक कोर्ट में आठ-आठ सौ मुकदमे ११५ डी० के चलते हैं। आखिर मैजिस्ट्रेट भी कितने मुकदमों का फैसला करे, उसे भी पसीना आ जाता है। श्रीमन्, यहां तक हुआ है कि किसानों को समन तक तामील नहीं हुए, उनके पास एक पुर्जी भेज दी गयी, जिस पर मुकदमे की तारीख लिखी थी और जब वे अदालत में पहुंचे तो उनके ऊपर २० रुपया जुर्माना कर दिया गया। तो यह एक हैरत में डालने वाली बात है कि समन तक जारी न हो और चपरासी द्वारा एक पुर्जी भेज कर ही किसानों को अदालत में बुला लिया जाय। जब इस सम्बन्ध की सारी बातें अधिकारियों की नोटिस में लायी गयी तो उन्होंने इस चीज को कबूल किया कि वास्तव में समन जारी नहीं हुआ था, क्योंकि उन पर मुहर भी नहीं लगी हुई थी। श्रीमन्, इस तरह से तो आज भी हो रहा है कि समन तो एक किसान के नाम जारी हुआ, लेकिन अमीन के पास बिना दस्तखती दसों समन रहते हैं जिनको दिखला कर वह गरीब किसानों से जबर्दस्ती रुपया वसूल कर लेता है, क्योंकि वे बेचारे समन देख कर ही घबड़ा जाते हैं। यह आज भी रोज हो रहा है। इन अमीनों के द्वारा, जो सरकार के लाडले हो रहे हैं, जितनी आप छूट देते हैं क्या वह किसानों को मिलती है? किसान से कहा जाता है कि यह लो ४ रुपये तुमको दिये। वह नहीं पूछता कि चार ही क्यों दिये। जब हमारे जैसे लोग पूछते हैं तो मालूम होता है कि पांच मिलने चाहिए थे। तो चैतू भाई जान नहीं पाए कि ५ मिलने चाहिए थे या चार, लेने वाले भी राजी और देने वाले भी। एक रुपया अमीन साहब की जेब में चला गया। इसकी परवाह हमारे मंत्री जी को नहीं है। कहते हैं कि यह तो चलेगा ही, शासन है, इसमें यह चलता ही रहेगा, लेकिन आज हमारे ग्रामीण जीवन में एक प्रकार से अव्यवस्था फैली हुई है जिसका निराकरण आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपके जो अधिकारी उन क्षेत्रों में जाते हैं वे निरंकुश हो गये हैं, वह जनता के अधिकारों को छीनने में भय नहीं खाते हैं। मंत्री जी पूछें कि उसकी शिकायत की? मैंने कलेक्शन के के टाइम में शिकायत की कि किस तरह से किसानों को परेशान किया

जाता है, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। मुझे बुला कर तहसीलदार और नायब तहसीलदार कहते हैं कि राजीनामा कर लीजिये। चुपचाप बुलाकर मुझसे कहते हैं कि ऐसा कर लीजिये।

श्रीमन्, मैं विशेष तौर से सरकार के इस रवैये का बड़ा घोर विरोध करता हूं कि ग्राम-जीवन में सुधार का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। बे-भूमि किसानों के लिये भूमि की व्यवस्था की जाय नहीं तो जमींदारी एबालिशन का कोई लाभ नहीं है.....

श्री रूर्मासिह (जिला शाहजहांपुर)—अधिष्ठाता महोदय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मुझे खुशी है कि इस खतरे की घंटी या कोरम की घंटी के बजने से मुख्य मंत्री जी आ गये हैं और मेरी बात उन तक पहुंच सकेगी। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह १०-५ मिनट यहां बैठें। भूख तो उनको लगी होगी, लेकिन किसानों को भी भूख लगी है। आपका तो कई बार चाय पानी हो गया होगा, लेकिन किसान को तो १२ बजे के बाद, हल जोतने के बाद मोटी रोटी मिलती है। थोड़ी सी आज मैं किसानों की कहानी सुना रहा हूं, जरा सुन लें। बड़ी दया होगी। मैं जानता हूं कि कागजों के अम्बार में वह किसानों की आवाज नहीं सुन पाते, लेकिन कभी खुले कानों से, कागजों के अम्बार से मुक्त होकर भी सुना करें। मैं वही कहानी सुना रहा हूं।

(इस समय २ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं कह रहा था कि भूमि की व्यवस्था तो किसी प्रकार से हुई नहीं। अगर यह कहा जाय कि जमींदारी का विनाश हो गया तो मैं बताना चाहता हूं कि वह खत्म नहीं हुई। जमींदारों के बारे में कहा गया कि वे गरीबों को बहुत परेशान करते थे, उन से हरी बेगारी लिया करते थे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज गांवों में अगुवा कौन बन गये? जमींदारी हटाने के बाद आपने क्या किया? गांव सभायें बना दीं। वह क्या पार्ट प्ले कर रही हैं? गांव सभा के सभापति का चुनाव माना आपने बैलट से करा दिया पर उसके सारे सहयोगी तो हाथ उठाने वाली प्रथा से ही आते हैं। एक सभापति चाहे कोई बन कर बैठ जाय, लेकिन और जो लोग होते हैं उसके सहायक वह तो आप ही अपने दल के बैठाते हैं। नतीजा यह होता है कि निरंकुश शासन वहां का चलता है जो जमींदारी से भी ज्यादा भयंकर रूप में किसानों से हारी, बेगारी जबर्दस्ती लेता है, मारता है, पीटता है, गलत मुकदमे चलाता है और बेदखल करके भूमि छीनता है और अपने रिश्तेदारों को देता है। आप किसी भी गांव में देख लें। जितनी भूमि बढ़ी हुई थी वह भूमिहीनों को नहीं मिली, बल्कि उनको मिली जो गांव के प्रमुख तिकड़मबाज लोगों के रिश्तेदार थे। उनके पास भूमि क्यों चली गई इसकी आप जांच नहीं कर पाये। आज भूमिहीन में दम नहीं कि कानूनी बारीकियों में जाकर अदालत में जा सके।

श्री रूर्मासिह—उपाध्यक्ष महोदय, सदन में फिर कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं कह रहा था कि आज भी गांवों में ऐसे अनेक किसान और दल मिलेंगे जो कुछ जमीनों पर बहुत अर्से से काबिज हैं, जमींदारी के टाइम से ही हैं, लेकिन वे बेचारे बिना पढ़े लिखे किसान यह नहीं जानते कि उनका नाम खाते पर आया है या नहीं। मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण जानता हूं कि जमींदारों के समय से किसान जमीन पर काबिज हैं पर अपनी नाजानकारी की वजह से दफा ११५ (सी) और (डी) में बेदखल किये गये और उनकी जमीनें तिकड़मबाजों के हाथ पड़ गईं। क्या इससे जमींदारी विनाश हुई, आतंकवाद उठा, भूमि की

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

व्यवस्था हुई ? हमारे सामने कहा जाता है कि अगर अनधिकार भूमि कब्जा को नहीं छुड़ायेंगे तो व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जायेगी। मैं कभी नहीं कहता कि अव्यवस्थित कब्जा करने वालों को हटायें नहीं, लेकिन मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अनधिकार कब्जा करने वालों की आड़ में अगर आप यह पावें कि इसमें उस किसान के साथ बेजा हरकत हो रही है जो इस कानून को नहीं समझता, जिनकी तादाद इस प्रदेश में ७० फी सदी है, तब क्या कानून के आधार पर उसको मदद देना आपका फर्ज नहीं है कि वह अपनी जमीन से इस तरह बेकब्जा न हो ? आप कहेंगे कि कानून में काबिज लिखे जाने की व्यवस्था है । इस सदन में एक दफा नहीं दर्जनों बार यह बात कही गयी है ।

लेकिन आपकी पुरानी प्रथा कब्जा बेकब्जा लिखाने की बहुत पुरानी है और दोषपूर्ण चली आ रही है । आप यह भी कहेंगे कि उसके लिये कमेटी बनी हुई है । वह कमेटी आपने विकल जी के कहने से बनाई है और उन्हीं के शब्दों में मैं कहता हूं कि वह बेकार है । पता नहीं किस ताक में वह रखी हुई है। हो सकता है कि आप समझा बुझाकर १९६२ के चुनाव के पहले या बाद में उसकी कोई रिपोर्ट प्रकाशित कर दें, लेकिन उससे इस समस्या का निराकरण नहीं हो पावेगा ।

ट्रेसपासर्स की परिभाषा के लिये जैसा कल न्याय मंत्री जी ने कहा था, अगर उसकी साधारण परिभाषा हम जैसा चाहते हैं वही रहे तब तो किसानों का कुछ भला हो सकता है अन्यथा किसान आपकी परिभाषा में पिसेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--आपका संशोधन जनमत में घुमाने के लिये है इसकी परिधि बढ़ाने के लिये नहीं है । इसलिये सीमा के अन्दर ही बोलिये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--ये अपनी परिधि बढ़ा रहे हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--यह आपका मखौल, आपका प्रहसन एक न एक दिन आपके लिये घातक सिद्ध होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--रुलाते तो नहीं है, हंसाते ही तो हैं । आप विषय पर आइये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आप जनमत संग्रह करेंगे तो उसमें तो सभी बातें लोग कहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--जी नहीं, आप जनमत की बात कहते हैं, परिधि बढ़ाने की बात तो कहते नहीं हैं । जो विधेयक है इसलिये उसी तक रहेगा । आप भी अपने को उसी तक सीमित रखिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--जनमत संग्रह के लिये जायगा तो जो भी विचार जनता के होंगे वे तो सुनने ही पड़ेंगे । जनता के मत का संग्रह ही जनमत संग्रह है और इसीलिये मैं जनता का प्रतिनिधि होने के नाते कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा था । वैसे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ।

१२२(क) के स्थान पर जो नयी धारा बढ़ाई जा रही है उसका मंशा यह था कि इसमें जो अनधिकार कब्जा है उसको रोकने के लिये कलेक्टर का प्रयास हो, लेकिन वह नहीं होता और जो गलत तरीके से कानून बना है उसका निराकरण हो, लेकिन इसके साथ-साथ में इसके दूसरे अंश को लेना चाहता हूं जिसमें जनमत लेना होगा, वह है सीरदार को ऋण के लिये बन्धक रखने की बात की जाय । तो इस में देखना यह है कि क्या दशा होती है, इस संबध में मैं सरकार का मन्तव्य जानना चाहता हूं । जहां यह लिखा हुआ है कि सरकार ऐसे सीरदारों को बन्धक रखने में रुपये दे देगी जो कि अपने स्वत्वों को या कब्जियत को बन्धक के रूप में

रख सकें । इससे तो ऐसा लगता है कि उसे सरकार से तकावी के रूप में जो रुपया मिले तो उसक एवज में बन्धक के रूप में सरकार कुछ रख ले । सरकार जो तकावी देती है या सहकारी समितियों के द्वारा जो तकावी मिलती है, तो उस सिलसिले में आप उसकी जमीन ले लेंगे । वह भी समझता है कि उसकी कब्जियत मारी न जाय । आप जानते हैं कि किसानों को दूसरी सहायताओं की भी आवश्यकता पड़ती है, उनके समक्ष ऋण लेने के दूसरे अवसर भी आते हैं, शादी-ब्याह में या बैल के मर जाने पर उसे ऋण लेने की आवश्यकता पड़ जाती है । वह ऊंचे सूद पर ऋण लेने के लिये मजबूर हो जाता है । सूदखोरों को रुपया देकर वह ऋण लेता है । कानून में जिस तरह की व्यवस्था है, उस से उस की जमीन बन्धक के रूप में रख ली जायेगी । आये दिन यह होता रहता है कि किसान दो बीघे या चार बीघे जमीन बन्धक में रख देता है, क्योंकि उसे रुपये की बहुत आवश्यकता रहती है, लेकिन आप की समझ में यह बात नहीं आती है कि उसको क्या-क्या परेशानियां हैं । आप उस की दिक्कत को नहीं सोचते हैं । आप यह नहीं समझते हैं कि किसानों को क्या तकलीफ होती है । वह कर्जा लेने के लिये मजबूर हो जाता है और कर्जा लेते समय अपनी जमीन को भी बन्धक रख देता है । चाहे बाद में उससे वह जमीन छिन ही क्यों न जाय । कभी-कभी उस से जमीन छीन ली जाती है और उस पर दूसरे की कब्जियत लिख दी जाती है । तब उस का हक उसमें से चला जाता है । किसान बेचारा बहुत दुखी है, उस के दुख को आप नहीं देख रहे हैं । जो आप कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, यह देखने की बात है । मैं आप की तवज्जह इस ओर दिला रहा हूं, आप से प्रार्थना कर रहा हूं कि किसान ऐसे गलत काम क्यों करता है, यह देखने की बात है । ऋण लेने की क्यों उसको आवश्यकता पड़ती है? मैं यह नहीं कहता कि किसान को अपनी जमीन की बेदखली रोकने के लिये खुली छूट दे दी जाय, लेकिन उसे इस बात का मौका मिलना चाहिये कि वह अपनी जमीनों को वापस ले ले । जो आप रुपये के बारे में किसानों को खुली छूट देना चाहते हैं और इसमे ऐसी व्वयस्था कर रहे हैं, तो आप भी चाहते हैं कि इस तरह से आप के पास उनकी जमीन आ जाय । अगर सहकारी समितियों का रुपया अदा नहीं होगा तो आप उनकी जमीन ले लेंगे । लाचार होकर ही किसान ऋण लेने के लिये जाता है, आप उस की सहायता करते हैं, लेकिन ऋण के अदान होने पर उसकी जमीन छिन जाती है । आप ऋण देने के लिये क्रेडिट सोसाइटीज भी कायम करते हैं, लेकिन क्या इन सोसाइटीज के द्वारा किसानों को कर्जा भी मिल पाता है ? किसान को आए दिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कर्जा लेने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वह कर्जे के लिये भटकता रहता है । इसलिये मैं कहूंगा कि आपने जो इस तरह का संशोधन २ में किया है, उसके संबंध में किसानों की राय जानने की बहुत आवश्यकता है, जनता की राय जानने की भी आवश्यकता है । आप को किसानों की दिक्कतों को समझने की कोशिश करनी चाहिये । आप तकावी का रुपया देने में और सहकारी समितियों को रुपया देने में असमर्थ क्यों हो गये । मैं इस से इसलिये असहमत हूं, क्योंकि उन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है । यदि किसी किसान का बैल मर जाता है, तो उस को लेने के लिये वह पांच सौ रुपया कर्जा लेता है, लेकिन वह उसको अदा नहीं कर पाता है । उस का क्या कारण है, आपने कभी इस बात को सोचा है? उस का कारण यह है कि उसकी आर्थिक हालत मजबूत नहीं होती है, उस की आर्थिक स्थिति खतरे में रहती है । यही कारण है कि आप समझते हैं कि आप का पैसा खतरे में रहेगा । आर्थिक हालत अच्छी न होने के कारण कभी-कभी किसान मजबूर हो कर भी ऐसे अनुचित कार्य करता है, जो काम उस को नहीं करने चाहिये । जो कदम आप उठाने जा रहे हैं, उस के लिये आप को किसानों से भी पूछ लेना चाहिये । श्रीमन्, ३१ जुलाई से पहले मुझे भी पता नहीं था कि सरकार किसान के जीवन में कौन सा हेर-फेर करना चाहती है । अभी ८ दिन पहले की बात है कि मुझे इस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था । मुझे इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं थी, तो एक किसान बेचारे को इस के बारे में क्या पता हो सकता है । जिस से किसान का लाभ और हानि हो, उसको उससे बिना पूछे नहीं करना चाहिये ।

इसके साथ ही साथ आप १५३ में भी हेर फेर कर रहे हैं। आप अपना रुपया सुरक्षित करना चाहते हैं । एक दफा को बदलने के लिये आप को कई दफाओं को बदलना पड़ा है ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

१६८ और १८३ में भी परिवर्तन करना पड़ा है। एक गलत कदम उठाने के लिये आप को कई गलत कदम उठाने पड़े। जो संशोधन किये जा रहे हैं, उन को हमारे माननीय मंत्री जी ने बतलाने की कोशिश की है। विभाग की ओर से जो उनको गाइडेन्स नोट मिला है, वह अंग्रेजी में है। अंग्रेजी नोट को वे हिन्दी में बतला रहे हैं, तो भला किस प्रकार से ठीक से जानकारी हो सकती है और इस पर ठीक से प्रकाश पड़ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रकाश न होते हुये तो आप ने ४५ मिनट का समय लिया है, यदि प्रकाश होता तो आप कितना समय लेते ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कितना समय लेंगे, ताकि हम अपने प्रोग्राम को उसी के मुताबिक एडजेस्ट कर लें। अगर देर हो तो उस बीच में और कोई काम कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप समाप्त कर रहे हैं ? आप संक्षेप में कहें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मेरी दिक्कत यह है कि मैं वकील नहीं हूं कि काले को सफेद कर दूं और सफेद को काला कर दूं। मैं बहस करने की फीस न लेता हूं और न देता हूं। मैं तो एक किसान की बात कहता हूं, क्योंकि खुद एक किसान हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैंने तो टाइम पूछा है कि आप कितना टाइम और लेना चाहते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मुझे मालूम है कि यह आप का लंच टाइम है और इस समय आप लंच करते हैं। किसान का तो कोई लंच टाइम नहीं होता है, वह तो हर समय काम करता है।

मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि वह इस कार्य को जल्दी में न करे। कुछ व्यक्ति जल्दी में हर काम को देखते हैं, जल्दी में चलते-चलते यह भी देख लें, वह भी देख लें, मैं इस को पसन्द नहीं करता हूं। मेरी उन से पटरी नहीं खाती है ? मैं तो सरकार की बात कहता हूं। सरकार के सामने ढोल बजाये जायें, लेकिन फिर भी वह सुनने की कोशिश नहीं करती है। जो सरकार अन्धी, बहरी बन जाय उसके लिये ऊंची आवाज उठानी पड़ती है, इसलिये मैंने ऊंचे स्वर से जोरदार शब्दों में बात कही है।

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं पहले माननीय गृह मंत्री का जो विधेयक रह गया है उस पर मत ले लूं उसके बाद फिर वाद विवाद होगा।

क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१
(क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१

इंडियन पीनल कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को कतिपय प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का

ऐक्ट संख्या ४५, १८६०, ऐक्ट संख्या ५, १८९८

विधेयक

एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

१—यह अधिनियम क्रिमिनल लाज (उ०प्र०संशोधन) अधिनियम, १९६१ संक्षिप्त शीर्षनाम कहलायेगा ।

२—इंडियन पीनल कोड, १८६० की धारा ४४१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— ऐक्ट संख्या ४५ १८६० की धारा ४४१ का संशोधन

Criminal trespass

"441. Whoever enters into or upon property in possession of another with intent to commit an offence or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property or, having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate ; insult or annoy any such person, or with intent to commit an offence,

or, having entered into or upon such property, whether before or after the coming into force of the Criminal Laws (U. P. Amendment), Act, 1961, with the intention of taking unauthorized possession or making unauthorized use of such property fails to withdraw from such property, or its possession or use when called upon to do so by that another person by notice in writing, duly served upon him, by the date specified in the notice,

is said to commit, 'criminal trespass'."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

गृह उप मन्त्री (श्री नवलकिशोर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ को पारित किया जाय ।

***श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—श्रीमन्, मुझे एक ही बात निवेदन करनी है, मैं इसका विरोध करने खड़ा हुआ हूं । माननीय मंत्री जी ने कल जब यह बिल पेश किया था और उनके उप-मंत्रीजी ने, जो हमारे सौभाग्य से यहां पर उपस्थित हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि यह बिल किसी तरह से और राइट्स को इन्फ्रिन्ज नहीं करता । इसमें दो चीजें हैं, एक तो उन्होंने आई०पी०सी० की धारा ४४१ को तरमीम किया है और दूसरे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा २५१-ए को तरमीम करने की बात कही है । जहां तक २५१-ए का सवाल है, वह तो बहुत सुन्दर है, वह होना चाहिये, हमें क्रिमिनल से कोई मुहब्बत नहीं, उन्हें सजा होनी चाहिये और प्रासीक्यूशन में हमें मदद करनी चाहिये ।

दूसरी बात, सौभाग्य से हमारे एक बुजुर्ग पुराने वकील भी हैं, न्याय मंत्री जी, मैं उनसे निवेदन कर दूं, उन्हीं के नाम से बिल है, पहले यह था कि क्रिमिनल ट्रेसपास तब माना जायगा जब इंटिमिडेशन हो, एन्वाय करने का इरादा हो या इन्सल्ट करने के लिये करे । अगर इनमें से कोई मंशा उसकी नहीं पायी जायगी तो ४४१ की डेफिनीशन के अन्दर वह नहीं आयेगा । यानी जो कुछ भी हमारे पेनल ला की जड़ है वह मेन्सुरिया है, यानी अगर किसी का इरादा नापाक हो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

तो सजा होगी नहीं तो नहीं होगी। अगर किसी चीज में गलत इंटेन्शन ही नहीं होगा तो सजा नहीं हो सकती। मान लीजिये कि किसी ने गैलरी में कोई सामान रखा हुआ है और गैलरी टूट जाती है और सामान गिर पड़ता है और उसके नीचे एक आदमी दब जाता है, तो उसमें किसी का गिल्टी इंटेन्शन नहीं था कि नीचे का आदमी दब के मर जाय। अगर हम कहें कि इंटेन्शन को निकाल दीजिये और सामान के गिरने पर ही सजा दे दी जाय तो कितना गलत होगा। आज तक ४४१ में गिल्टी इंटेन्शन के बारे में सैकड़ों रूलिंग्स हैं, इलाहाबाद, कलकत्ता, फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रीवी कौंसिल सब की रूलिंग्स हैं कि अगर गिल्टी इंटेन्शन नहीं होगा तो सजा नहीं होगी।

मान लें किसी दूसरे ने कब्जा किया है और अगर उसका बोनाफाइडी क्लेम है तो उसको सजा नहीं हुआ करती है। लेकिन आज की तरमीम से गड़बड़ हो जायगा, इन्होंने श्रीमन्, दो चीजों की डेफिनीशन की है। सिविल ट्रेसपासर और क्रिमिनल ट्रेसपासर। सिविल ट्रेसपासर की रिमेडी सिविल कोर्ट में है। जब ऐसी व्यवस्था है, श्रीमन्, तो सिविल ट्रेसपासर को क्रिमिनल ट्रेसपासर करने में बड़ी गड़बड़ी हो जायगी। इन्होंने श्रीमन्, कानून में कोई लिमिटेशन्स नहीं की हैं और जनरेलाइज कर दिया है इससे मामला और भी गड़बड़ हो गया है। उन्होंने डेफीनीशन में अनअथाराइज्ड यूज कहा है। जहां तक श्रीमन्, इस शब्द का संबंध है इसकी कोई परिभाषा कानून में नहीं दी गई है, जब कि कानून में एक-एक शब्द की पारिभाषा होनी चाहिये। अगर इंडियन पैनल कोड को देखा जाय तो उसके ४०–५० पृष्ठों में परिभाषा ही परिभाषा दी गई है। जैसे दफा ४४० और ४४१ बैठती हैं ठीक उसी के पैरेलल ४२५ बैठती है और वहां पर भी कब्जे की बात आती है। रांगफुल गेन और रांगफुल लाज की बात आती है। इन सारे के सारे शब्दों की डिफीनीशन कानून में दी गई है। यहां पर यह एक शब्द ला रहे हैं, लेकिन उसकी कोई डेफीनीशन कानून में नहीं है। हमारी समझ में नहीं आता कि इसको यह इतना व्यापक क्यों कर रहे हैं। इससे तो अच्छा यही होता कि सारे के सारे पैनल कोड को तरमीम कर देते, लेकिन वह चीज यह करने नहीं जा रहे हैं। इसके स्कोप को श्रीमन्, व्यापक बनाने से अर्थ का अनर्थ हो जायगा। इसलिये इसको व्यापक नहीं बनाना चाहिये।

श्रीमन्, इसमें एक बात और यह है कि किस दिन ट्रेसपासर माना जायगा। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि आज ट्रेसपास करे। यह कानून संशोधित हो रहा है। इसमें अगर लिमिटेशन नहीं रखी जाती है तो ठीक नहीं रहेगा। इसमें १०-२० वर्ष की या कोई भी लिमिट फिक्स नहीं की गई है। चाहे पुराना ही ट्रेसपासर क्योंन हो? अब सवाल यह है कि काज आफ एक्शन कब एराइज होगा। इसके लिये सिर्फ एक नोटिस देने की जरूरत होगी। चाहे उसका आकूपेशन कितना ही पुराना क्यों न हो उसके ऊपर फ्रेश काज आफ एक्शन एक हो जायगा। श्रीमन्, यह क्या हो रहा है,? मैं यह नहीं कहता कि यह नैतिक है या अनैतिक है। जैसे श्रीमन्, प्रोनोट का सवाल है, तीन साल के बाद वह बेकार हो जाता है। तीन साल के बाद नालिश करने पर डिग्री नहीं मिलती है। इसी तरह से अगर १२ साल तक कोई आदमी अपनी जायदाद पर काबिज नहीं रहता है तो जो उस पर कब्जा किये रहता है वह उसका मालिक बन जाता है और उसकी लिमिटेशन से वह जायदाद बाहर हो जाती है और दूसरे आदमी के कब्जे में चली जाती है। चाहे भले ही वह ट्रेसपासर हो। हम किसी की मुजहमत करें कि वह ट्रेस पासर रहने लगा है तो उसको राइट हो जाता है और उसका कब्जा मुखालिफाना हो जाता है। सिविल कोर्ट में इसकी कोई रिमेडी नहीं है। आज माननीय मंत्री जी यह क्या व्यवस्था ला रहे हैं कि वह क्रिमिनल कोर्ट करके बेदखल कर देंगे। यह गलत सी चीज हो रही है। अब भी मौका है, माननीय मंत्री जी इसको बदल दें, अन्यथा यदि यह गलती हो गई तो फिर इसको दुबारा बदलना पड़ेगा और इसको आदरणीय सदन में लाना पड़ेगा। इसलिये मंत्री जी ऐसी गलती न करें।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वह इसको स्पष्ट करें कि लैंड ऐक्विजीशन ऐक्ट के मातहत मेरे बड़े भाई और मास्टर तारासिंह के भाई में कोई अन्तर तो है नहीं और अनअथाराइज्ड पजेशन की कोई डेफिनीशन नहीं है, तो वह बतायें कि उन लोगों के साथ क्या सलूक होगा, तो जो पहाड़ में कई साल से बसे हैं ? वहां खाम स्टेट है पट्टे नहीं हैं। उनके साथ क्या सलूक होगा ?

दूसरे, क्रिमीनलाजी में कभी भी क्राइम पहले से नहीं लगता। इस ऐक्ट में कहा गया है कि बिफोर आर आफ्टर। तो यह क्रिमिनल ला में कैसे बिफोर किया गया ?

तीसरे, अगर मैं आपको गाली दूं तो सिविल रांग करूंगा। यह सिविल रांग को क्रिमिनल रांग में क्यों परिणत किया जा रहा है ? इन तीनों सवालों का माननीय मंत्री जी जवाब दें।

श्री नवलकिशोर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय विष्ट जी का भाषण सुना। उन्होंने कोई बात नयी नहीं कहीं। जो बातें कह चुके थे उन्हीं को दोहराने की कोशिश की। मुझे अधिक नहीं कहना है। केवल दो बातें कहनी हैं। एक तो उन्होंने यह आपत्ति की कि अगर कोई अनअथाराइज्ड पजेशन, ५० साल या १०० साल पहले से है, तो उसके बारे में क्या होगा। मैं यही कह सकता हूं कि संशोधन जो किया गया है वह इसलिये कि अनअथाराइज्ड पजेशन या अनआथराइज्ड यूज़ को क्रिमिनल आफेंस करार दिया जाय। क्या-क्या फैंटास्टिक पासिबिलिटीज हो सकती हैं, उन सब का सोचना और जवाब देना इस समय संभव नहीं है।

दूसरी बात यह कि एक मंशा यह भी थी कि सिविल कोर्ट में जाने से एक बहुत लम्बा टाइम लगता है और वर्षों का समय बर्बाद होता है। इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि क्रिमिनल आफेंस बना दिया जाय ताकि लोगों को जल्दी इंसाफ मिल सके।

मान्यवर, प्रतापसिंह जी ने जो दो एक बातें कहीं, उनके दिमाग में एक विशेष क्षेत्र की कुछ समस्यायें हैं जिनका यथार्थवाद से संबंध नहीं है, बल्कि उनका आने वाले सन् १९६२ के चुनाव से ज्यादा संबंध है, लिहाजा उस कंट्रोवर्सी में मैं जाना नहीं चाहता।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि यह सदन इसको पारित करे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—अब दूसरे विधेयक पर विवाद जारी होगा।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, १९६१ (क्रमागत)

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक आया हुआ है वह कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिये आया हुआ है, ऐसा कहा गया। जो प्रस्ताव माननीय अवस्थी जी ने रखा है, बावजूद इसके कि वह चले गये हैं, मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन इस गरज से करना चाहता हूं कि इस विधेयक के जरिये अगर उन दिक्कतों को भी दूर कर दिया जाता जिससे यहां के किसान बहुत नुकसान उठा रहे हैं तो अच्छा होता। इसलिये मैं परिधि बढ़ाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

हां, माननीय भीखालाल जी का प्रस्ताव, जो परिधि बढ़ाकर इस बिल को प्रवर समिति में भेजने का है, उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय अवस्थी जी का प्रस्ताव तो जनता में भेजने का भी है, मैं उसका भी विरोध नहीं करता, लेकिन माननीय भीखालाल जी के प्रस्ताव का जो मैं समर्थन करता हूं, वह किन कारणों से करता हूं यह आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं। इस ओर ध्यान सरकार का गया कि कुछ काश्तकारों को कर्जे की दिक्कत पड़ती है और इसलिए अगर सरकार तकावी की शकल में या कोआपरेटिव बैंक्स हैं वह उनकी जमीन बन्धक रख कर के कर्जा दें तो इस तरह का अधिकार उनको दिया जाना चाहिए बगैर कब्जे के, अगर बन्धक वह रखें तो। मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार का ध्यान थोड़ा सा और व्यापक हो तो इसमें किसानों को कुछ सुविधा मिलेगी और सुविधा यह मिलेगी कि अब तक सरकार ने कर्जे का जो बन्दोबस्त किसानों के लिये किया है वह कुछ परसेंट, शायद दस परसेंट है। दस फीसदी से अधिक न तकावी और न तकावी की शकल में कर्जा दिया जा सकता है। लकिन ९० फीसदी कर्जा तो उनको मिलता है देहात से और उस देहात के कर्जे के बदले में अगर वह बन्धक रखे अपनी जमीन को तो उसके लिए कानून में इजाजत नहीं है। बन्धक के माने मैं ऐसा समझता हूं कि आज भी देहात में वह बन्धक प्रचलित है जिसको कि रेहन कहते हैं। मैं माननीय राम लखन जी से आग्रह करूंगा कि वह इस प्रश्न पर जरूर सरकार का ध्यान दिलायें श्रीमन्, कि करोड़ों काश्तकार आज अपनी जमीन को रेहन (बन्धक) रखकर के और कब्जे वाला बन्धक रख कर के सरकार से कर्जा लेते हैं और कर्जा लेकर के अपना काम चलाते हैं। तो जबतक कि हम सारे का सारा कर्जा कोआपरेटिव बैंक्स से और तकावी की शकल में न दे सकें तब तक जो प्रथा प्रचलित हो उस को बन्द कर देना उनके लिए नुक्सानदेह है।

श्रीमन्, आप जानते हैं, आप के जिले में भी, फैजाबाद में भी मैं समझता हूं कि यह कष्ट बड़े जोरों का है। हमने जो कानून बनाया जमींदारी एबालीशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट, उसमें कुछ गलती थी और उन गलतियों में से मैं उस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो हमने सीरदारों को अपनी जमीन को रेहन करने के लिये अधिकार नहीं दिया। शिकमी उठाने का तो नहीं दिया, रेहन करने का भी अधिकार नहीं दिया, लेकिन मजबूर है सीरदार कि वह कर्जा ले और उसके बदले में वह रेहन रखे। यह अब भी जारी है। ऐसी बात नहीं है कि कहीं जारी न हो। हजारों किसान इस वक्त रेहन करते हैं और रेहन करने के बाद वह बेदखली के भी शिकार होते हैं। लेकिन वे मजबूर हैं जिसकी वजह से वह करते हैं। और इस वक्त जो लैंड मैनेजमेंट कमेटियां बनी हुई हैं उनको जो सरकारी आदेश हैं अगर उन आदेशों को वे पूरा तामील करें तो आज लाखों किसान बेदखल हो जायेंगे अपनी जमीन से। चूंकि वह लैंड मैनेजमेंट कमेटियां उस सरकारी आदेश का उल्लंघन करती हैं, न करें तो गांव के लोगों में काफी अलोकप्रिय हो जायं और उनके टूट जाने का डर पैदा हो जाय, इसलिये वह बेदखल नहीं होते हैं। इस प्रकार का आदेश जो सरकार का है मैं समझता हूं कि जिसका अमल न हो सके और अमल हो तो लाखों आदमियों को मुसीबत का सामना करना पड़े इस पर सरकार को विचार करना चाहिये, मैं समझता हूं कि बन्धक रखने का अधिकार उनको जरूर दिया जाना चाहिए। बहुत ऊंचे सिद्धान्त की बातें बहुत पहले से कही गई थीं और हम ऐसा समझते थे कि किसान की हालत ऐसी हो जायगी कि उसको कर्जा लेने की आवश्यकता शायद न पड़े, लेकिन इस बात से मैं समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य पूरी तरह से वाकिफ हैं कि किसान को कर्जा लेने से मना नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता और उसको कर्जा देने का दूसरा बन्दोबस्त नहीं किया जा सकता। फिर वैसी हालत में उनको कर्जा मिलने का जो एक रास्ता बना हुआ है उसको खुला रखना चाहिये। माननीय मंत्री जी इस बात को देखेंगे कि जब यह गुंजाइश की गई है कानून में कि जिस वक्त वह अपनी जमीन को रेहन रख देगा, तो रेहन रख देने के बाद उसे सजा मिलेगी और सजा में वह जमीन न रेहन रखने वाले के पास रहेगी न रेहन रखी है जिसने, उसके पास रहेगी, बल्कि वह जमीन वैकेन्ट लैंड समझी जायगी और गांव समाज उस जमीन को ले लेगा। अगर गांव समाज बेदखल नहीं करता तो करप्शन का एक छोटा सा जरिया आपने उसको दे रखा है। या तो

वह लेखपाल से मिल कर उसका इंदराज न होने दे, या गलत इंदराज करावे या फिर गांव समाज को उसे बेदखल करना होगा। अगर गांव समाज उसे बेदखल करना चाहे और गांव समाज और लेखपाल एक साथ हों तो जो रेहन लिखने वाला है उसके लिये जरूरी है कि वह दोनों को राजी करे और उसमें क्या हालत होगी इसको सदन स्वतः समझ सकता है।

हमारे नागेश्वर द्विवेदी जी ने ध्यान दिलाया कि भूमिधर को भी रेहन रखने का अख्तियार नहीं है। मैं, श्रीमन्, समझता हूं कि उस जगह भी हमें इस कानून को बदलने की जरूरत है। आप देखें कि धारा १६३ में भूमिधर को अपनी जमीन को बेचने में सजा है और १६४ में यहां तक लिखा है कि अगर भूमिधर अपनी जमीन को रेहन करेगा तो वह बेदखल हो जायगा। जो जमीन खरीदेगा वह सब से ज्यादा फायदे में रहेगा। रेहनदार को बयनामे की कीमत भी नहीं देनी पड़ेगी, उसे रेहन की क़ीमत देनी पड़ेगी और वह बयनामे का हकदार होगा। मैं रामलखन जी का ध्यान १६४ धारा की ओर दिलाना चाहता हूं। वे उसे देखें। अंग्रेजी में ऐक्ट मेरे पास है, मैंने उसका भाव बतलाया। अगर भूमिधर के साथ आपको हमदर्दी है तो यह धारा तो कहती है कि रेहन लिखने के बाद वह जमीन उस के पास लौटेगी नहीं। वह तो चली जायगी रेहन लिखाने वाले के पास, वह बयनामा हो जायगा। तो यह तो भूमिधर के साथ रियायत नहीं हुई। जब भूमिधर को यह अधिकार है कि वह अपनी जमीन का बयनामा कर सकता है, उसे बेच सकता है. . . .

श्री हुकुमसिंह विसेन—किस के हक में यह भी तो देखिये।

श्री गेंदासिंह—यह ठीक है कि जिसके पास साढ़े १२ एकड़ जमीन होगी उसके हाथ वह नहीं बेच सकता, अगर उससे कम हो तो उसको वह बेच सकता है, लेकिन बेचने का अधिकार उसको है। तो जिसे बेचने का अधिकार है उसे रेहन रखने का अधिकार क्यों न दिया जाय? ऐसा हो सकता है कि वह उस रुपये को चुका कर अपनी जमीन वापस ले ले। तो बेचने का अधिकार देते हैं लेकिन रेहन का अधिकार न देकर हम उनके साथ भलाई नहीं करते। कानून जमीन बेचने का अधिकार देता है, रेहन करने का अधिकार नहीं देता, ऐसा कानून तो रद्दी कानून है। आप कहते हैं कि पेड़ की एक पत्ती के लिये पूरा पेड़ ही जड़ से काट दिया जाय। बिना जड़ से काटे आप उसकी एक पत्ती नहीं ले सकते। इस तरह से पेड़ को हमेशा के लिये काट देना होगा। यह कोई सिद्धांत की बात नहीं है। भ्रमवश यह बात हो रही है और इस ओर सरकार का ध्यान अभी तक नहीं गया है। मेरा ऐसा खयाल है कि इस ओर अगर ध्यान दिया जाय तो इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव है वह उचित ही होगा और वहां जाने से उसमें आवश्यक सुधार भी हो जायेगा। इसमें सीरदार को जमीन को बेचने का अधिकार नहीं दिया गया है और यह समझा जाता है कि अगर उस को बेचने का अधिकार देंगे तो वह अपनी जमीन को बेच देगा। बस यही एक उत्तर है जो उस तरफ से, मैं समझता हूं, दिया जायेगा। इसके अलावा और कोई उत्तर हमें नहीं मिलेगा।

तो मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस कानून में दफा १८३ और १८४ को आप देखें। उसमें यह अधिकार है या नहीं कि वह अपनी जमीन से इस्तीफा दे दे? इस्तीफा देने का अधिकार सीरदार को है। रेहन रखने, बैनामा करने और इस्तीफा देने, इन तीनों में रेहन रखना उस ग़रीब आदमी के ज्यादा हक़ में है और अगर वह इस्तीफा दे दे तब भी उसको हमेशा के लिये जमीन से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन अगर वह गिरों रख देता है तब उसमें यह हो सकता है कि उसके बच्चे कभी न कभी उस को छुड़ा सकते हैं। इस्तीफा देने की गुन्जाइश इस कानून में है। ऐसी सूरत में यह दलील देना कि हमने इसको इसलिये इसमें नहीं रखा कि किसान जमीन को बेच देंगे, इस दलील की कोई वक़त नहीं रह जाती है। मैं समझता हूं कि सरकार इस प्रश्न पर फिर से विचार करे और इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करे। मुझे आशा है यह सरकार इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव स्वीकार करेगी।

[श्री गेंदासिंह]

इसके साथ ही मैं दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। जैसे कि अभी कुछ देर पूर्व एक बात हुई, इस कानून में फसल के नुकसान का अन्दाजा करने के लिये जो नियम बने हुये हैं उसकी बाबत। मैं समझता हूं कि इस नियम में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। वह परिवर्तन इसलिये जरूरी है कि अभी सुबह माननीय राजस्व मंत्री जी ने बताया था कि नुकसान का अन्दाजा अभी नहीं बताया जा सकता, उसका अन्दाजा फसल कटने के बाद मालूम होगा। श्रीमन्, उसका अन्दाजा तो जब फसल खड़ी हो तभी लगाया जा सकता है, फसल कटने पर उसका पता कैसे होगा? सरकार इस दिक्कत को मान चुकी है कि हमारे नियम बहुत रिजिड हैं और उनको बदलना चाहिये। नियम में यह है कि जब तक ५० फीसदी फसल नष्ट न हो जाय तब तक वह किसी प्रकार की सहायता का अधिकारी नहीं होगा। इस कानून के मुताबिक जब आधी फसल नष्ट हो जाये, तभी उस को कुछ सहायता सरकार देगी। श्रीमन्, जिस उद्योग में ५० फीसदी का नुकसान हो जाय उसकी क्या हालत होगी? ५० परसेन्ट अगर डियरनेस एलाउन्स में कमी कर दी जाय तो कर्मचारियों की क्या हालत होगी? आखिर इस नियम को कौन बदलेगा? मैं समझता हूं कि इस आठ आने को बदल कर जिस अनुपात में नुकसान होता है उसके हिसाब से कार्य होना चाहिए। उसी तरह से किसानों की जमीन लेने का कानून है। इस कानून में गुंजायश है कि किसान की जमीन निकाल ली जाय और विकास के युग में वह निकल रही है और निकलेगी। लैंड इक्वीजीशन ऐक्ट में जिसका सम्बन्ध रेवेन्यू डिपार्टमेंट और ऐडमिनिस्ट्रेशन से है, उसको तबदील करने की जरूरत है। जब कि हम लैंड सीलिंग के और कई कानूनों को तबदील कर रहे हैं तो कम्पेंसेशन के कानून को भी आप उसी प्रकार से बदल सकते हैं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और बम्बई आदि प्रदेशों में है। जब किसी इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर में लिया जाता है तो मोल-तोल होता है और उसके लिए हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय तक जाते हैं। लेकिन किसान ग़रीब है, राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होता है, वह जाता नहीं है। इसलिये इस कानून को बदलने की जरूरत है, इसीलिए प्रवर समिति के लिए मैं जोर दे रहा हूं।

मालगुजारी भी आप देखें कि बहुत ऊंचे रेट से लगी हुई है, उसमें तब्दीली की जरूरत है। इसका इरादा सरकार का है या नहीं, यह हमें मालूम होना चाहिए। एक हैवक सी० एल० आर० डी० का है, इसको हम नहीं समझते थे कि यह क्या बला है। एक-एक किसान पर ३–३, ४–४, ५–५ सौ रुपये का बकाया है और पता नहीं यह कहां से टूट कर आ पड़ा। संभव है किसी-किसी के ऊपर सही भी पड़ा हो, लेकिन वह ऊंगली पर गिने हुए होंगे। इतने कर्मचारी होने के बाद भी जिनके पास इंच-इंच का नक्शा है और अकाउंट्स हैं, अगर १० वर्ष तक मालगुजारी वसूल नहीं हुई तो एक साथ कैसे बकाया पैसा मांगा जाता है? यह सही है कि दरख्वास्त देने की इजाजत है और तहसीलदार कुर्की करता है, लेकिन अगर सी० एल० आर० डी० की मालगुजारी गलत है तो छूट मिलनी चाहिये और डिपार्टमेंट से मंत्री जी इंक्वायरी करायें कि कितनों को छूट दी गई। मैं कभी इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा, जहां-जहां मैं गया तो उसके बाद मैं तहसीलदार और काश्तकार के बीच में आ पड़ा और उन काश्तकारों की मैंने मदद करनी चाही जो बिलखते थे और कहते थे कि हमारे ऊपर सौ-सौ, दो–दो सौ, तीन-तीन सौ बकाया है, और उनके ऊपर वारंट और गिरफ्तारी और कुर्की होती थी। तहसीलदार से जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि दरख्वास्त दिलवाइये। उसके बाद आज हालत यह है कि १५–१५ मर्तबा किसान तहसील में जाते हैं। उनके रोज आने-जाने में एक रुपया इधर से और एक रुपया उधर से और अगर तहसील में कुछ भी खर्च न हो तो खाने पीने को मिला कर दो ढाई रुपया रोज खर्च हो जाता है। इस प्रकार से अगर उनको १५ दिन भी जाना पड़ा तो ४० रुपया खर्च हो जाता है। तहसील वाले फैसला करने में जरा अपनी आमदनी में कुछ कमी समझते हैं और सी० एल० आर० डी० को अपना एक सहायक मानते हैं। जब वह किसी किसान पर २०० रु० या ३०० रु० बकाया निकाल देता है तो उसके तो प्राण ही सूख जाते हैं।

इस प्रकार से कलेक्शन अमीनों द्वारा जो तहसील में वसूली का कुकर्म हो रहा है उसका पता सभी को होगा। अगर नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि सी० एल० आर० डी० को आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव के आर्डर के अधिकार दिये हैं उस पर मंत्री जी पुनः विचार करें और विचार करके मुनासिब बात करने की कृपा करें। जो उन लोगों पर वास्तविक रूप से बकाया है उसको अवश्य वसूल किया जाय. लेकिन उसकी वसूली का भी कोई तरीका तो होना ही चाहिये।

इन बातों को कहते हुए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय भीखालाल जी के संशोधन को स्वीकार कर लें। मैंने तो मोटी-मोटी बातों को ही बताया, लेकिन इसमें ऐसी भी बहुत सी बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से इस कानून में बहुत से परिवर्तनों की आवश्यकता हो। क्योंकि इसका सम्बन्ध प्रदेश के करोड़ों किसानों से है और परिस्थितियां बदल रही हैं, इसलिये इस कानून में परिवर्तन होने की आवश्यकता है। इसलिये जरूर ही इस बात की कोशिश की जानी चाहिये कि सेलेक्ट कमेटी में जाकर यह परिवर्द्धित हो जाय।

राजस्व मंत्री जी ने एक बार यह आश्वासन भी दिया था कि भमि संबंधी एक छोटा सा कानून लायेंगे ताकि साधारण रूप से सब लोगों की समस्यायें उससे हल हो जायं, क्योंकि यह कानून बहुत पेचीदा है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब ला कमीशन बन जायगा तब लायेंगे।

श्री गेंदासिंह—मैं समझता हूं कि आपके हाथों से यह काम हो जाना चाहिये। उस तरह से इसमें बहुत देर हो जायगी। अगर वह पूरा ऐक्ट संशोधित न किया जा सके तो फिर भी जरूरी-जरूरी चीजों को संशोधित किये जाने के लिये इसको प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिये, जो इसकी परिधि को बढ़ा कर संशोधित कर सके।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन को बता देना चाहता हूं कि यह जो संशोधन विधेयक है इसमें कुछ संशोधन तो केवल शाब्दिक हैं और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनको लाने के लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उनको यह संशोधन विधेयक पहले ही ले आना चाहिये था। जो साधारण संशोधन हैं उनमें अण्डर प्रोपराइटर, कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर आदि का अर्थ बताया गया है। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में केवल यह बता दिया गया है कि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में जो परिभाषा दी गयी है वही परिभाषा यहां भी मानी जायगी। दूसरा संशोधन प्रोसेसिंग फीस के वसूल करने के सम्बन्ध में है जिसके वसूल करने के लिये लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में कोई विधान नहीं है। लैंड रेवेन्यू की तरह से कुर्की के लिये या वारंट के लिये जो एक या डेढ़ रुपया फीस देनी होती है उसके वसूल करने का कोई प्राविजन लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में नहीं था, उसको वसूल करने के लिये यह संशोधन लाया गया है। इसी प्रकार से साधारण संशोधन इसमें हैं।

इनके अतिरिक्त २–३ महत्वपूर्ण संशोधन भी हैं। एक तो हाईकोर्ट में जस्टिस देसाई क द्वारा यह रूलिंग कर दी गई है कि समन के प्रोसीजर के बारे में जब तक मूल ऐक्ट में समरी तरीके की पावर्स न दी गयी हों नियमों में समरी प्रोसीजर रखा जाना कोई युक्ति युक्त नहीं है, अवैधानिक है। उसकी पूर्ति के लिये ,उसकी मरम्मत के लिये यह एक संशोधन इस विधेयक में लाया गया है। यह एक अधिकार लिया जा रहा है कि कलेक्टर को अधिकार हो कि जहां वह प्राइमाफेसी क्वेश्चन आफ टाइटिल देखे तो उस माने में प्रेस्क्राइब्ड तरीके से एक नियम बना दे। घुमा कर वही बात इसमें रखी गयी है जैसी कि ११५-सी में थी। लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार वह अवैधानिक हो जाने की वजह से, उसकी पूर्ति करना आवश्यक था। यह सारे प्रदेश में चालू भी था। कहीं-कहीं बोर्ड आफ रेवेन्यू ने इस निर्णय को खारिज कर दिया है। ११५-सी क्या है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। केवल ग्राम समाज या लोकल अथारिटीज में जो सम्पत्ति है उस सम्पत्ति म कोई डैमेज या क्षति कर देता है या उसका अतिक्रमण किया जाता है तो उसके लिये सिविल सूट किया जाता है और ऐक्शन लिया जाता है। सिविल

[श्री रामलखन मिश्र]

कोर्ट में दावा करने का जो तरीका है उससे तो वहां वाद का एक बंडल हो जाता है, कई वर्ष लग जाते हैं, अपील में जाते-जाते एक अवस्था बीत जाती है। तो अगर समरी ऐ सिज्योर का अख्तियार असिस्टेंट कलेक्टर को दिया गया है कि वह निर्णय कर दे तो इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं जो गलत हो। इसमें कोई ऐसी चीज तो बढ़ायी नहीं गयी है जिससे कोई आशंका की बात हो। उसी हाई कोर्ट की रोशनी में जिलाधीश को एक अधिकार दिया गया है कि वह नियम बना दे। फिर ११५-सी चालू रहेगा। इसमें एक बात यह है कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट दिया गया है यानी प्रभाव क्षेत्र पिछले से जोड़ दिया गया है। ऐसा करना भी उद्देश्य पूरक ही है।

दूसरी बात जिसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं वह है तकावी ऐक्ट का ऐक्ट १९ और १२। एक तो बैलों के लिये तकावी लेने के सम्बन्ध में है और दूसरा कुआं खोदने के लिये तकावी लेने के सम्बन्ध में है। उसमें सिक्योरिटी देनी पड़ती थी और सीरदार को बड़ी कठिनाई थी कि वह भूमिधर की तलाश करे, उसे कुछ रुपया दे, रजिस्ट्रेशन करावे और फिर वह प्रार्थना-पत्र दे। तो यह कितना उद्देश्य पूरक है। वैसे तर्क वितर्क किया जाय या जो कुछ भी किया जाय, उसे दूसरे पहलू से लिया जाय तो दूसरी बात है कि पहले जमींदारी ऐक्ट में संशोधन किया जाय और फिर उसे मार्गेज करने का अधिकार हो। इसमें सीरदार के लिए रास्ता बिलकुल साफ कर दिया गया है, इसके लिये माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

इसके अन्दर १६८ –ए रखा गया है। वह चकबन्दी से सम्बन्धित है। उसमें यह है कि यदि सीरदार और भूमिधर दोनों का चक एक बन जायगा तो उसका हस्तान्तरण नहीं हो पायेगा, लेकिन अब इसमें ट्रांसफर का प्रोवीजन कर दिया गया है। यह भी बहुत उद्देश्य पूरक है। मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

अब इनमें एक सरेंडर वाला है। उसमें यह है कि अगर सीरदार ने भूमि मार्गेज कर दी और उस पर लगान का रुपया बाकी है तो उसने तो उससे छुटकारा पा लिया, लेकिन अब सरकार कहां से वह रकम वसूल करे। इससे बहुत सी रकम के बकाया होने का अन्देशा था, इसलिये सरकार ने अब एक स्थिर नियम बना दिया है जिससे जो भी जमीन लेगा उसकी देखभाल सीरदार करेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी जी की वक्तृत्व कला की मैं बहुत प्रशंसा करता हूं। वे विद्वान हैं, लेकिन आज मुझे उनके भाषण को सुन कर आश्चर्य हुआ, क्योंकि अपने भाषण में उन्होंने इस संशोधन को स्पर्श तक नहीं किया और ऐसे ही भाषण देते रहे। इस विधेयक पर जनमत जानने के लिये भी उन्होंने एक प्रस्ताव किया। अब इससे जनमत से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह तो बिलम्बकारी होगा। मैं उनके सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने कष्ट नहीं किया कि यह जो संशोधन आया है इसको पढ़ लेते। वह अपनी कल्पना या तर्क से कोई भाषण यहां दे दें, लेकिन हर समय वह बात ठीक नहीं पड़ती।

माननीय गेंदा सिंह जी ने जो सुझाव दिये हैं उनमें एकाध में तथ्यपूर्ण बात है। मैं इसे मानता हूं और सरकार उस पर अवश्य विचार करेगी। यही नहीं प्लानिंग कमीशन को भी यह बात स्ट्राइक की है कि सीरदारों या छोटे भूमिधरों को एक मर्यादित सीमा के अन्दर सबलाटिंग करने का अधिकार देने के सम्बन्ध में कानून बनाने के लिये विचार किया जाय। अगर मैं गलती नहीं करता तो प्लानिंग कमीशन का ऐसा आदेश भी राज्य सरकारों के पास आया हुआ है। प्रदेश के अन्दर जो खेती करने वाले हैं उनको रुपये की आवश्यकता पड़ती है, तो जो रुपया देता है उसी के काबिज का इंदराज भी लेखपाल कहीं–कहीं करते हैं। इसमें भी दो मत नहीं है कि अगर लैन्ड पैनेजमेंट कमेटी अपना काम करे, जसा कि विधान में कहा गया है, तो एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी

व्यवस्था इसमें हो जाय और बहुत लोग बेदखल हो जायं, देने वाले भी बेदखल हो जायं और लेने वाले भी हो जायं। कुछ तो वे कानून जानते नहीं और कुछ खुद ही उस बला में मुब्तिला रहते हैं। तो यह राज्य सरकार के विचार करने की बात है। लेकिन सारी आधारशिला जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की इस बात पर निर्भर है कि हर व्यक्ति जो खातेदार है, वह स्वयं जोते, जुतवाये नहीं दूसरे के द्वारा वह जुतवा नहीं सकता। इसके पीछे जो दर्शन है उस पर मैं तर्क नहीं करना चाहता क्योंकि इस सम्बन्ध में सब माननीय सदस्य जानते हैं। जब जमींदारी एबालिशन ऐक्ट बनाया जा रहा था तो वह बातें बार-बार दोहराई जाती थीं। इसी कारण से हलवाहे तक को खेत नहीं दिया जाता है। आज हलवाहा पूर्वी जिले में दो-चार बीघा खेत लेने के बाद ही काम करने को राजी होता है। उसे भी, यह व्यवस्था है कि कोई कुशलतापूर्वक दे नहीं सकता है। साझे के सम्बन्ध में बाई रजिस्ट्रेशन एक वर्ष के लिये दिया जा सकता है। यानी कानून की पाबन्दी है, लेकिन जो लैण्ड लाज नम्बर २ सामने है, इसके अन्दर जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के संशोधन सुगमतापूर्वक नहीं लाये जा सकते हैं।

इसमें तो यह भी दिया गया है कि स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट में जो दावा सिविल कोर्ट में हो सकता है और जो रेवेन्यू कोर्ट में हो सकता है, तो किसानों की सुविधा के लिये यह संशोधन किया गया है कि वह रेवेन्यू कोर्ट में जब आवे तो अगर रेवेन्यू कोर्ट भी निर्णय कर दे तो वह फाइनल समझा जायगा। यानी यहां पर भी वह अपना उद्देश्य पूरा कर सकता है। तो इसमें तो कई प्रकार की बातें हैं। हर ऐक्ट में त्रुटि रहती है और माननीय सदस्यों का कर्त्तव्य है कि उसे सरकार के सामने लायें, नान-आफीशियल बे में भी प्रस्तुत करें, लेकिन लैण्ड लाज नम्बर २ के साथ उनका जिक्र करना अप्रासंगिक सा होगा। इस कारण मैं उन माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में जो त्रुटियां हैं उनको इस लैन्ड लाज के सम्बन्ध में जोड़ना युक्ति-युक्त नहीं होगा। इन संशोधन के अन्दर कोई ऐसी बात नहीं है जिससे भय खाया जाय। जो त्रुटियां हो गई हैं उनको परिमार्जित करने के लिये यह लाया गया है। इसमें से कुछ तो बहुत ही उद्देश्य पूरक हैं। मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है कि केवल शब्दाडम्बर में सदन का समय लूं। इस कारण और अधिक न कहकर मैं अपनी प्रार्थना को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री उग्रसेन जी आप बोलें, लेकिन काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं और इस बिल को ५ बजे तक पास हो जाना है, इसलिये आप ५ मिनट में ही खत्म कर दें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह प्रस्ताव दिया है कि इस प्रस्तुत विधेयक को जनमत हेतु घुमाया जाय। अभी माननीय मिश्र जी यह फरमा रहे थे कि जमनत के लिये घुमाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैं अर्ज करूं कि इसमें लाभ या हानि का प्रश्न नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि जिनके लिये यह कानून बनाया जाता है उनको आया इस बात की जानकारी है या नहीं, या उनको जानकारी से यह सदन लाभ उठाने के लिये तैयार है या नहीं, या उनको कितनी तकलीफ हुई है और अब वे क्या चाहते हैं इसको जानने के लिये आप तैयार हैं या नहीं? १२२ जिसको हाईकोर्ट ने अवैध करार दे दिया है कि समरी ट्रायल नहीं होना चाहिये उसको इस कानून के द्वारा सरकार अब कानूनी शक्ल देना चाहती है कि गांव समाज की जमीन पर जो कब्जे से कोई लाभ उठाता है तो समरी ट्रायल से वह हो जाय, उसको आप बिलकुल ठीक समझते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया। इसमें यह है कि जो गरीब तबका है वह गांव समाज की जमीन पर अपने निजी इस्तेमाल के लिये काबिज हो गया, उसको लेखपाल ने लिखपढ़ करके तहसीलदार के कोर्ट से बेदखल करा दिया। लेकिन ऐसे लोग जो पहले जमींदार थे उन्होंने १०,२० या ५० एकड़ जमीन दबा रखी थी और कब्जा कर रखा था और अब भी काबिज हैं, १९५६ से पहले या उसके बाद सीरदारी में अपना नाम लिखा लिया। उसके लिये कोई आपत्ति नहीं है इसलिये कि उनकी पहुंच तहसीलदार साहब के यहां है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जो लोग १९५६ से पहले गांव समाज की जमीन पर काबिज हो गये हैं

[श्री उग्रसेन]

उनको कैसे हटाया जाय और उसको गांव समाजके लाभ में कैसे इस्तेमाल किया जाय, इसके लिये कोई कानून हो जाय तो समरी ट्रायल के कानून में कोई संशोधन लावें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट में संशोधन हो रहा है ।

श्री उग्रसेन---वह तो आप वैसे ही कर रहे हैं जैसे इसमें कर रहे हैं। तो मैं जो कह रहा हूं वह यही है कि हाई कोर्ट ने जो समरी ट्रायल वाले कानून को अवैध किया है वह ठीक ही अवैध किया है। इसमें बहुत से गरीबों का खून हुआ। इसको ठीक करने के लिये हम कहते हैं कि अगर यह जनमत संग्रह हेतु घुमाया जाय तो यह सुझाव जरूर आ जायगा कि १९५६ के पहले जो एन्ट्री करा कर काबिज हो गये हैं उनकी भी बेदखली होने की कोई सूरत माननीय मंत्री जी को निकालनी चाहिये। मेरे क्षेत्र में रानीघाट और कुरमौता नाम की दो जगहें हैं। वहां सन् १९५६ में कुछ लोगों ने ८७ एकड़ जमीन लिखा ली। २१२ में वहां के गांव समाज से दावा करवा दिया गया और बड़ी मुश्किल से फैसला हमारे पक्ष में हुआ, लेकिन उसके बाद वह सिविल कोर्ट में चले गये और उसको रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि मारपीट हुई और वहां के प्राइमरी स्कूल को उस बंजर से एक सींक का टुकड़ा भी नहीं दिया और कानूनी अड़चनों में उसको डाल दिया गया। कानून तो हमारे पक्ष में है, लेकिन रेवेन्यू का जितना स्टाफ है उसकी हमदर्दी उस ८७ एकड़ जमीन को हड़पने वालों के साथ है। पूर्वी जिलों में ऐसा कब्जा बहुत ज्यादा इस समय है जिसमें गांव समाज की जमीन पर सभापतियों ने या भूतपूर्व जमींदारों ने कब्जा कर लिया और लाभ उठाया है। वे बड़े होशियार थे, पक्के थे, उन्होंने सन् १९५६ से पहले से उस पर कब्जा करके उस पर अपना नाम भी लिखा लिया और वह आज भी कब्जा किये हुये हैं। इसलिये ही हम कहते हैं कि इसको जनमत हेतु घुमाया जाय । दूसरी बात यह है कि अधिकतम जोत सीमा के सम्बन्ध में भी इसमें कुछ कानूनी तब्दीलियां की गई हैं। मैं कहता हूं कि इस तरह की जबरदस्त तब्दीलियां माननीय मंत्री जी को उसमें करनी चाहिये जो कि चीनी मिल मालिकों को छूट दी गई है, ज्वाइंट स्टाक कम्पनीज को छूट दी गई है, उनके पास बड़े बड़े फार्म्स हैं, जैसे मजीठिया, खेतान आदि के पास हैं, उसमें अधिकतम सीमा नहीं लगाई गई।

श्री हुकुमसिंह विसेन---आपने सीलिंग बिल पढ़ा है ?

श्री उग्रसेन---जी हां, पढ़ा है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---इट इज रांग ।

श्री उग्रसेन---मेरी जानकारी यही है कि चीनी मिलों के पास जो बड़े-बड़े फार्म्स हैं, उनके ऊपर नहीं लगाया जायेगा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---आप ऐक्ट में देख लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री जी इसे बाद में बतला देंगे ।

श्री उग्रसेन---जी हां, आप इसे बतला दीजियेगा ।

आप ने मैकेनाइज्ड फार्म्स रख दिया है। अगर आप ३० एकड़ की सीमा रखते और कहते कि किसी के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन होगी, तो उससे छीनकर वह भूमिहीनों में बांट दी जायेगी, तो ठीक था। आप इस तरह का संशोधन क्यों नहीं लाते हैं ? आज कहा जाता है कि भूमिहीनों की कोआपरेटिव बनेगी, लेकिन यह निश्चित बात है कि भूमिहीनों को जमीन नहीं मिलेगी। आज नायब तहसीलदारों को सीलिंग ऐक्ट को नाफिज करने के लिये जगह-जगह भेज दिया गया है। सी०एल०आर० डी० की बात है, तो माननीय गेंदा सिंह जी ने इनके सम्बन्ध में कह दिया कि जिस की सिफारिश होती है, उसके लिये कम रेट लग जाता है। भूतपूर्व जमींदारों को जो मुआवजा देने की बात थी, तो अगर सी०एल०आर०डी० को वह दिया,

तो वह खा गये, अगर वह मालगुजारी न दें, तो होता क्या है। नतीजा यह हुआ कि जमींदारों का रुपया वह खा गये और वे ७ वर्ष तक लगान देते रहे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि किस्तों में वसूल हो जायेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिये मेरा भी यही कहना है कि इसमें कुछ संशोधन करने से पहले जनता की राय ले लेनी चाहिये। आप बेदखली के बारे में कुछ सुधार करते तो ठीक था लेकिन इस सम्बन्ध में जनमत संग्रह करने की बहुत आवश्यकता है। यदि मूल बातों पर आप के परिवर्तन होते तो अच्छा था। इस सम्बन्ध में तो आप का तीसरा संशोधन विधेयक आ जायेगा। अभी दूसरा पास नहीं हुआ, लेकिन तीसरा भी आ जायेगा। इसलिये मेरा यही कहना है कि इसको जनमत संग्रह के लिये जनता में घुमाया जाय। आप के जो बार-बार संशोधन विधेयक आते हैं जैसे कि बिक्री कर के बारे में आता रहता है, इस से आप का कोई काम बनने वाला नहीं है।

(श्री नागेश्वर प्रसाद के खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—आप ५ मिनट लीजियेगा।

श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कुछ बातें बहुत विस्तार के साथ यहां पर माननीय राजस्व मंत्री जी और दूसरे माननीय सदस्यों ने रखी हैं। इस विधेयक में तीन, चार बातें मुख्य हैं, जो कि महत्वपूर्ण हैं और उनके संशोधनों को करने की बहुत आवश्यकता है। इसमें एक संशोधन के द्वारा ऐसी जमीन पर, जो कि गांव समाज के हाथ में है, अगर किसी ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है, तो उसको हटाने के सिलसिले में जरूरी कार्यवाही की जायेगी। इस तरह की जमीन बहुत पड़ी हुई है। इस तरह से लोग उस पर बेजा कब्जा कर लेते हैं जिससे किसानों को बहुत दिक्कत होती है। गांव समाज के चेयरमैनों ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि कार्यवाही करें, लेकिन कुछ कानूनी दिक्कतों के कारण वे कामयाब नहीं हो सके। इसलिये जो संशोधन किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि उचित है, क्योंकि इससे कार्यवाही करने में आसानी होगी। जो संशोधन आया है, वह महत्वपूर्ण है।

दूसरा संशोधन सरकार की तरफ से जो आया है, वह भी अच्छा है। सरकार सीरदार को तकावी लेने तथा सहकारी समितियों से कर्जा लेने के सम्बन्ध में जमीन को बंधक के रूप में रखने का अधिकार देने जा रही है। हमको अपने देश और प्रदेश में पैदावार को बढ़ाना है, हम को खेती का विकास करना है। उसके लिये यह जरूरी है कि किसानों को आसानी से कर्ज मिल सके। जब किसान का बैल मर जाता है तो उसको मजबूर हो कर कर्ज लेना पड़ता है, वह चाहे जिस रूप में भी ले, लेकिन उसको रुपये की जरूरत होती है और वह ज्यादा सूद पर भी रुपया लेता है। इस बिल के द्वारा सरकार ने जो कर्जा लेने की व्यवस्था की है, उसमें सीरदारों को कठिनाई नहीं होगी। मैं समझता हूं कि अब लोगों को काफी सुविधा होगी।

तीसरा संशोधन जो सरकार करने जा रही है, वह चकबंदी के सम्बन्ध में है। अभी तक इसमें यह था कि यदि कोई अपनी जमीन को मारगेज करना चाहे, तो उसको पूरा टुकड़ा देना पड़ता था, चाहे वह सीरदार और भूमिधार अलग-अलग क्यों न हो। इस विधेयक के जरिये से यह सुविधा दी गयी है कि यदि कोई भूमिधरी का टुकड़ा देना चाहता है तो उसका सीरदारी वाला हिस्सा बचा रहेगा। पहले मजबूर हो कर किसानों को अपनी जमीन निकालनी पड़ती थी। मैं समझता हूं कि अब किसानों को काफी सुविधा मिलेगी।

इसके अतिरिक्त श्री गेंदा सिंह जी ने जो दो तीन बातें कही हैं, उनकी ओर भी मैं ध्या न दिलाना चाहता हूं। उसके सम्बन्ध में मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि उस सम्बन्ध में अभी जल्दी में कोई संशोधन करना उचित न होगा। उसके लिये और कोई नया बिल लायें तो उचित होगा। सरकार को उस पर फिर से गौर करना चाहिय और अच्छी तरह विचार करके कोई कानून बनाये तो अच्छा होगा। हमारे पूर्व के जिलों में यह आम रिवाज हो गया है कि रुक्का लिखा कर महाजन खेत पर कब्जा लेते हैं और काबिज लिखाते हैं, जो आगे चलकर

[श्री नागेश्वरप्रसाद]

मुकदमे-झगड़े की जड़ बनते हैं। बहुतेरे लोग रेहननामा लिखाकर बैदार बनाने का नाजायज लाभ भोले और नासमझ किसानों से उठाते हैं। ऐसे मामलों की मुझे व्यक्तिगत जानकारी भी है। किसान बेचारा कानून तो जानता नहीं है, बहुत से चालाक लोग उस को बहका कर कर्जा दे कर कब्जा कर लेते थे, वह अब नहीं हो पायेगा। पहले उसको अपनी जमीन निकलने का खतरा था, लेकिन अब इस संशोधन के द्वारा वह चीज नहीं रह जायगी। कभी-कभी किसान अपनी जमीन को रेहन करने पर मजबूर हो जाता है, तो उस हालत में उसको सुविधा हो जायेगी। मैं समझता हूं कि यह एक अच्छी बात है। मान्यवर, जो कानून बनाये जाते हैं, वह इतने पेचीदा होते हैं कि जिनको वकील नहीं समझ सकते हैं, हमारे ऐसा साधारण आदमी या किसान के लिये उसका समझना बड़ा मुश्किल है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसान को बहकाते हैं कि जमीन को बेचो नहीं बल्कि उसे रेहन कर दो। किसान बेचारा समझता है कि यदि हम जमीन को रेहन कर देंगे तो कभी हम इसको छुड़ा भी सकते हैं। किसान कानून की पेचीदगियों को नहीं जानते हैं और वे इसके शिकार बन जाते हैं। यदि ऐसे कोई संशोधन लाये जायें तो अधिक अच्छा हो। हमारे यहां कोई ऐसी ऐजेंसी नहीं है जो कि जाकर किसानों में प्रचार करे, इसलिये मैं समझता हूं कि कानून के जरिये से ही इस प्रकार की सुविधा देना मुनासिब होगा। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर भी गौर करना चाहिये और उसको ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिये ताकि छोटे किसान इस चंगुल में न आयें और उनकी रक्षा हो सके।

तीसरी बात जिसके सम्बन्ध में कहा गया था यह है कि बागों का जोता जाना। इस सिलसिले में जो लगान लगाया गया है वास्तव में उसके लिये बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है और लेखपाल लोग चाहे बदला लेने की भावना से या कुछ नाजायज तरीके से रकम कमाने की भावना से या किसी भावना से हो, लेकिन बहुत से बागों को जो वाकई मौके पर मौजूद हैं, काश्त में दिखला देते हैं और उसकी मालगुजारी लग कर आ जाती है और कई साल की बराबर वसूल हो रही है बावजूद राजस्व मंत्री की इस हिदायत के कि लोग दरख्वास्त दें, हम जांच करायेंगे। क्योंकि सब के पास खबर पहुंच नहीं पाती है। अगर आप देखें तो आज इस तरह की बातें हर गांव में मिलेंगी और लोग इस तरह से परेशान किये जाते हैं। सरकारी कर्मचारी इस पचड़े में ज्यादा पड़ना नहीं चाहते, वे कहते हैं कि जांच कर ली जायगी। नतीजा यह होता है कि कई बार दौड़ने के बाद किसान मजबूर होकर बैठ जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सरकार अवश्य कोई प्रभावकारी कदम उठाये। मैं इन शब्दों के साथ विधेयक का समर्थन और श्री भीखालाल तथा श्री पुजारी जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, कोरम शायद नहीं है, जरा देख लिया जाय।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय गोविन्दनारायण तिवारी, आपके लिये ५-६ मिनट ही हैं। आप तो ५-६ मिनट में बहुत काफी कह सकते हैं।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—अच्छी बात है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भीखालालजी ने जो संशोधन दिया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं चाहता यह हूं कि यह बिल प्रवर समिति में भेजा जाय, उसकी परिधि भी बढ़ाई जाय। सन् १९५२ में यह कानून पास हुआ था। उसके बाद सन् १९५३, ५४, ५५, ५६, ५७ और ५८ में, प्रत्येक वर्ष में इसमें अमेंडमेंट हुआ और प्रत्येक वर्ष इस आदरणीय सदन के सदस्यों ने यह मांग की कि इस बिल को एक प्रवर समिति में भेज दिया जाय और हमेशा माल मंत्री महोदय या सरकारी पक्ष इस बात के लिये तैयार नहीं हुआ। अगर वह मांग पहले स्वीकार कर ली जाती तो इसे बार-बार अमेंड करने की आवश्यकता न पड़ती। आज भी बिल का अमेंडमेंट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो रहा है। जस्टिस देसाई की रूलिंग का जिक्र किया गया और कहा गया कि रूल ११५ सी से लेकर और तीन, चार रूल और अवैध करा दे दिये गये हैं। मेरा निवेदन है कि अगर यह बिल प्रवर समिति को नहीं जायगा और उसकी परिधि नहीं बढ़ायी जायगी तो जैसा अमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें भी वह सारा का सारा लेजिस्लेशन जो अवैध करार दे दिया गया है वह फिर भी वैलिड नहीं हो सकेगा। इसलिये उत्तर प्रदेश के लैन्ड लाज को ठीक से एग्जामिन करने के लिये यह जरूरी है कि श्री भीखालाल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय, यह जनता के हित में होगा और सरकार के भी हित में होगा।

जो अमेंडमेंट सरकार की ओर से लाया गया है इसलिये भी मैं इस बात को निवेदन करना चाहता हूं कि आज जैसा जमींदारी एबालिशन ऐक्ट है उसमें यह देखेंगे कि लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें जनता के चुने हुये लोग होते हैं, उसको भी हाकिम परगना साहब बरखास्त कर सकते हैं केवल इस बात पर कि चेयरमैन ने या फलां मेम्बर ने लापरवाही की। यह तो प्राविजन इसमें है कि लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी के चुने हुये लोग बरख्वास्त किये जा सकते हैं, मगर वह कलेक्टर जो शासन की सारी बागडोर बराबर अपने हाथ में लिये रहता है, वह हाकिम परगना जो रेवेन्यू ऐडमिनिस्ट्रेशन का पूरा मालिक होता है, वह तहसीलदार जो बराबर दौरा करता है और हर काम देखता है वह बराबर अपनी आंखों से देखता है कि गांव समाजों की सम्पत्ति को नष्ट किया जा रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कहते हैं और कानून में कोई प्राविजन नहीं है कि सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कोई दंड दिया जा सके। अगर श्रीमन्, गांव समाजों की सम्पत्ति की रक्षा होना है सही माने में तो सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कोई न कोई अंकुश होना जरूरी है।

इसी सिलसिले में मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि लेजिस्लेशन बन जाता है और मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है और मंत्री जी से भी अर्ज कर चुका हूं कि यह कानून दूसरे आदमियों के लिये बनाये जाते हैं, सत्तारुढ़ दल के लिये नहीं बनाये जाते हैं। यह जो लैन्ड लाज ऐक्ट बना हुआ है यह सत्तारुढ़ दल के लोगों को एप्लाई नहीं करता है। इसके लिये मैं एक ही प्रमाण इस आदरणीय सदन में देना चाहता हूं। वह यह है कि हमारे यहां जिला जालौन में सैकड़ों एकड़ जमीन पर कलेक्टर की जानकारी में, गवर्नमेंट की जानकारी में और मिनिस्टरों की जानकारी में, लोग कब्जा किये हुये हैं। मैं कलेक्टर को लेकर पहुंचा और मैंने कहा कि फलां आदमी उस जमीन पर कब्जा किये हुये है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। दुबारा कलेक्टर ने मुझसे कहा, तिवारी जी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, उस दफा मैं आपके साथ गया था तो लोग मुझसे नाराज हो गये हैं। मैंने गवर्नमेंट से निवेदन किया, माननीय हुकुम सिंह जी से निवेदन किया, माननीय चरण सिंह जी से निवेदन किया, लेकिन फल कुछ नहीं निकला। उल्टे उन्होंने मुझसे कहा कि तिवारी जी, आप तो किसी आदमी के पीछे ही पड़ जाते हैं। इसमें पीछे पड़ने की बात नहीं है, बल्कि प्रदेश की सारी की सारी जमीन को लोग लूट रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। आप एकतरफा कानून बरतना चाहते हैं। आपकी पार्टी के लोग सारी की सारी जमीन पर कब्जा किये हुये हैं, उनको आप छोड़ना चाहते हैं।

इसी सिलसिले में एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस कानून में कहीं यह नहीं है कि ग्राम समाज पर या उत्तर प्रदेश सरकार पर कोई मुकदमा दायर किया जाय तो कलेक्टर को उसका कम्प्रोमाइज कराने का अधिकार होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार की तरफ से कलेक्टर को कम्प्रोमाइज कराने का कोई अधिकार नहीं है। सत्तारूढ़ दल के लोगों ने बहुत से दावे दायर किये और उसमें कलेक्टर के ऊपर दबाव पड़ा तो उसने उनका तसफिया करा दिया। मैं कहूंगा कि जिला जालौन के रैला गांव और मवई गांव की जमीनों के मामले में कलेक्टर साहब ने तसफिया कराया। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस तरह से कलेक्टर को किसी जमीन के देने का अधिकार नहीं है। अगर यह अधिकार रहेगा तो प्रत्येक

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

जिले की जमीन दूसरों के हाथ में चली जायगी और कलेक्टर अपने तबादले पर चला जायगा।

श्रीमन्, इस की परिधि बढ़ाने का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। १९०१ के बाद बंटवारे होते नहीं हैं जैसे कि जमींदारी में होते थे। उनसे मालूम हो जाता था कि फलां खेत किस का है और फलां किसका है। अब सब से बड़ी समस्या यह है कि जहां परती पड़ी हुई है वह अनिश्चित है कि यह किसकी है। गांव समाज उसको अपनी जमीन बताता है और गांव के किसान अपनी बताते हैं। वे कहते हैं कि यह गोबर डालने की जगह है, यह खलिहान की जगह है। दस वर्ष हो गये हैं, इस बात की आवश्यकता थी कि सरकार की तरफ से सेटिलमेंट कराया जाता। १९०१ के सैटिलमेंट को अब ६० वर्ष हो गये हैं और देहात के जन-जीवन में यह व्यवस्था बराबर चली जा रही है। इसलिये अगर इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और इसकी परिधि बढ़ाई जाय तो यह सैटिलमेंट की बात निश्चित हो जाय और अगर यह निश्चय हो जाय तो बहुत से झगड़े और मुकदमेबाजी दूर हो जायगी।

इस सिलसिले में एक बात और निवेदन कर दूं कि जो यह माल के मुकदमे होते हैं कि इनके लिये एस०डी०ओज० के पास समय नहीं होता है। अगर सही माने में इनका फैसला होना है तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जुडीशियल आफिसर्स बनाये जायें। वे माल के मुकदमों का फैसला करें। रेवेन्यू जुडीशियरी को अलग कर दें। डिप्टी कलेक्टर, जिनके पास समय नहीं है, जो किसानों और मुकदमे वालों को केवल परेशान करते हैं, उनके हाथ से इन मुकदमों को निकाल लिया जाय। इन सब बातों को दृष्टि में रख कर मंत्री महोदय इन सब बातों को मान लें कि इस विधेयक की परिधि बढ़ायी जाय और यह प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

*श्री भीखालाल—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव का करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया, लिहाजा मुझे कोई और बातों का जवाब नहीं देना है। अगर माननीय मंत्री जी पहले बोल जाते तो शायद हम लोगों को कुछ नयी बातों का जवाब देने का मौका मिलता, लेकिन वह नहीं बोले। मैं माननीय तिवारी जी का आभारी हूं कि उन्होंने कुछ ऐसे तथ्य मेरे प्रस्ताव के समर्थन में जोड़े हैं जिससे इस चीज पर प्रकाश पड़ता है कि आवश्यकता है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय। माननीय रामलखन मिश्र जी ने भी उस बात को दोहराया। माननीय गेंदा सिंह ने जिन बातों को कहा, वह ठीक हैं। उन्होंने इस तरफ भी संकेत किया कि प्लानिंग कमीशन ने भी इन बातों को उठाया है और शायद प्रदेशीय सरकार को लिखा है कि इनमें कुछ संशोधन किया जाय। तो मैं समझता हूं कि यह मेरे प्रस्ताव की पुष्टि है और माननीय गेंदा सिंह के सुझावों की पुष्टि है कि इसमें व्यापक रूप से संशोधन करने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को रखता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैंने जो जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा है और जिन्होंने प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को रखा या समर्थन किया है दोनों की मंशा में अन्तर नहीं है। दोनों यह चाहते हैं कि सरकार जरा रुके। सरकार रूपी हाथी की जो चाल है कि कोई मरे, कोई जिये उसमें कोई रोकथाम न हो, इतने महत्वपूर्ण विषय का संशोधन एक घंटे या एक दिन में पास नहीं होना चाहिये। सभी सदस्यों ने कहा कि इसमें कुछ वृहत् सिंहावलोकन करने की आवश्यकता है। मेरा भी यह कथन था कि सदन के सदस्यों के साथ बाहर के लोगों का भी मत संग्रह किया जाय। इस लिये प्रवर समिति के प्रस्ताव और मेरे प्रस्ताव की मंशा एक है। वह यह है कि इस महत्वपूर्ण विषय को इतनी जल्दी पास न किया जाय, अन्य लोगों की भी राय ले ली जाय। मैं आशा करता हूं कि मेरी मंशा को सरकार समझेगी और इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र भीखालाल जी, अवस्थी जी और गेंदा सिंह जी की बातों को सुना। उनकी बातों को समझने की कोशिश भी की, लकिन जहां तक अवस्थी जी का संबंध है, मैं तो केवल यही कहूंगा कि उन्होंने अपनी तकरीर में कानून शहादत में जो रेलेवेंसी का चैप्टर है, उसको मद्देनजर नहीं रखा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं वकील नहीं हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—तभी तो आप समझे नहीं और यह है कानून का मामला। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने तमाम बातें ऐसी कहीं कि जिनका उनके संशोधन से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उनकी सारी तकरीर का जो इम्प्रेशन मेरे ऊपर पड़ा वह मैं निवेदन कर दूं। एक बात उन्होंने कही थी कि जमींदारी एबालीशन से क्या फायदा हुआ? मैं उससे यही समझा, सीधे माने तो उसके यही मालूम होते हैं कि आप जमींदारी एबालीशन के खिलाफ हैं। आप नहीं चाहते थे कि जमींदारी एबालीशन हो लेकिन अब वह हो गया। अब तो वह फिर पनप नहीं सकता। तो मैं यह अर्ज करता हूं कि जमींदारी एबालीशन से फायदे जो हुये हैं वह देहात में जाकर आप देखिये, देहात का किसान आज सिर ऊंचा करके मूंछें ऊंची करके चलता है। अब तक....

श्री मोतीलाल अवस्थी—वकील लोग ऐसा ही समझाते हैं।

श्री हुकुम सिंह विसेन—मैं वकील नहीं हूं। वकालत मैं नहीं करता। आप चाहे मास्टरी करते हों, मैं सोलह वर्ष से वकालत नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) अगर मास्टरी नहीं करते हैं तो बड़ा अच्छा है, लड़कों का बड़ा भाग्य है। नहीं तो ऐसी गलत बातें उनको बताते कि वह कभी पास ही न होते। कानपुर में लड़के बहुत फेल हुये हैं, यह मैंने इसी सदन में सुना था।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि किसान की हालत या तो मेरे दोस्त जानते नहीं (व्यवधान) यहां के व्याख्यान से किसान पर कोई असर नहीं पड़ता। आप देहातों में जाइये, जाकर देखिये। मेरा संबंध गांवों से है। कानपुर जैसे बड़े शहर से नहीं है। देहात में मैं बहुत जाता हूं। जब छुट्टी होती है, तब जाता हूं। आप अपने गांव में न जाना पसन्द करते होंगे, क्योंकि आपको तकलीफ होती होगी, लेकिन मैं वहां जाता हूं और जाकर के उन्हीं गांव वालों के बीच में बैठता हूं। जाड़े के दिनों में जाता हूं तो पयाल पर बैठता हूं, रजाई ओढ़कर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय अवस्थी जी, बार-बार बीच में टोकें नहीं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो जूता काटने लगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं गांव की हालात से वाकफियत रखता हूं, क्योंकि मैं उनसे सम्पर्क रखता हूं। अभी यह कहा गया कि जब आप जायेंगे बैल की जोड़ी में वोट डलवाने तो वह आपसे सवाल करेंगे। मैं कहता हूं कि वह मुझसे रोज सवाल करते हैं और मुझे दावा इस बात का है कि कानपुर ऐसे क्षेत्र के काश्तकार चाहे अनाड़ी हों, लेकिन हमारे यहां के काश्तकार काफी समझदार हैं। वह मामूली जवाब से मुतमईन नहीं होते, लेकिन यह भी मुझे दावा है कि मैं उन्हें मुतमईन कर देता हूं और वह समझ जाते हैं कि सरकार जो कुछ कर रही है उनकी भलाई के लिये कर रही है, उनकी बहबूदी के लिये कर रही है। जहां तक भीखा लाल जी के संशोधन का संबंध है इसमें देरी होने की गुंजाइश है और हम यह चाहते हैं कि हमारे ११५-सी से लेकर एच तक के रूल्स को हाई कोर्ट ने अल्ट्रा-वाइरस करार दे दिया है, हजारों की तादाद में हमारे मुकदमे पेंडिंग हैं और वह ऐसे पेंडिंग हैं जैसे कि हमारे भाई अवस्थी जी ने फरमाया, उन्होंने बात छिपायी नहीं और खासकर घाटमपुर की तहसील की, जहां के वे रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वहां ऐसे लोग बहुत हैं जो जबरदस्ती कब्जा किये हुये हैं गांव समाज की जमीन पर। हमारे मित्र जो इस तरह से गासिबाना तरीके से

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

किसी प्रापर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं उनकी रक्षा के लिये कभी तैयार नहीं होंगे और अगर वह तैयार होते हैं तो मुझे उसका बड़ा दुख है। गांव समाज की जो प्रापर्टी है वह पब्लिक प्रापर्टी है। उस पर अगर कोई गासिबाना तरीके से कब्जा कर ले या किसी प्रापर्टी को नुकसान पहुंचाये या कोई रकम एम्बैजिल कर ले तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होना अनिवार्य है और हजारों की तादाद में हमारे मुकदमे पेंडिंग हैं जैसा कि हमारे मित्र ने ही कहा कि घाटमपुर तहसील में बंडल के बंडल बंधे हुये रखे हैं। अगर यह कानून पास नहीं होगा तो वह मुकदमे सब खारिज हो जायेंगे। इस तरह से हमारे गांव समाज की प्रापर्टी की हिफाजत नहीं हो पायेगी। इसलिये यह जरूरी है कि इसे पास किया जाय। परसों मुझसे अवस्थी जी से यहीं इसी जगह बात हुई थी। मैंने कहा कि २२-बी रख रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत जरूरी था उसको रखना। और आज उन्होंने इसके धज्जे-धज्जे उड़ाने की कोशिश की। तो अब मैं उनकी कौन सी बात मानूं, परसों वाली मानूं या आज वाली मानूं ?

श्री उग्रसेन—आज वाली मानिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—नहीं, मैं तो परसों वाली मानूंगा, जबकि वह सावधान होकर बात कर रहे थे। हमारे माननीय सदस्य सभी ने महसूस किया है इस बात को कि हां, यह बहुत जरूरी दफा है। उसके बाद सवाल पैदा हुआ कि सीरदारों को पूरी छूट दे दी जाय, वह जैसे चाहें ट्रांसफर कर दें, मारगेज कर दें। इस के पीछे एक तवारीख है। जमींदारी एबालिशन के सिलसिले में एक कमेटी बनी थी १९४९ में, उसमें तीन महीने तक बहस मुबहसा रहा। उसके चेयरमैन गोविन्द बल्लभ पंत जी थे, जो बुद्धि के सागर थे। उनके वक्त में यह सिद्धांत माना गया था कि टाइटिल और पजेशन एक ही आदमी के हक में रहना चाहिये। जब इंटरमीडियरीज को हम निकाल रहे हैं, जमींदारों और तालुकेदारों को हम निकाल रहे हैं तो जमीन टिलर आफ दि स्वायल के पास ही रहनी चाहिये। उसमें बड़े-बड़े लोगों की एविडेंस हुई और यही तय हुआ कि सबलेटिंग और ट्रांसफर बन्द कर दिया जाय। अंदेशा यह था कि अगर यह बन्द न हुआ तो धनीमानी लोग सारी जमीन अपने नाम ट्रांसफर करा लेंगे और जिन छोटे किसानों की उग्रसेन जी और अवस्थी जी ने वकालत की है वह बड़े आदमियों के फंदे में फंस जायेंगे और लैन्डलेस हो जायेंगे। इसी वजह से भूमिधर के ट्रांसफर में भी नियंत्रण रखा गया है और सीरदार को ट्रांसफरेबिल राइट्स नहीं दिये गये। इस के पीछे एक मौलिक सिद्धांत है, कोई हवाई बात नहीं है। अब भी हमें खतरा है कि अगर हम गेंदा सिंह जी या अपने अन्य साथियों की यह बात मान लें और उनको फ्री छोड़ दें तो नतीजा यह होगा कि थोड़े दिनों बाद गरीबों के पास खेत नहीं रह जायेंगे और बड़े आदमियों के पास सारी जमीनें चली जायेंगी। मैं ऐसा नहीं समझता कि फ्री राइट देने के मायने यह हो जायेंगे कि हम बड़े आदमियों की मदद कर रहे हैं। लेकिन यह बदगुमानी फैल सकती है।

माननीय गेंदा सिंह जी ने छूट की बात कही। कहा कि वह ५० फीसदी नुकसान पर मिलती है, इसलिये इसकी परिधि बढ़ाई जाय। उसके लिये जमींदारी एबालिशन की दफा २६८ है और उसमें कुछ नहीं है। यह बात नियमों में है। अगर आपको इसमें सुधार कराना है तो नियमों में सुधार किया जा सकता है। लिहाजा यह दलील नहीं हो सकती कि चूंकि नियमों में सुधार करना है, इसलिये विधेयक की परिधि बढ़ायी जाय।

मेरे मित्र गोविन्द नारायण जी ने कहा कि सरकार ने गांव की परती जमीन का सेटिलमेंट नहीं किया। सरकार को सेटिलमेंट कराना चाहिये था। मैं कैसे कहूं कि उन्होंने दफा देखी नहीं। दफा २५२ है जो जमींदारी एबालिशन की उसमें क्लियरली लेडाउन किया गया है कि इस ऐक्ट के लागू होने के ४० साल बाद तक कोई सेटिलमेंट नहीं हो सकता। आपने इस सदन से ही ऐसा कानून बना रखा है कि ४० वर्ष तक सेटिलमेंट नहीं करेंगे और सन् १९५१ में

वह कानून पास हुआ था, लेकिन क्या अब आप चाहते हैं कि हम सेटिलमेंट करके मालगुजारी को बढ़ायें ? सेटिलमेंट के यही मानी होते हैं कि मालगुजारी घटायी या बढ़ायी जाय। और घटती तो बहुत कम है बढ़ती ही है। इस बात को करके गवर्नमेंट के हाथ में वह औजार देना चाहते हैं जिससे लाखों भूमिधरों की तबाही हो जाय।

श्री उग्रसेन--फिर आपने बाढ़ के इलाकों का कैसे किया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तो फिर आप सेटिलमेंट के मानी ही नहीं समझते हैं। वहां तो सर्वे हुआ था।

इसके अलावा सी०एल०आर०डी० स्कीम के बारे में भी शिकायत की गयी। ऐसे तमाम केसेज जहूर में आये कि १०-१० बर्ष से लोग काबिज हैं और मालगुजारी एक पैसा भी नहीं देते हैं। जमींदारी एबोलीशन के बाद रद्दोबदल हुई और लोगों ने जमीन ली, लेकिन रिकार्ड में न होने के कारण एक पैसा भी नहीं देते हैं और रिकार्ड की खामियों की वजह से नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं समझता हूं सदन का कोई भी सदस्य इस बात को पसंद न करेगा कि कोई आदमी जमीन को जोते, लेकिन मालगुजारी अदा न करे। इस प्रकार की ट्रेसपासिंग को कोई एनकरेज नहीं करना चाहेगा, लेकिन फिर भी हम उनको कोई तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते। उसके लिये हमने यह कर दिया है कि अगर किसी के पास १० साल की मालगुजारी बाकी है तो वह एक साल की इस वर्ष की और एक साल की बकाया इस तरह से देकर १० साल में अदा कर सकता है। इस तरह की सुविधा हम उनको देने के लिये तैयार हैं।

एक बात और गोविन्द नारायण जी ने कही, जिसको सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। उन्होंने यह कहा कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय ताकि जल्द-जल्द तरमीम करने की जरूरत न पड़े। उन्होंने कहा कि सन् १९५१ में जमींदारी एबोलीशन बिल पास किया गया था और सन १९५२, ५३, ५६, ५७ और ५८ में उसकी तरमीम हुई, लेकिन शायद गोविन्द नारायण जी को यह मालूम नहीं है कि वह बिल भी सेलेक्ट कमेटी में गया था और महीनों सेलेक्ट कमेटी के पास रहा और उसने सोच समझ कर तरमीम की, लेकिन फिर भी इतनी तरमीमों की उसमें जरूरत हुई। लिहाजा उनका यह कहना कि सेलेक्ट कमेटी में जाने से तरमीम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक नहीं है। जैसे-जैसे परिस्थितियां बदलती जायेंगी वैसे वैसे कानून भी बदलता जायगा। इसलिये उनका यह कहना कि सेलेक्ट कमेटी में भेजने से तरमीम नहीं करनी पड़ेगी सही नहीं है। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन की मुखालिफत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन १५ दिन के अन्दर प्रस्तुत करे और समिति को परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, १९६१ को जनमत संग्रह के लिये वितरित किया जाय। एक माह के जनमत संग्रह के पश्चात् प्रतिवेदन के साथ सदन में प्रस्तुत हों।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २—३

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम १९५१ ई० का, उ० प्र० अधिनियम संख्या १ का संशोधन।

२—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में—

(१) धारा १२२-क के पश्चात् नई धारा १२२-ख के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय और सदैव से ही इस प्रकार बढ़ाया गया समझा जाय:

भूमि प्रबन्धक समिति और कलेक्टर के अधिकार।

"१२२-ख (१) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन गांव समाज या स्थानिक अधिकारिकी में निहित किसी सम्पत्ति को किसी व्यक्ति द्वारा क्षति (damage) पहुंचाई जाय या उसका दुर्विनियोजन किया जाय (misappropriated); या यदि उसमें इस प्रकार निहित किसी भूमि, या ऐसी किसी रिक्त भूमि या किसी भूमि पर, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कब्जा करने का उसे हक है, कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों से भिन्न किसी प्रकार से अध्यासित हो जाय तो, भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानिक अधिकारिकी, जैसी भी दशा हो, सम्पत्ति को पहुंचाई गई क्षति, या उसके दुर्विनियोजन (misappropriation) के लिये प्रतिकर की वसूली करने और दोषपूर्ण अध्यासन के कारण हुई क्षति की पूर्ति और भूमि का कब्जा वापस लेने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(२) यदि भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानिक अधिकारिकी, उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार दोषपूर्ण अध्यासन (wrongful occupation) के दिनांक से छः मास, और क्षति या दुर्विनियोजन के दिनांक से एक मास, की अवधि के भीतर कार्यवाही न करे तो कलेक्टर, उस मामले को छोड़कर जिसमें आगम (title) का वास्तविक प्रश्न (bonafide question) अन्तर्ग्रस्त हो, भूमि प्रबन्धक समिति के सभापति, सदस्य या सेक्रेटरी या स्थानिक अधिकारिकी, जैसी भी दशा हो, के प्रार्थना-पत्र पर, या उसकी जानकारी में किसी अन्य प्रकार से आये हुए तथ्यों के आधार पर उस व्यक्ति की, जिसने भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन कर रखा है, बेदखली के लिये और भूमि के दोषपूर्ण अध्यासन के लिये, तथा सम्पत्ति को पहुंचाई गई क्षति या उसके दुर्विनियोजन के लिये, प्रतिकर की वसूली के निमित्त कार्यवाही कर सकता है।

(३) उपधारा (२) के अधीन की गई किसी कार्यवाही में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो नियत की जाय।

(४) उपधारा (२) के अधीन कलेक्टर का निर्णय, सक्षम क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय के समक्ष क्षुब्ध पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम तथा निश्चायक होगा, भले ही किसी अन्य विधि में कोई विपरीत बात दी गयी हो।

(५) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली १९५२ के ११५-ग से ११५-ज तक के नियम, इस अधिनियम द्वारा

यथासंशोधित १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अधीन बनाये गये और सदैव से ही उसके अधीन बनाये हुए समझे जायेंगे, मानो यह धारा सभी सारवान दिनांकों पर प्रचलित थी ।

(२) धारा १५३ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— धारा १५३ का संशोधन ।

"१५३ (२) सीरदार, ऐसी परिस्थितियों में जो नियत की जायं, कब्जा दिये बिना अपनी जोत में अपने स्वत्व को, तकावी के रूप में राज्य सरकार से, या सहकारी समिति से, लिये गये ऋण के लिये प्रतिभू (security) के रूप में बन्धक रख सकता है और अपनी जोत में अपने स्वत्व को सिवाय उसके उस भाग के जो उक्त प्रकार से बन्धक रखा गया हो, कृषि, उद्यानीकरण तथा पशु-पालन की शिक्षा से सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिये किसी स्वीकृति (recognized) शिक्षा संस्था को दान द्वारा संक्रामित कर सकता है ।"

(३) धारा १६८-क की उपधारा (१) में शब्द "वह पूरा गाटा, जिसका वह टुकड़ा एक भाग है एतद्द्वारा संक्रामित किया जाय" के स्थान पर शब्द "यह पूरा गाटा, या उसका उतना भाग, जिसमें उस व्यक्ति को भूमिधारी अधिकार हो, जो टुकड़े से संबद्ध हो, एतद्द्वारा संक्रामित किया जाय," रख दिये जायं । धारा १६८ का संशोधन ।

(४) धारा १८३ के अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर एक "कोलन" रख दिया जाय और तत्पश्चात् उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय: धारा १८३ का संशोधन ।

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खाता या उसका कोई भाग समर्पित न किया जायगा यदि वह धारा १५३ की उपधारा (२) के अधीन बन्धक रख दिया गया हो और बन्धक का पूर्णतः मोचन (redeemed) न हुआ हो ।"

(५) धारा १८६ की उपधारा (४) के अन्त में आये हुए "पूर्ण विराम" के स्थान पर "कोलन" रख दिया जाय और तत्पश्चात् उसके प्रतिबन्धत्मक खण्ड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय: धारा १८६ का संशोधन ।

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन किसी खाते (holding) या उसके भाग के लिये कोई प्रख्यापन न किया जायगा, यदि वह धारा १५३ की उपधारा (२) के अधीन सीरदार द्वारा बन्धक रख दिया गया हो और बन्धक का पूर्णतः मोचन न हुआ हो और ऐसी दशा में तहसीलदार, ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, ऋण की वसूली के लिये कलेक्टर को लिखेगा ।

(६) धारा २४०-ज की उपधारा (२) के खंड (ख) में शब्द "डिस्ट्रिक्ट जज के पास" के स्थान पर "सक्षम क्षेत्राधिकारयुक्त न्यायालय को" रख दिये जायं । धारा १४०-ज का संशोधन ।

(७) धारा २४०-ज में शब्द "सम्मिलित हो" और शब्द "तो" के बीच में शब्द, कोष्ठक, कामा तथा अंक "और यदि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ की धारा ४९ के खंड (२) के अधीन कार्यवाहियां उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३, जैसा कि उसका रूप उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ द्वारा उसके संशोधित किये जाने के पूर्व था, के अनुसार की जा रही हो" रख दिये जायं । धारा २४०-जज का संशोधन ।

धारा २९४ का संशोधन ।

(८) धारा २९४ की उपधारा (२) में खंड (ङ) के पश्चात् नये खंड (ङङ) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:

"(ङङ) धारा २७९ के अधीन आदेशिकाओं (processes) के सम्बन्ध में अदा किये जाने वाले शुल्क या व्यय,"

धारा ३३१ का संशोधन ।

(९) धारा ३३१ में :

(क) उपधारा (१) में शब्द "अन्य व्यवहार (proceeding) की" तथा "सिविल" के बीच में शब्द "या ऐसे वाद कारण (cause of action) पर आधारित वाद, प्रार्थना-पत्र या अन्य व्यवहार की जिसके सम्बन्ध में किसी ऐसे वाद या प्रार्थना-पत्र द्वारा कोई अनुतोष (relief) प्राप्त किया जा सकता था" रख दिये जायं, और (ख) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:

"स्पष्टीकरण: यदि वाद कारण ऐसा हो जिसके सम्बन्ध में माल न्यायालय द्वारा अनुतोष दिया जा सकता है, तो यह बात सारवान नहीं (immaterial) कि दीवानी न्यायालय (civil-court) से मांगा गया अनुतोष उस अनुतोष के ठीक समान (identical) न हो, जिसे माल न्यायालय (revenue court) ने दिया होता" और

अनुसूची २ का संशोधन ।

(१०) अनुसूची २ की क्रम-संख्या ३४ के स्तम्भ २ में अंक तथा अक्षर "२२९-ख" और "२२९-ग" के पहले अंक तथा कामा "२२९", रख दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६१) का संशोधन ।

३—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० में—

धारा ४३ का संशोधन ।

(१) धारा ४३ में शब्द "इस अधिनियम के अन्तर्गत" के पहले शब्द तथा कामा "धारा १६ की उपधारा (३) के अधीन आपत्ति सुनने के अधिकार को छोड़कर," रख दिये जायं, और

अनुसूची का संशोधन ।

(२) अनुसूची के भाग १ में मद (ख) की उप-मद (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(३) यदि असामी के पास भूमि किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये हो तो उस धनराशि में से, जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गयी हो, मद (ङ) (३) में दिये गये उपबन्धों के अनुसार असामी को देय धनराशि को घटा कर बची हुई धनराशि ।"

*श्री गेंदा सिंह—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

"खंड २ में प्रस्तावित नई धारा १२२–ख की उपधारा (१) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

'और अन्तिम निर्णय होने के पहले भूमि पर अध्यासन करने अथवा संपत्ति को क्षति पहुंचाने तथा दुर्विनियोजन से रोकने के लिये अविलम्ब कार्यवाही करेगा ।' "

श्रीमन्, जो इस समय हम व्यवस्था करने जा रहे हैं वह यह है कि कोई व्यक्ति अगर गांव समाज की जमीन का दुर्विनियोजन करता है, या गांव समाज की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है या गांव समाज की किसी भूमि पर जबर्दस्ती कब्जा करना चाहता है तो उसके लिये मुकदमा करने का एक प्राविजन किया गया है और मुकदमा करके उसको रोकने की कार्यवाही की जायगी । मेरा इस संशोधन का अर्थ यह है कि वह तो कार्यवाही की जायगी, लेकिन मुकदमे के निर्णय होने में कुछ विलम्ब हो सकता है । इसलिये मैं ऐसा सोचता हूं कि जिस वक्त यह सूचना मिले और वह मुकदमा चलाने का या कोई कार्यवाही करने का इरादा अधिकारी करे तो उसको फौरन यह भी अधिकार होना चाहिये कि वह तुरन्त उस काम से रोकने की भी कार्यवाही करे । मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से अदालत उसे तुरन्त कार्यवाही करके रोक सकती है उसी तरह से उसको भी अधिकार हो कि जो भी उस कार्यवाही को करे उसको करने से वह अधिकारी रुकवा सके ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसको जरा साफ कर दीजिये ।

श्री गेंदासिंह—१२२ (ख) में आपने रखा है—

"(१) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन गांव समाज या स्थानिक अधिकारिकी में निहित किसी सम्पत्ति को किसी व्यक्ति द्वारा क्षति (damage) पहुंचाई जाय या उसका दुर्विनियोजन किया जाय, या यदि उसमें इस प्रकार निहित किसी भूमि, या ऐसी किसी रिक्त भूमि या किसी भूमि पर, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कब्जा करने का उसे हक है, कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों से भिन्न किसी प्रकार से अध्यासित हो जाय तो, भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानिक अधिकारिकी, जैसी भी दशा हो, सम्पत्ति को पहुंचाई गई क्षति, या उसके दुर्विनियोजन (misappropriation) के लिये प्रतिकर की वसूली करने और दोषपूर्ण अध्यासन के कारण हुई क्षति की पूर्ति और भूमि का कब्जा वापस लेने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगा ।"

तो अब मैं यह समझता हूं कि इस कार्यवाही के करने में और इस मुकदमे के फैसले में देर लग सकती है, इसलिये अगर कोई क्षति करता है तो उसको रोकने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाय । मैं समझता हूं कि यह मामला ऐसा है जिसकी तरफ शायद पहले किसी का ध्यान न गया हो, इसलिये यह बात न हुई हो । इस बिल का जो मकसद है उस मकसद को पूरा करने में मेरा यह संशोधन मददगार होगा; तो इसके ऊपर भी सोच लिया जाय तो अच्छा होगा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, इसमें कुछ गलतफहमी है क्योंकि १२२–बी सब क्लाज (१) में लैंड मैनेजमेंन्ट कमेटी और लोकल अथारिटी को पावर दी गई है कि ऐक्शन ले और सब क्लाज (२) में, अगर वह ऐक्शन न ले, तो कलेक्टर को पावर दी गई है । तो पहले वाले में तो उसको अधिकार है । १२२-ए में प्रिजर्वेशन का राइट है । यह ड्यूटी चार्ज की गई है कि गांव समाज और लैंड मैनेजमेंट कमेटी पर कि वह प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे । तजुर्बे ने यह बताया है कि अक्सर वह करते कुछ नहीं हैं, मिल जाते हैं या लापरवाही करते हैं । तो इस वजह से १२२–बी०, सब क्लाज (२) में रखा है कि कलैक्टर को पावर हो, अन्डर रूल्स टु बी प्रेस्क्राइब्ड, कि वह समरी प्रोसीजर से ऐक्शन ले । अगर माननीय गेंदासिंह जी की बात मानते हैं तो वह गांव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

समाज या लैंड मैनेजमेंट कमेटी करेगी क्या ? यही कि कलेक्टर के यहां दरख्वास्त दे, लाठी लेकर तो कुछ करेगी नहीं । उसके लिये वही चारा है । तो इस जगह पर यह बात बैठती नहीं है । मैंने जो सवाल किया था उससे मैंने अन्दाजा लगाया । मेरे मित्र को शायद यह खयाल है कि कलेक्टर के लिये । तो उसके लिये नहीं है । वह तो लैंड मैनेजमेंट कमेटी और लोकल अथारिटी के लिये है । लिहाजा सब क्लाज (१) में यह फिट नहीं होता है किसी तरह से, इसलिये मैं अपोज करता हूं वरना आइडिया बहुत अच्छा था ।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—मैं यह जानना चाहता हूं कि आम तौर पर होता यह है कि सभापति लोग खुद कब्जा कर लेते हैं और मेम्बर लोग कुछ नहीं कहते तो क्या होगा ?

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—श्रीमन्, जो माननीय गेंदासिंह जी का संशोधन है मैं उसका समर्थन करता हूं । मैंने मंत्री जी को सुना । मुझे ताज्जुब हुआ कि वह संशोधन की मंशा को पकड़ नहीं पा रहे हैं । सिविल प्रोसीजर में ऐसा है कि किसी रुपये की डिग्री देनदारी होने के पहले....

श्री उपाध्यक्ष—१२२-ए जो मूल अधिनियम में है, आप पहले उसको पढ़ लें । उसके बाद इसकी जरूरत हो तो बोलें । मंत्री जी का कहना है कि १२२-ए में यह प्राविधान है, तो यह रिडन्डेन्ट सा मालूम होता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरी बात भी तो सुन लें । मैं तो कहता हूं कि इसकी आवश्यकता है । यह तो अपने-अपने मत की बात है । १२२-ख में किसी डैमेज या मिसएप्रोप्रियेशन के संबंध में जो कार्यवही करने की स्थिति है वह अपनी जगह पर मौजूद है । परिस्थिति यह है कि जब डैमेज या मिसएप्रोप्रियेशन की स्थिति आ जाय उस समय इस सेक्शन के अन्तर्गत एक मुकदमा दाखिल होगा और उसमें कार्यवाही होगी । लेकिन देखा यह गया है कि मुकदमें बहुत लम्बे चलते हैं और जो डैमेज है वह बराबर होता रहता है । तीन प्रोसीजर हैं हमारे पास । किसी डिग्री होने के पहले भी कुर्की हो जाया करती है । जहां तक मैं समझ पाया हूं इसका मंशा केवल यही है कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई क्षति होने वाली हो दुर्विनियोजन होने वाला हो उसके पहले अगर यह स्थिति दिखाई पड़े कि फैसला होने के पहले रोकथाम न की जा सकी तो सचमुच क्षति हो जायगी और दुर्विनियोजन हो जायगा, ऐसी हालत में एक यह भी चीज शरीक कर ली जाय जिससे कि एक प्रकार का रेस्ट्रेनिंग आर्डर पहले से हो जाय कि तुम इस काम से रोके जाते हो । और रोके जाने का जो इसके अन्तर्गत प्राविधान रखा गया वह यह है कि यह कार्य भूमि प्रबन्धक समिति की ओर से हो । माना कि भूमि प्रबन्धक समिति की ओर से जो सूट चलेगा वह किसी अधिकारी की कचहरी में होगा और उस अदालत में इस अन्तिम धारा के अन्तर्गत जो धारा १२२ (ख) (१) के अन्तर्गत रखी गयी है उसके दो हिस्से हैं जिनके अलग-अलग फंक्शन हो जायेंगे । पहला तो क्षति जो हो रही है गांव की भूमि को उसका फैसला हो और दूसरे का मतलब यह है कि वह कार्य होने के पहले एक रेस्ट्रेनिंग आर्डर हो जायगा जिससे डैमेज रोका जा सके ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—रेस्ट्रेनिंग आर्डर कौन करे ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—अदालत करे ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—सब क्लास (१) में अदालत कहां आती है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—जिस कोर्ट में दफा १२२ (ख) के अन्तर्गत मुकदमा चलेगा उस कोर्ट को अधिकार है १२२(ख) (१) की उपधारा (२) के अन्तर्गत कि रेस्ट्रेनिंग आर्डर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निकाले । तो एज ए प्रिकाशनरी मेजर यह किया जाता है । मैं समझता हूं मंशा साफ है और रिडन्डेंट होने की कोई शंका नहीं है और अपने स्थान पर यह उचित प्रस्ताव है ।

(इस समय ४ बजकर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं । गांव समाज की भूमि को कोई क्षति पहुंचा रहा है या अनअथारइज्ड पजेशन है तो गांव समाज और वहां की लोकल अथारिटी को अधिकार है कि कलेक्टर से शिकायत करे । और इसमें लिखा है "यदि भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानिक अधिकारिकी, उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार दोषपूर्ण अध्यासन (wrongful occupation) के दिनांक से ६ मास, और क्षति या दुर्विनियोजन के दिनांक से एक मास, की अवधि के भीतर कार्यवाही न करे तो कलेक्टर, उस मामले को छोड़ कर जिसमें आगम (title) का वास्तविक प्रश्न (bonafide question) अन्तर्ग्रस्त हो, भूमि प्रबन्धक समिति के सभापति, सदस्य या सेक्रेटरी या स्थानिक अधिकारिकी, जैसी भी दशा हो, के प्रार्थना-पत्र पर, या उसकी जानकारी में किसी अन्य प्रकार से आये हुये तथ्यों के आधार पर उस व्यक्ति को, जिसने भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन कर रखा है, बेदखली के लिये और भूमि के दोषपूर्ण अध्यासन के लिये, तथा सम्पत्ति को पहुंचाई गई क्षति या उसके दुर्विनियोजन के लिये, प्रतिकर की वसूली के निमित्त कार्यवाही कर सकता है ।"

और नीचे से है कार्यवाही ऐसे करेगा "एज प्रेस्क्राइब्ड" । माननीयगेंदा सिंह जी के संशोधन का मतलब यह है कि गांव समाज की भूमि को जो आज क्षति पहुंचा रहा है वह अगर नहीं रोकी जायगी तो ६ महीने तक उसको नुकसान पहुंचा सकता है । तो मंत्री जी बतायें कि आज हमने कलेक्टर को शिकायत की तो जब तक कलेक्टर फैसला नहीं देता, क्योंकि समय तो है नहीं, अफसरों के यहां से फैसले काफी देर में होते हैं, तो मंत्री जी समझा दें किस कानून के मातहत जिसमें कि गांव समाज की भूमि का अपहरण हो रहा है उस नुकसान को किस तरह से स्टे किया जायगा । अन्तरिम रिलीफ गांव समाज को किस प्रकार मिलेगी गांव समाज और वहां की लोकल अथारिटी को कोई अधिकार तो इस विधेयक के अनुसार है नहीं सिवाय इसके कि वह कलेक्टर को शिकायत कर सकते हैं । तो अर्जी देने पर ६ महीने में या २ साल में फैसला हुआ इस बीच में वह प्रापर्टी को डैमेज कर सकता है । अतः मंत्री जी समझायें कि अन्तरिम रिलीफ स्टे कैसे होगा, उस प्रापर्टी को जो नुकसान पहुंच रहा है वह कैसे रोका जायगा ? अर्जी तो कोई भी लिख सकता है कि फलां आदमी गांव समाज की प्रापर्टी को खराब कर रहा है, भूमि का कानून है आज भी कि अगर किसी व्यक्ति को पता चले कि गांव की सामूहिक सम्पत्ति पर कोई कब्जा किये हुये है तो उसकी शिकायत कर सकता है । तो इस अमेंडमेंट के लाने की क्या आवश्यकता है ? कौन सी ताकत गांव समाज और लोकल अथारिटी को मिल रही है, मैं यह जानना चाहता हूं । और जो मूल अधिनियम है उसमें कौन धारा है जिसके मातहत स्टे आर्डर मिल सकता है ? अगर उस प्रापर्टी को असेस किया जाता है कि गांव समाज की जमीन है या नहीं तो जब तक इस बात का फैसला होता नहीं है तो कानून यह है कि कलेक्टर को असेस करना चाहिये । लेकिन उस वक्त तक उस प्रापर्टी को बचाने के लिये कोई न कोई शक्ति इस कानून में होनी चाहिये जिससे गांव समाज की प्रापर्टी को बचाया जा सके । इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है । ग्रेटेस्ट गुड आफ दि ग्रेटेस्ट नम्बर अर्थात् बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय तो गेंदासिंह जी के संशोधन को मानने से ही हो सकता है ।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—मैं अध्यक्ष महोदय, श्री गेंदासिंह जी के संशोधन का समर्थन इस विश्वास के साथ अवश्य करता हूं कि हमारे माल मंत्री जी की उम्र ६० वर्ष से अधिक हो चुकी है, वे अब अगर चाहें भी तो गेंदासिंह जी के संशोधन का समर्थन कैसे करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

वे जब से आसीन इस पद पर हैं तब से उत्तर प्रदेश के किसानों की जायदाद के साथ वे बराबर खिलवाड़ ही तो करते चले आ रहे हैं और यह तो सार्वजनिक भूमि ही है वह इसको कैसे कबूल करेंगे। मैं उनसे यह जरूर कहूंगा कि वे एक बार फिर गेंदासिंह जी के संशोधन को पढ़ने की कृपा करें। गेंदासिंह जी का संशोधन १२२(ख)(१) के अन्त में जोड़ने के लिये है। १२२(ख) (१) में अधिकार उन लोगों को प्रदान किया है जिनकी जमीन किसी गांव समाज में निहित है और वहां की किसी और संस्था में निहित है तो उनके लिये जो अधिकार डिफाइन किये गये हैं वह अगली उपधारा (२) में हैं। दूसरे में बहुत साफ कहा गया कि गांव समाज की या किसी सार्वजनिक भूमि पर अगर कोई व्यक्ति अनधिकार कब्जा करले उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये गांव समाज को ६ महीने तक अधिकार मिला है कि अगर उस गांव समाज की जमीन पर कोई बिना अधिकार कब्जा कर ले तो उसको बेदखल करने के लिये ६ महीने और अगर नुकसान पहुंचाता है तो एक महीने की अवधि है कि इतना समय व्यतीत कर दे तो वह कलेक्टर के पास प्रार्थनापत्र दे सकता है चाहे वह प्रार्थनापत्र किसी सदस्य के जरिये हो चाहे गांव समाज के किसी हेड के जरिये हो और जैसे ही कलेक्टर को मालूम हो जाय कि सार्वजनिक भूमि को किसी ने हड़प लिया है या क्षति पहुंचा रहा है तो कलेक्टर उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगा। अध्यक्ष महोदय, गेंदासिंह जी इस बीच में यह चाहते हैं कि ६ महीने की अवधि मिल चुकी है तो लोकल अथारिटी को यह भी अधिकार दिया जाय कि उसकी भूमि पर जो नुकसान हो उसकी क्षतिपूर्ति के लिये या जो कब्जा हो गया है उसको छुड़ाने के लिये अगर वह कार्यवाही कर सकती है तो करे और उसी के साथ डी० एम० के यहां पहुंचने से पहले लोकल अथारिटी या गांव समाज खुद ऐसी कार्यवाही करे जिससे वह कब्जा उस पर न कर सके या क्षति न पहुंचा सके। मैं यह तो जानता हूं कि सार्वजनिक भूमि पर वे कोई लाभ का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकते लेकिन शायद अब भी उनकी समझ में आ जाय इस आशा से प्रार्थना करता हूं कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

*श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, यह बात मुझे समझा दी जाय कि कोई व्यक्ति जो गांव समाज की सम्पत्ति को क्षति पहुंचा रहा हो या नाजायज तरीके से कब्जा किये हुये हो या कुछ भी कर रहा है तो इस विधेयक के द्वारा या पूरे ऐक्ट के द्वारा उसको रोक देने की कार्यवाही कैसे की जा सकती है। ब्रजनारायण जी ने जो बात कही है मैं बिलकुल उसी को कह रहा हूं कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी है या गांव समाज है या कोई लीगल अथारिटी है उसको पूरी सम्पत्ति जो गांव की है उस पर अधिकार रहता है और आप जानते हैं कि गांव समाज को या लीगल अथारिटी को अपनी सम्पत्ति को बचाने में क्या क्या दिक्कतें भोगनी पड़ती हैं। कहीं पर गांव समाज इतना जागरूक है कि वह अपना रुपया बचाना चाहता है, लेकिन वह तुरन्त कार्यवाही नहीं कर सकता है। वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को खबर देगा और ६ महीने तक इसका फैसला हो पायेगा तब कम्पेनसेशन का सवाल आयेगा। अगर कार्यवाही करने के पहले सम्पत्ति की ठीक तरह से हिफाजत हो सके, तो ठीक था। मैंने इसलिये यह संशोधन रखा है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कोशिश की कि मैं इसको समझाऊं, लेकिन गालिबन मैं ठीक तरह से इसे समझा नहीं सका। यह धारा जिसमें तरमीम की बात है, यह नई धारा १२२(ख) की उपधारा (१) में है। इसमें जो लैण्ड मैनेजमेंन्ट है, इसके अन्त में कहा जाता है कि इसको जोड़ दिया जाय इसके अन्त में इसे जोड़ने से आखीर में इसकी शकल क्या हो जायगी "भूमि का कब्जा वापस लेने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगा और अन्तिम निर्णय होने के पहले भूमि पर अध्यासन करने अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने तथा दुर्विनियोजन से रोकने के लिये अविलम्ब कार्यवाही करेगा"। तो यह इसमें बैठता नहीं है। वह सिविल सूट दायर करेगा या टेम्पोरेरी इंजंक्शन द्वारा ऐसा कर सकता है। अगर वह कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यवाही नहीं करता है या सिवलि सूट दायर नहीं करता है, तो हम ने सब क्लाज (२) में लिखा है कि वह कलेक्टर या किसी की इत्तला पर ऐक्शन लेगा और उस का समरी ट्रायल करेगा ।

श्री प्रतापसिंह—कलेक्टर और उसकी अर्जी देने के बीच का जो समय होगा, उसमें क्या होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह डैमेजेज वसूल करेगा । यह तरमीम वहां बैठती नहीं है किसी तरह से भी ।

श्री अध्यक्ष—वे कहते हैं कि वहां नहीं तो कहां बैठती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये सिविल सूट दायर करें । वैसे यहां पर यह नहीं बैठता है । या तो फिर यह है कि वह लाठी लेकर तैयार हो जाय । यहां के लिये तो यह मिस-फिट हैं । वैसे इस संशोधन का आइडिया अच्छा है । वह सिविल सूट दायर करेगा, टेम्पोरेरी इन्जंक्शन लेगा । इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित नई धारा १२२–ख की उपधारा (१) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"और अन्तिम निर्णय होने के पहले भूमि पर अध्यासन करने अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने तथा दुर्विनियोजन से रोकने के लिये अविलम्ब कार्यवाही करेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि

"खंड २ में प्रस्तावित नई धारा १२२–ख की उपधारा (२) निकाल दी जाय" ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से खंड २ को पढ़ देना चाहता हूं :

"(२) यदि भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानिक अधिकारिकी, उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार दोषपूर्ण अध्यासन (wrongful occupation) के दिनांक से एक मास, की अवधि के भीतर कर्यवाही न करें तो कलेक्टर, उस मामले को छोड़कर जिसमें आगम (title) का वास्तविक प्रश्न (bonafide question) अन्तर्ग्रस्त हो भूमि प्रबन्धक समिति के सभापति, सदस्य या सेक्रेटरी या स्थानिक अधिकार की, जैसी भी दशा हो, के प्रार्थना-पत्र या उसकी जानकारी में किसी अन्य प्रकार से आये हुये तथ्यों के आधार पर उस व्यक्ति की, जिसने भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन कर रखा है, बेदखली के लिये और भूमि के दोषपूर्ण अध्यासन के लिये, तथा सम्पत्ति को पहुंचाई गई क्षति या उसके दुर्विनियोजन के लिये, प्रतिकर की वसूली के निमित्त कार्यवाही कर सकता है ।"

श्रीमन्, मैं, इस संशोधन को प्रस्तुत करते समय थोड़ी सी गलतफहमी जो हमारे न्याय मंत्री जी ने फैलाने की कोशिश की है, उस का निराकरण कर देना चाहता हूं । मैंने जो कुछ संशोधन रखे हैं, उस के संबंध में माननीय न्याय मंत्री जी ने जो जवाब देने की कोशिश की है, उस संबंध में कुछ अखबारों की बातें भी कहीं हैं । श्रीमन्, मेरी यह प्रार्थना है कि जब सरकारी पक्ष के लोग बोलने के लिये खड़े होते हैं, और खासकर जब माननीय मंत्री जी खड़े होते हैं, तो प्रेस वाले उनकी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं और उनकी बात को छापते भी हैं । लेकिन हमारे प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि प्रेस वाले विरोधी पक्ष के लोगों की बात को नहीं सुनते ह । माननीय मंत्री जी की गलत बात का भी प्रचार करने का प्रयास करते हैं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—कभी ऐसा नहीं किया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—आज ही उन लोगों ने किया कि जब माननीय मंत्री जी बोलने के लिये खड़े हुये तो वे आ गये और जब हम लोग बोलने के लिये खड़े होते हैं, तो प्रेस वाले कोई भी नहीं दिखाई देते हैं ।

श्री अध्यक्ष—अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे तो केवल दो ही प्रेस वाले बैठे थे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जिस समय मेरा प्रस्ताव आया था उस समय की बात कह रहा हूं श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अखबार वाले विरोधी पक्ष की सही बात का भी प्रचार नहीं करना चाहते हैं । हमारे न्याय मंत्री जी का यह कहना है कि जमींदारी खत्म होने के बाद भी जमींदार बने रहे । मैं उन के इस तर्क को ठीक नहीं समझता हूं । एक दफा एक वकील एक चोरी करने वाले की तरफ से बहस कर रहा था । बहस के समय उस ने कहा कि इसने चोरी तो की है, लेकिन इसको ऐसी सजा दीजिये, जो हाथ को मिले, क्योंकि इसके हाथ ने चोरी की है, इसलिये इसके हाथ को सजा मिलनी चाहिये । सजा दिलाने के लिये वह इसलिये तयार हो गया क्योंकि चोर ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया था । उसका यह कहना था कि उस के हाथ को ही सजा मिलनी चाहिये उस आदमी को नहीं मिलनी चाहिये । हाथ के अलावा उस के किसी अंग को सजा नहीं मिलनी चाहिये । ठीक इसी तरह की दलीलें हमारे न्याय मंत्री जी देते हैं और उनके इस गलत प्रचार को अखबार वाले भी लोगों में करते हैं और अखबारों में छापते हैं । एक समय मैंने अध्यापकों के बारे में कुछ कहा था, तो उसके खिलाफ माननीय मंत्री जी ने जो कहा वह अखबारों में छप गया और सारे प्रान्त में उसका प्रयोग हुआ ।

एक सदस्य—तभी तो इतने लड़के फेल होते हैं ।

श्री अध्यक्ष—इसमें कोई फेल नहीं हुआ ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं यह बात कह रहा था कि हम लोगों ने जमींदारी प्रथा को जान लड़ाकर खत्म किया । हमने जमींदारी को जड़ मूल से उखाड़ दिया है और हम नहीं चाहते हैं अब किसी प्रकार से भी जमींदारी पनपे । हमने अपने शरीर से, मनसा, वाचा, कर्म से यह कल्पना की थी कि हम जमींदारी को खत्म कर देंगे और हम इसमें कामयाब हुये और हमने उसे जड़ मूल से उखाड़कर फेंक दिया ।

श्री अध्यक्ष—आप संशोधन पर बोलें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इसमें लिखा हुआ है कि भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानिक अधिकारिकी, उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार दोषपूर्ण अध्यासन के दिनांक के छः मास, और क्षति या दुर्विनियोजन के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर कार्यवाही न करें तो कलेक्टर स्वयं उस को अपने हाथ में ले ले, मैं इस चीज का विरोध करता हूं । अब सरकार ने जो दफा ३ आने वाली है उसमें अधिकार ले रखा है कि जो कार्यवाही की जाने वाली होगी वह किस प्रकार की जाय । यह डेलीगेटेड पावर्स में है और सरकार नियमों के द्वारा बनायेगी ।

श्री अध्यक्ष—यह चेयरमैन वगैरह की जो बात आपने कह दी वह कुछ गलत कह गये । इसमें लिखा हुआ है कि चेयरमैन की प्रार्थना पर करेगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जी हां, चेयरमैन की प्रार्थना पर करेगा । मैं वही कह रहा था । और इस प्रकार की कार्यवाही कराना भूमि प्रबन्धक समिति के सभापति, सदस्य, सेक्रेटरी, ऐसे लोगों का कार्य होगा । इन लोगों के न करने पर कलेक्टर स्वतः इनीशियेटिव लेगा । मैं इस बात के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि कलेक्टर किस प्रकार से स्वयं इनिशियेटिव लेगा इसके सारे नियम सरकार दफा ३ के मातहत बना रही है ।

अभी हमारे सामने माननीय गेंदासिंह जी का जो संशोधन था उसमें हमारे मंत्री जी ने यह समझने का प्रयास नहीं किया कि वह होगा कैसे । मैं बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी कार्यवाही कलेक्टर या भूमि प्रबन्धक समिति करेगी उसका तरीका सरकार स्वयं उपखंड (३) के मुताबिक निश्चय करेगी । इसलिये कार्यवाही का तरीका बिल्कुल स्पष्ट हो जायगा सरकार के बनाये हुये रूल से । इसलिये यह शंका आपको नहीं पैदा करनी चाहिये कि यह कार्यवाही कैसे होगी । मेरी मंशा सिर्फ इतना ही कहने की है कि कलेक्टर को इस क्षेत्र में क्यों आना चाहिये । हम चाहते हैं कि भूमि का प्रबन्ध भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा हो, भूमि का रांगफुल अध्यासन न हो, हम चाहते हैं कि उसमें मिसएप्रोप्रियेशन न हो और अगर होता है तो उसकी कार्यवाही करने के लिये एग्जीक्यटिव बाडी भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानीय अधिकारिकी जो बनाये जायं वह सम्पूर्ण अधिकार युक्त हों और इसके लिये यह आवश्यक है कि उनको हम पूर्ण अधिकार दें । जब कभी हम देखते हैं कि उनको अधिकार देने के बाद भी वह लंगड़े हैं तब ख्वामख्वाह आप बीच में कलेक्टर को ला देते हैं । इस कलेक्टर को बिना लाये हुये हम चाहते हैं कि भूमि प्रबन्धक समिति को पूर्ण पावरफुल क्यों न बनायें और इसके बनाने में आप हंस देते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि यह होगा कैसे । यह आप इसलिये नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आप विकेन्द्रीकरण के मूल मंत्र को अपने गले के नीचे उतारना नहीं चाहते । अगर आप उस मूल मन्त्र को अपने गले के नीचे उतारें और इस प्रबन्धक समितियों को, ग्राम सभाओं को और ग्राम पंचायतों को हर प्रकार के अधिकार दे दें जैसा कि हम हर बार कहते रहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं रह जायगी । हम तो यह मानने वाले हैं कि जिलाधीश का स्थान ही अनावश्यक है और हमारे चौखम्भा राज्य में वह कहीं आता ही नहीं है । यह हम किसी आधार पर कहते हैं, कोई केवल कल्पना से ही नहीं कहते हैं, हम अधिकारयुक्त कहते हैं कि हमारा सारा कार्य गांव क्षेत्र से लेकर क्षेत्र, जिला और प्रदेश के स्तर तक विकेन्द्रीकरण के आधार पर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाय । लेकिन जब भूमि प्रबन्धक कार्य सरकार कलेक्टर के द्वारा ही कराना चाहती है तो फिर वह सर्वे सर्वा है । तो यह बजट समिति कहीं की नहीं रहेगी और केवल मात्र एक बीच की संस्था हो जायगी और वादी के रूप में मौजूद रहेगी और अगर बेदखल किये जायं तो उसके लिये सहारा केवलमात्र कलेक्टर का ही लेना पड़ेगा जिसके लिये हम कभी भी तैयार नहीं हैं क्योंकि हम देश में विकेन्द्रीयकरण चाहते हैं । अगर इस बात को हमारे मंत्री जी समझ सकें तो ठीक है और मैं कहूंगा कि वह मेरी बात को मानेंगे । वरना वह कहेंगे कि बिना कलेक्टर के मजा नहीं आयेगा और कोई काम ठीक से नहीं हो पायेगा । हर काम में वह कर्ताधर्ता हैं और वह हमारे शासन के स्टील फ्रेम का एक अंग है जैसे लार्ड जार्ज के समय में शासन के स्टील फ्रेम का कलेक्टर एक अंग था । यदि इसी रूप में आपने कलेक्टर को बना रखा है तो आप नहीं कर सकेंगे । लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । इसलिये इसको आप स्वीकार करें ।

*श्री भीखा लाल—अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो मैंने दिया था कि खंड १२२ (ख) की उपधारा (२) निकाल दी जाय इसका मंशा यह था कि १२२ (१) के द्वारा प्राविधान किया गया है कि अगर ग्राम समाज की किसी सम्पत्ति पर कोई व्यक्ति अधिकार करके नुकसान पहुंचाता है तो भूमि प्रबंधक समिति उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है तो जब समिति निर्णय लेगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी । इसमें यह भी प्राविजन है कि अगर भूमि प्रबंधक समिति कार्यवाही नहीं करती है तो कोई भी सदस्य या सेक्रेटरी अपना प्रार्थना-पत्र कलेक्टर के पास भेजकर कह सकता है कि यह अनधिकार कब्जा है, इसको हटाया जाय । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अक्सर ऐसे विवाद गांवों में उठते हैं और गांवों में पार्टीबंदी हैं और भूमि प्रबंधक समिति का सेक्रेटरी लेखपाल है इसलिये सारी समिति कहती है कि कब्जा ठीक है और एक व्यक्ति या लेखपाल कहता है कि अनधिकार कब्जा है और वह कलेक्टर को लिख देता है तो उसको दौड़ना पड़ेगा । यह अधिकार जो दिया गया है इससे भ्रष्टाचार बढ़ने की सम्भावना है, लोगों को परेशान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भीखालाल]

करने की सम्भावना है और सही नहीं है क्योंकि सम्पत्ति की रक्षा करने का जो अधिकार है वह १२२(१) में दिया हुआ है। इसलिये अनावश्यक होने के कारण इसको निकाल दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र माननीय भीखा लाल जी ने स्वयं तस्लीम किया है कि गांव में पार्टीबंदी होती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कमेटी में दस आदमी हैं और उनमें आठ एक पार्टी के हैं और किसी ने नाजायज कब्जा कर लिया है और कमेटी ने कह दिया कि नाजायज कब्जा नहीं किया है और वाकया यह है कि नाजायज कब्जा कर लिया है, क्षति पहुंचाई है या मिस एप्रोप्रियेशन कर लिया है तो इस सूरत में क्या होगा? लिहाजा हम कलेक्टर को अधिकार दे रहे हैं कि अगर कोई चेयरमैन या सेक्रेटरी कलेक्टर के नोटिस में लाये या उसको किसी तरह से मालूम हो जाय कि इस तरह से किसी ने गांव समाज की प्रापर्टी पर नाजायज कब्जा कर लिया है या पेड़ काट लिये हैं तो वह उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। जैसे कि दौरान बहस में माननीय अवस्थी जी ने कहा कि कानपुर की घाटमपुर तहसील में हजारों मुकदमें ११५ (सी) के कायम हैं और पेंडिंग हैं और जो आशा लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी से की जाती थी वह पूरी नहीं होती है, वह कोई ऐक्शन नहीं लेते हैं। इस वजह से ११५--सी से एफ तक रूल बनाये गये थे। लेकिन चूंकि ऐक्ट में ऐसा कोई प्राविजन नहीं था जिसके अधीन कलेक्टर काम कर सके लिहाजा वह अल्ट्रावायरिस हो गये। उस हाईकोर्ट की रूलिंग को मीट करने के लिये यह विधेयक लाया गया है और खंड २ के उपखंड (२) में ऐसा करना रखा है। लिहाजा अगर खंड २ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय तो विधेयक बेमानी हो जाता है। उसके साथ उपखंड (२) और (४) भी खत्म हो जाते हैं। तीन में रखा गया है कि नियम बनाये जायेंगे और ऐसे ही चार में भी रखा है। अगर उपखंड (२) निकाल दिया जाता है तो उपखंड (३) और (४) भी निकल जाते हैं। (१) और (५) रह जाते हैं जिनसे काम चलने वाला नहीं है। लिहाजा इस संशोधन की मैं मुखालिफत करता हूं।

***श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मेरे बोलने की इच्छा नहीं थी लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि माननीय न्याय मंत्री को कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है और इस वजह से वह उन मानव अधिकारों के प्रति उदासीन हैं जो सबको प्राप्त होने चाहियें। इस धारा को हटाने के बाद, अगर यह प्रश्न है कि सार्वजनिक भूमि की कैसे रक्षा हो, तो मैं निवेदन करूंगा कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २१२ में यह विधान है कि जो गांव की सार्वजनिक भूमि है, चाहे कब्रिस्तान हो, या चरागाह हो, या खलिहान हो, या रास्ता हो उन पर अगर किसी का अनधिकार कब्जा है तो धारा २१२ के अन्तर्गत उसको बेदखल कर सकते हैं। अगर ऐसी भूमि है जो जोती जाती हैं, तो ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं और इसीलिये मैंने एक बहुत ज्वलंत उदाहरण न्याय मंत्री जी के सामने पिछले साल प्रस्तुत किया था कि घाटमपुर तहसील में वहां के अधिकारियों ने मिल कर लोगों को ऐसी नोटिसें दे दीं जिस पर तहसीलदार के दस्तखत नहीं थे, जो सक्षम अधिकारी था। नायब तहसीलदार जो मुकदमा नहीं कर सकता वह मुकदमा कर रहा है। उसमें सौ रुपया जुर्माना सुना दिया गया। बाद में चपरासी जाता है और कहता है कि ५० रुपये दे दो तो सब ठीक हो जाय। इस प्रकार से २६ दरख्वास्तें लेकर जिलाधीश के पास गये। एक आदमी से २०० रुपये तय हुये। उस आदमी को माननीय मंत्री जी के पास पेश किया गया। उन्होंने यह कहा कि हाईकोर्ट की कुछ ऐसी रूलिंग हो गयी है कि अगर कोई आदमी रिश्वत लेना चाहता है तो वह इस तरह से पकड़ में नहीं आता है, क्या किया जाय हम कलेक्टर से कहेंगे। नतीजा यह हुआ कि एक तरह से वह गड़बड़ी चलती रही। जब हमने सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा जांच करवायी तो यह सिद्ध हुआ कि ऐसे सैंकड़ों किसान हैं जो १५-१५, २०-२० साल से जमीनों को जोते हुये हैं लेकिन लेखपाल इन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इंदराजों को लिखता नहीं और इस पर भी सरकार ध्यान नहीं देती है कि अगर इंदराज नहीं है तो जो यह जिंस लिखी हुई इतने दिन से भरी चली आ रही है, वह कहां से आयी ?

श्री अध्यक्ष—आप इसी पर सीमित रहिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा—हमारा यह तर्क है कि धारा हटा दी जाय तो उसकी जगह पर क्या हो ।

श्री अध्यक्ष—उसकी जगह पर क्या हो, यह तो आप प्रस्ताव नहीं लाये हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—यह सदन सक्षम है । अगर उनको कठिनाई है तो उसकी जगह पर दूसरी बात लायें । लेकिन यह तर्क नहीं हो सकता माननीय मंत्री जी का कि चूंकि दूसरा प्रबंध उनके दिमाग में नहीं आया इसलिये यह ठीक है । हमारा तो यह कहना है कि अगर यह धारा अनुचित है तो इसकी जगह सरकार दूसरा प्रबंध करे । सैंकड़ों किसान जो अपनी जमीन पर दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह वर्ष से काबिज थे उनकी चूंकि लेखपाल से लड़ाई हो गई या नायब तहसीलदार, तहसीलदार तक एक विशश सर्किल तैयार हो गया तो फर्जी नोटिसें उनके नाम आ गईं प्रतिलिपि अधिकारी के दस्तखत से या और किसी के दस्तखत से, वह श्रीमन्, मैंने आपको भी दिखाया था । तो इन घटनाओं को देखते हुये और जो इसका दुरुपयोग होता है उसको देखते हुये माननीय मंत्री जी इस धारा को हटा दें और भूमि प्रबंधक कमेटी या गांव के लोगों की तरफ से जब कोई बात आये तब उस पर फौरन कार्यवाही हो । ऐसा कभी सम्भव नहीं हो सकता है कि गांव की उस कमेटी में कोई ऐसा आदमी ही न हो जो इस बात को सामने लाये और हर जगह पार्टीबन्दी की बात भी माननीय मंत्री जी कहते हैं....

श्री हुकुमसिंह विसेन—भीखालाल जी कहते हैं, मैं नहीं कहता ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—आप भी कहते हैं और अगर नहीं कहते हैं तो आप सत्य से मुंह मोड़ते हैं । इस वजह से भूमि प्रबंधक कमेटी को यह अधिकार दिया जाय और अगर ऐसी भूमि पर कोई कब्जा कर लेता है तो भूमि प्रबंधक कमेटी उस पर तुरन्त कार्यवाही करे । अब उस पर अविलम्ब कार्यवाही चाहे पुलिस की मदद लेकर की जाय या और भी जो तरीका हो सके वह अपनाया जाय, लेकिन अविलम्ब कार्यवाही की बात तो इसमें है नहीं । जनता को परेशान करने वाली कार्यवाही करने का अधिकार जरूर मंत्री जी इसमें दे रहे हैं । इसलिये इस धारा का माननीय मोतीलाल जी को विरोध करना पड़ा और मैं ऐसा समझता हूं कि इसे हटाकर कोई दूसरा प्रबंध इसके लिये माननीय मंत्री जी को करना चाहिये ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, माननीय रामस्वरूप जी के कहने के बाद मुझे कोई विशेष बात तो कहने की जरूरत नहीं रही केवल एक बात कहना चाहता हूं । हमारे न्याय मंत्री जी ने घाटमपुर वाली घटना का दो दफे उल्लेख किया, लेकिन जो घटना मैंने बतायी उसको उन्होंने तोड़-मरोड़ करके अपने माफिक बनाकर उसका इस्तेमाल किया । घाटमपुर की तहसील में कम से कम ५० ऐसे सम्मन्स तैयार किये गये कि जिसमें मोहरें नहीं थीं । उनसे कह दिया गया कि तुम्हारे ऊपर फलां दफा में कार्यवाही हो रही है और वह कचहरियों में जब गये तो बाहर ही बाहर उनसे सौदा तय किया गया । उसके लिये हमने बहुत कुछ कार्यवाही करायी, लेकिन रिश्वत वाली बात सरकार की कमजोरी की वजह से पकड़ में नहीं आ पायी । उस बात को वह इस तरह से कहते हैं कि इतने मुकदमें पेंडिंग पड़े हैं । यद्यपि वह इस बात को कहना चाहें तो कह सकते हैं । मैं इस बात को मानता हूं कि ११५—जी और सी के अन्तर्गत इन एस० डी० ओज की कचेहरियों में किसी समय मुकदमे इतने इकट्ठे हो गये थे कि हम लोगों ने जब सवाल उठाया और पूछा कि क्या कारण है तो यह पता लगा कि यह कुछ मैजिस्ट्रेटों के आलस्य की वजह से,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

उनकी ढील से या कुछ किंकर्तव्यविमूढ़ता से ऐसा हो रहा है। एक बात यह भी कि हाईकोर्ट ने उसे इनवैलिड भी करार दिया, लेकिन यह सब होते हुये भी माननीय मंत्री जी उस मूलभूत बात को भूल जाते हैं। यह अनधिकार चेष्टा जो होती है इसको बचाने का विरोध हम नहीं करते। हम यह नहीं कहते कि यह जायज होता है। हम तो यह कहते हैं कि यह नहीं होना चाहिये, लेकिन एक बात जो मैं चिल्ला-चिल्ला कर कहता हूं, उस पर सरकार ध्यान नहीं देती कि किसानों के बीच में भूमि की कमी है। चार भूखों के बीच में एक टुकड़ा डाल दिया जाय और उनसे कहा जाय कि तुम लड़ो मत, लड़ो मत तो यह कैसे सम्भव हो सकता है वही बात इसमें लागू होती है। आज स्थिति यह हो गई है कि गांव में भूमिहीन बहुत ज्यादा हैं। उन भूमिहीनों के पास जमीन न होने के कारण यह तनाव, यह परिस्थिति पैदा हो गई है। उसकी तो व्यवस्था सरकार करती नहीं, उसके बजाय इधर-उधर के उपाय अपनाने को सोचती है। कहा गया कि कलेक्टर को अधिकार देने का विरोध क्यों करते हो। मैं यह कहता हूं कि यह इसका इलाज नहीं है, बल्कि इलाज यह है कि ग्राम व्यवस्था को देखते हुये भूमि का फिर से बटवारा आप करें। तो उसका तो जवाब सरकार देती नहीं बल्कि यह कहती है कि आप कलेक्टर के अधिकार को क्यों हटा रहे हैं। इसलिये हटा रहे हैं कि कलेक्टर और भी अनावश्यक और अनुपयुक्त हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अवस्थी जी के बोलने के बाद मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित नयी धारा १२२-ख की उपधारा (२) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(२) (क) १५३ (१) को मूल अधिनियम से हटा दिया जाय।"

श्रीमन्, मैं इस पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब तक इसे हटाया नहीं जायगा तब तक आगे वाला जो मेरा संशोधन है वह ठीक बैठेगा नहीं। चूंकि १५३ धारा पूरी ले ली गयी है इसलिये इसे संशोधित कर दिया जाना चाहिये, मैं आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं इसको अपोज करता हूं। हमने जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के १५३ (२) में रखा है कि सीरदार को अपने राइट ट्रांसफर करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इस विधेयक में हमने उनको तकावी के एवज में और कोआपरेटिव सोसायटी से कर्जा लेने के एवज में मारगेज रखने का अख्तियार दिया है। वह अख्तियार हम देने जा रहे हैं इसकी रू से। गेंदासिंह जी का संशोधन एक फ्री लाइसेंस है वह उसकी रू से चाहे जिसको बाकब्जा रेहन कर दें या सिम्पुल रेहन कर दें या बयनामा कर दें। तो इससे यह अंदेशा हो सकता है कि गरीब सीरदारों के पास जमीन नहीं रह जायगी और बड़े जो धनीमानी लोग हैं उनके पास सारी जमीन चली जायगी और जो उसूल हमने जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में मंजूर किया था कि टाइटिल और पजेशन एक ही आदमी के पास रहे वह खत्म हो जायगा। इसलिये मैं इसको अपोज करता हूं।

***श्री ब्रजनारायण तिवारी**—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बाबू गेंदासिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। मैं आपकी आज्ञा से मूल धारा १५३ को पढ़ देना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि जब तक इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट व्यवस्था न की गयी हो सीरदार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और असामी के स्वत्व का संक्रमण न हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में सर्वे कराने के बाद और सरकार के आंकड़ों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो चुका है कि २/३ भूमि के मालिक सीरदार हैं और १/३ भूमि के मालिक हैं भूमिधर और उन दोनों की मालगुजारी में फर्क है। १/३ भूमिधरों की जमीन का लगान है ४ करोड़ ८० लाख रुपया और २/३ सीरदारों की भूमि का लगान है १५ करोड़ ८५ लाख रुपया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे गुस्सा इस बात पर हो रहा है कि माननीय रामलखन जी ६० वर्ष की उम्र के हैं। जब कोई प्रतिक्रियावादी संशोधन आ जाता है तो उसे वे सरकार से मनवा लेते हैं, लेकिन किसानों के हक का अगर कोई संशोधन आता है तो उनकी जबान उसके लिये नहीं खुलती।

श्री अध्यक्ष—जब कोई बोला नहीं तो उस पर आप हमला न कीजिये।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—अगर ऐसी बात है तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन वह बोले हैं। इसमें साफ व्यवस्था की गयी है कि सीरदार जिनकी संख्या आधे से अधिक है और जो २/३ भूमि पर काबिज हैं उनको किसी तरह का अधिकार न दिया जाय। मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि आखिर उस सीरदार ने क्या कसूर किया है, क्यों उसको अधिकार नहीं दिया जा रहा है। लगान उससे भूमि का दुगुना लेते हैं। पैसे के लालच से आप उसको अधिकार नहीं देना चाहते हैं। अगर वह दस गुना दाखिल कर दे तो उसको आप सब अधिकार दे देंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, क्या समय बढ़ाया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—१५ मिनट तो मैं अपनी ओर से ही बढ़ा रहा हूं। ५ मिनट और रह जाते हैं। अगर सदन को कोई एतराज न हो तो वह भी बढ़ा दिये जायेंगे।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख होता है कि तमाम संशोधनों के बावजूद भी लोगों को अधिकार से वंचित किया जा रहा है। सीरदारों के अधिकार को यह सरकार तब तक नहीं समझेगी जब तक सीरदार खुद ही उसको न समझायेंगे। जब आप सीरदार को रेहन करने की इजाजत दे रहे हैं, बंधक रखने की और सिक्योरिटी की इजाजत दे रहे हैं तो फिर इसमें सरकार को क्या नुकसान होगा। सरकार यह जो सीरदार को अधिकार दे रही है वह इसलिये दे रही है कि वह कोआपरेटिव सोसाइटी का कर्जदार होगा, अगर उसको ऐसा अधिकार नहीं देंगे तो सरकार का रुपया मारा जायगा। इस डर से सरकार यह संशोधन कर रही है, इसमें सीरदार को कोई सहूलियत देने की बात नहीं है। अगर किसानों के हित में यह संशोधन किया जा रहा है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस धारा १५३ को जो सीरदारों की गर्दन पर तलवार है, उसको हटाइये और इस संशोधन को स्वीकार कीजिये।

श्री अध्यक्ष—१५ मिनट तो मैंने अपने अधिकार से समय बढ़ा दिया अब ५ मिनट और रह जाते हैं, क्योंकि यह २० मिनट में समाप्त होगा। अगर आप लोगों को किसी को कोई एतराज न हो तो ५ मिनट और बढ़ा दिये जायं।

(किसी ने कोई एतराज नहीं किया)

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, नियम १३९ में ग्राह्यता की शर्तों के अन्तर्गत यह दिया हुआ है—

"किसी विधेयक के खंडों या अनुसूचियों में संशोधनों की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:—

(१) संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका सम्बन्ध हो उसके विषय से सुसंगत होगा।"

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

मेरा कहना यह है कि प्रस्तुत जो संशोधन है वह इसकी व्याप्ति के अंदर नहीं है जो कि १५१ को हटाने के बारे में है, जो १५३ (२) को हटाने के बारे में है। जो हमारा प्रस्तुत संशोधन है उसमें इन दफाओं का हवाला नहीं है, बल्कि दफा १२२, १२२ (अ) और १५३ को बदलने के बारे में है। तो यह संशोधन जो उन्होंने रखा है, मैं समझता हूं कि इसके स्कोप के बाहर है, इसलिये आपकी रूलिंग के बाद मुझे इस पर विरोध करने का मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—श्री मोतीलाल अवस्थी जी ने जो वैधानिक प्रश्न उठाया है इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री जी को क्या कहना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस पर तो सदन में काफी बहस हो चुकी है। मैं टेक्निकल बातों में नहीं जाता। वैसे जैसी आपकी आज्ञा हो।

श्री अध्यक्ष—माननीय गेंदासिंह जी का संशोधन है कि १५३ (१) को मूल अधिनियम से हटा दिया जाय, जो कि इसमें मौजूद नहीं था। मैं भी ऐसा समझता हूं कि मूल अधिनियम में जो चीज मौजूद न हो उसको पेश करने से दूसरों के भी अधिकार व्यापक हो जाते हैं, इसलिये यह अवैध है।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, धारा १५३ पर ही विचार हो रहा है, तो इससे यह और सुसंगत बन जायगी। अगर कोई चीज सुसंगत बनती हो तो उसके लिये अमेंडमेंट तो किया ही जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन यह तो ऊपर के लिये कंसीक्वेन्शल हो जायगा। अगर यह पास हो जाता है तो ऊपर वाले को भी बदलना पड़ेगा। तो पहले आप उसको पास कराइये, अगर वह पारित हो जाता है तो फिर बाद में वह हो जायगा।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, अवस्थी जी को मैं नहीं समझा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—उनका कहना बिलकुल ठीक है, मैं उनको समझ गया हूं, उनकी बात टेक्निकली ठीक है।

श्री गेंदासिंह—मेरी जो खामी राजस्व मंत्री जी नहीं निकाल सके उस खामी को अवस्थी जी ने निकाल दिया।

श्री अध्यक्ष—अगर आप (ख) को पेश करना चाहते हैं तो पेश कीजिये।

*श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) में उल्लिखित १५३ (२) को निम्न प्रकार रख दिया जाय—

"सीरदार ऋण के लिये प्रतिभू के रूप में अपनी जोत में अपने स्वत्व को बंधक कब्जे के साथ रख सकता है तथा शिक्षा से सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिये किसी स्वीकृत संस्था को दान द्वारा संक्रामित कर सकता है।"

श्रीमन्, हमारा संशोधन बहुत स्पष्ट है। कुछ बातों की तरफ श्री ब्रजनारायण तिवारी जी ने सदन का ध्यान दिलाया और मैं भी कुछ बातों की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने सिर्फ तकावी के रुपये और कोआपरेटिव बैंक से ही कुछ रुपये देने की व्यवस्था की है, लेकिन उससे किसानों की सारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती हैं। अपनी सारी जरूरतों के लिये किसानों को लाखों-करोड़ों रुपये की तादाद में अलग से कर्ज लेना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ता है। अभी-अभी जो सर्वे हुआ है उससे भी मालूम हुआ है कि बहुत ही आंशिक रूप में सरकार द्वारा किसानों को कर्जा मिल पाता है, वह चाहे तकावी के रूप में हो या कोआपरेटिव बैंक द्वारा हो उनको निजी कर्जे की व्यवस्था करनी पड़ती है। उस कर्ज को सरकार सिर्फ इस बात पर छोड़ना चाहती है कि वह बिलकुल ईमानदारी से और जो पुराना तरीका गांव का रहा है उस तरीके पर ले। पुराने तरीके में यह बात जरूर रही है कि अपनी जमीन को बंधक रख सकता था और कब्जे के साथ रख सकता था और उसको अधिकार था कि जमीन बंधक रखने के बाद अगर किसी तरीके से धन पैदा कर सके तो अपनी जमीन को वह वापस ले सकता था, लेकिन इस कानन के जरिये यह अधिकार छिन गया। कर्जे की जरूरत तो उसकी पूरी नहीं होती है। यह बात सभी माननीय सदस्य जानते हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि यह तो बड़े लोगों के पास जमीन ले जाने वाला संशोधन है। मैं समझता हूं कि यह तो इसका उल्टा अर्थ लगाना है। मैं नीयत पर शक नहीं करता, लेकिन इससे ज्यादा उल्टा अर्थ लगाया नहीं जा सकता। जहां तक बड़े लोगों के पास चले जाने की बात है, बड़े लोगों के पास तो जमीन जा ही रही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हम सीलिंग के कानून से भी उनकी जमीन नहीं ले पाते हैं और उस कानून के बाद भी वह जमीन दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं और हम उनको छू नहीं पाते हैं और वह आज भी जमीन के मालिक हैं। हमको लगता है कि सीलिंग के बाद भी एक हजार और दो हजार एकड़ वाले मालिक रहेंगे। तो बड़े लोगों की जमीन तो छिन नहीं सकती। जो सीरदार हैं, मैं आपका ध्यान उसकी ओर ले जाना चाहता हूं कि कैसे उसकी जमीन इस वक्त छिन रही है। इस तरह से छिन रही है कि अगर कर्जे की उसको जरूरत पड़ती है तो वह जमीन को रेहन रखता है और रेहन रखने वाला उससे रेहन नहीं लिखाता बल्कि उस पर अपने को काबिज लिखाता है और तीन वर्ष तक काबिज रहने के बाद इसी कानून के हिसाब से वह बेदखल नहीं हो सकता—वह तीन वर्ष का ट्रेसपासर हो जाता है। ३ वर्ष तक लगातार अगर ट्रेसपासर है तो बेदखल करने का किसी को अधिकार नहीं है.....

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब शायद ६ साल हो गया है। गांव समाज का १२ साल और वैसे ६ साल।

श्री गेंदासिंह—फिर रेहन रखने वाले के पास वह रुपया लेकर जाता है तो वह कहता है कि मैं तो काबिज हूं, ट्रेसपासर हूं, मैं काश्तकार हो गया। इसी तरह से अदालत में काश्तकार कह देता है कि हमारा कब्जा नहीं है। तो काश्त उस तरह से भी उसके पास से चली जाती है, लेकिन दाम कम मिलता है। तो कई तरीके हैं जिनसे जमीन उनके पास से जा रही है। उसके बाद अगर कोई ईमानदारी से इस काम को करता है तो बेदखली के लिये तमाम कानून भरे पड़े हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री रामस्वरूप वर्मा—मैं भी खड़ा हूं, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—वह बोल लें पहले।

श्री हुकुमसिंह विन—सेमाननीय मित्र गेंदासिंह जी को कुछ गलतफहमी है। कभी टेनेन्सी ऐक्ट में रेहन करने का राइट किसान को नहीं था। अगर करता था तो वह इल्लीगल होता था। यह कहना सही नहीं है कि उनका राइट छीन लिया, क्योंकि यह राइट उनको कभी था ही नहीं। जमींदार को ट्रांसफर करने का राइट था, लेकिन टेनेन्ट को कभी नहीं था। मैंने साफ कहा कि जमीन नानएग्रीकल्चरिस्ट्स के हाथों में पहुंच जायेगी अगर ऐसा ट्रांसफर करने का हम राइट देते हैं। सिद्धान्त यह है कि जो जोते वह जमीन का मालिक हो। शहर में बसे हैं, कपड़े की दुकान है, अगर इस तरह से होगा तो वह रेहन कर लेंगे और जो तरकीबें आप बताते हैं उनसे वह कब्जा कर लेंगे और मालिक हो जायेंगे, किसान बे-जमीन हो जायेगा।

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

किसानों को दिक्कत होती है। अगर कहीं कोआपरेटिव से रुपया लें तो दिक्कत पड़ती है जमानत वगैरह देने में और तकावी में दिक्कत होती है। उस वजह से यह कर दिया कि तकावी की एवज में, कोआपरेटिव सोसाइटी के हक में वह रेहन कर सकता है। यह राइट हमने दिया है। आपकी तरमीम से मालूम होता है कि फ्री लाइसेंस दिया जाय। इसके हम विरोध में हैं।

*श्री रामस्वरूप वर्मा—इसके दो पक्ष हैं। एक में सरकार गलती पर है और दूसरे में यह संशोधन मान्य नहीं है। इसलिये मैं कहूंगा कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है यह सही है सरकार किसानों को उस मात्रा में, जो जरूरत के वक्त कर्ज मिले, नहीं दे पा रही है। साथ ही यह भी सही है कि अगर यह अधिकार किसानों को मिल जाय जो गेंदासिंह जी चाह रहे हैं तो यह वैसे ही होगा जैसे किसी बन्दर को उस्तरा दे दिया जाय। तो हमें वह अधिकार नहीं देना चाहिये, जिसकी वजह से किसान की तमाम जमीन बड़े लोगों के पास चली जाय। अब इस समस्या का समाधान कैसे हो? गेंदासिंह जी का यह कहना सही है कि जो कर्जा नहीं मिल पा रहा है उसकी व्यवस्था सरकार की ओर से समुचित रूप से हो, कोआपरेटिव के द्वारा हो या तकावी के जरिये ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे समुचित धन मिल सके, लेकिन अगर यह अधिकार दे दिया जायगा कि बंधक के रूप में अपनी जमीन को रख सकता है तो यह भी अनुचित होगा।

मैं गेंदासिंह जी की यह बात नहीं समझ पाया, उन्होंने कहा कि ३ साल में कब्जा दिखा करके मालिक हो जाता है। जहां तक जमींदारी विनाश अधिनियम का सम्बन्ध है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है कि सीरदार अगर किसी को अपनी जमीन पर काबिज लिख देता है तो वह उसको ट्रांसफर हो जाती है। यह केवल १३५९ फसली तक के लिये था, अब ऐसा नहीं है। अब यह व्यवस्था है कि अगर कोई सीरदार अपनी जमीन पर काबिज नहीं है तो सरकार नोटिस देकर दोनों को बेदखल कर दे और वह जमीन गांव सभा किसी भी आदमी को उठा देगी। इसलिये यह संशोधन गेंदासिंह जी का ठीक नहीं है। हां, सरकार को साथ ही कर्जे की व्यवस्था करनी चाहिये।

*श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा, दो-तिहाई सीरदारों को बन्दर समझ लिया, कि अगर उनके हाथ में उस्तरा दिया जायगा तो गड़बड़ हो जायगा। उनके क्षेत्र में शायद सीरदार नहीं हैं। रामस्वरूप जी को विचार करना चाहिये कि यह बात उनको कहनी चाहिये थी या नहीं।

राजस्व मंत्री जी ने कहा कि इससे नान-ऐग्रीकल्चरिस्ट्स को जमीन चली जायेगी। मैं क्या कहूं भूमिधर जो उनका दुलरवा है उसको तो बेचने का हक दे रखा है, वह अपनी जमीन बेच सकता है, क्योंकि उसने १० गुना दे रखा है, लेकिन सीरदार के लिये कुछ नहीं है, उसकी जमीन किसी के पास न चली जाय। तो बात साफ कहनी चाहिये कि हम उसको अधिकार इसलिये नहीं देना चाहते, क्योंकि उसने १० गुना नहीं जमा किया और यह अधिकार तब तक नहीं देंगे जब तक १० गुना लगान नहीं देगा असल बात यही है। अन्त में मैं माननीय रामस्वरूप जी तथा मोतीलाल अवस्थी जी को बधाई देता हुआ अपने संशोधन को प्रेस करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) में उल्लिखित धारा १५३ (२) को निम्न प्रकार रख दिया जाय—

"सीरदार ऋण के लिये प्रतिभू के रूप में अपनी जोत में अपने स्वत्व को बन्धक कब्जे के साथ भी रख सकता है तथा शिक्षा से सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिये किसी स्वीकृत संस्था को दान द्वारा संक्रामित कर सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ६, १९६० का संशोधन।

४—उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) अधिनियम, १९६० में:

धारा २ का संशोधन।

(१) धारा २ के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(क) शब्द 'असिस्टेंट कलेक्टर', 'कलेक्टर' तथा वरिष्ट स्वामी (superior proprietor) के अर्थ वही होंगे जो यू० पी० लैंड रेवेन्य ऐक्ट, १९०१ में क्रमशः शब्द 'असिस्टेंट कलेक्टर', 'कलेक्टर' तथा 'सुपीरियर प्रोप्राइटर' के लिये दिये गये हैं"; और

धारा ४ का संशोधन।

(२) धारा ४ के खंड (क) में शब्द "राज्य सरकार" तथा शब्द "को पहले" के बीच में शब्द तथा कामा "या वरिष्ठ स्वामी (superior proprietor), जैसी भी दशा हो" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, १९६१

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम सं० १।

आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० और उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित तथा आस्थान तथा अवसित पट्टा) अधिनियम, १९६० को संशोधित करने के लिये

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६१।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ६, १९६०।

विधेयक

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय) संशोधन अधिनियम, १९६१ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Land Laws (Second) Amendment Bill, 1961] को पारित किया जाय ।

*श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके विरोध के लिये मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि इसमें तीन ऐक्ट्स का हवाला है और उनमें जो डिफीकल्टीज हैं उनको दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है । मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज इस बात की आवश्यकता है कि आप अपने ला डिपार्टमेंट को रिआर्गनाइज करें, क्योंकि आप यहां पर बिल पास करते हैं और हाई कोर्ट से वे अलटा वायरस डिक्लेयर हो जाते हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो इस बिल में धारायें हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में जो डिफीकल्टीज पायी जाती हैं उनको इसमें दूर नहीं किया गया है और ६ महीने के बाद ही फिर संशोधन विधेयक आप लायेंगे । सन् १९५४ से आप देखें तो यही मालूम होगा कि जो हाउस के अधिकार हैं उनको यह सरकार लेना चाहती है और लेती चली जा रही है ।

इसके अलावा मुझे यह कहना है कि जो इन विधेयकों की ड्राफ्टिंग किया करते हैं उनकी ड्राफ्टिंग में बहुत डिफेक्ट है । जुडीशियल अफिसर्स ड्राफ्टिंग को उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं इसलिये आपको अच्छे ड्राफ्ट्समैन को लेना चाहिये ताकि अच्छी ड्राफ्टिंग इन बिलों की हो सके ।

इसके अलावा सीलिंग बिल के लिये कहा गया है, लेकिन इसको भी अभी तक सरकार कार्यान्वित नहीं कर पायी है कि कितने भूमिहीन हैं और कितनी जमीन प्रत्येक को मिलेगी । ४० हजार भूमिहीन जो सीमा पर हैं उनके लिये क्या व्यवस्था होगी यह भी पता नहीं है । यह भी पता नहीं है कि लैंड सीलिंग होने के बाद जमीन का क्या हुआ । इसके बाद मैं जोरदार शब्दों में ला डिपार्टमेंट के लिये कहता हूं कि उस डिपार्टमेंट को फौरन रिआर्गनाइज करना चाहिये था ताकि सही सच्ची तसवीर हाईकोर्ट के सामने आ जाती कि हमने जो विधेयक पास किया है वह सही पास किया है या गलत पास किया है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारे मित्र प्रतापसिंह ने हमको यह सलाह दी है कि ला डिपार्टमेंट को रिआर्गनाइज करना चाहिये, लेकिन यह नहीं बताया कि इस विधेयक में त्रुटि कहां है . . .

श्री प्रतापसिंह—उसको तो हाईकोर्ट ने कहा है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो हाईकोर्ट ने कहा है उसी के अनुसार तो हम दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई त्रुटि नहीं बतायी है ।

जहां तक सीलिंग बिल का सम्बन्ध है आप प्रश्न कर लीजिये मैं जबाव दे दूंगा । सीलिंग की कार्यवाही जिले-जिले में हम कर रहे हैं । अब यह कोई छू मन्तर तो है नहीं कि कर दिया । स्टेटमेंट बनकर आ जायगा और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उस पर कार्यवाही करेगी । सरकार कोई जमीन अपने पास नहीं रख लेगी, लैंड लेस को देने के लिये ही वह विधेयक हमने पास किया है और मैं समझता हूं कि वह उन्हें मिलेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Land Laws (Second) Amendment Bill, 1961] को पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

श्री देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
९ अगस्त, १९६१ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६२४ पर)

उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१

कतिपय अधिनियमितियों को संशोधित करने का विधेयक

यह इष्टकर है कि कतिपय अधिनियमितियों में पायी जाने वाली साधारण प्रकार की असंगतियों (inconsistencies), त्रुटियों और अशुद्धियों को दूर करने के लिये उनमें कतिपय संशोधन किये जायं;

अतएव भारतीय गणतन्त्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम

(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधि संशोधन अधिनियम, १९६१ कहलायेगा।

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन

(२) अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियां एतद्द्वारा उस सीमा तक और उस रीति से संशोधित की जाती हैं जो उसके स्तम्भ ५ में निर्दिष्ट है--

अनुसूची

[धारा २]

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	अभ्युक्तियां
१	२	३	४	५
१	१९३४	३	यू० पी० ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट, १९३४	(१) धारा २३ में शब्द "Village headman" के स्थान पर शब्द "Pradhan and Secretary of a Gaon Sabha" रख दिये जायं; और (२) धारा २६ तथा २७ में जहां-जहां भी शब्द "any officer of the Excise Department" आये हों उनके स्थान पर शब्द "any officer of the Excise, Police or Land Revenue Departments, Pradhan or Secretary of a Gaon Sabha or Village Chaukidar" रख दिये जायं।
२	१९३५	५	यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५	फर्स्ट शिड्यूल के आर्टिकिल २ के खन्ड (१) के उपखण्ड (सी) के पश्चात् नये उपखण्ड (डी) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय: (*d*) exceeding 40 cwt. in weight unladen .....120-0."

क्रम संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	अभ्युक्तियां
१	२	३	४	५
३	१९५१	१	१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम	(१) धारा २४५ की उपधारा (१) के खन्ड (ग) में शब्द "तो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर भूमि के संबंध में उसके द्वारा देय लगान के आधे के बराबर धनराशि या संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट), १९४९ ई० की धारा ४ के अधीन उसके द्वारा देय समझा जाने वाला लगान" के स्थान पर शब्द "तो ऐसी धनराशि जो, यथास्थिति, उस दिनांक से, जब कि वह सयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट), १९४९ ई० की धारा ७ के अधीन विशेषाधिकारों का हकदार हो जाय ठीक पहले के दिनांक पर भूमि के संबंध में उसके द्वारा देय लगान, या उक्त ऐक्ट की धारा ४ के अधीन उसके द्वारा देय समझे जाने वाले लगान, के आधे के बराबर हो" रख दिये जायं; और (२) अनुसूची २ में क्रम-संख्या ३० के सामने की प्रविष्टि के स्तम्भ ४ के शब्द "तहसीलदार" के स्थान पर शब्द "परगने का इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर" रख दिये जायं ।
४	१९५६	११	जौनसार-बावर जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६	(१) धारा २६ के पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—"प्रतिकर विवरण-पत्र को अन्तिम रूप देना"; और "(२) धारा २८ की मद (१) के स्थान-पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— (१) नकदी के रूप में एक मुश्त दी जाने वाली धनराशि की दशा में, धारा २६ के अधीन प्रतिकर विवरण-पत्र को अंतिम रूप देने के दिनांक तक, और"
५	१९५६	१८	उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५६	(१) धारा १५ में अंक तथा अक्षर "२४०-ख" के स्थान पर अंक तथा अक्षर "२४०-क" रख दिये जायं और अंक तथा अक्षर "११-क" के स्थान पर अंक "१४" रख दिया जाय; तथा (२) धारा २१ में जहां-जहां भी अंक "१९५५" आया हो उसके स्थान पर अंक "१९५६" रख दिया जाय ।

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	अभ्युक्तियां
१	२	३	४	५
६	१९५७	९	उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६	(१) धारा ८२ में अंक तथा अक्षर "३३२, ३३२-क, ३३२-ख" के स्थान पर अंक तथा अक्षर "३३१-क" रख दिये जायं; (२) धारा ८४ के पार्श्वशीर्षक में अंक "१७" तथा शब्द "का" के बीच में शब्द और अंक "तथा १९०३ ई० का यू० पी० ऐक्ट २" रख दिये जायं; (३) धारा ८४ में शब्द "जैसा कि वह नागर क्षेत्रों में लागू है, निर्वतित हो जायगा और एतद्-द्वारा निर्वतित (repealed) किया जाता है" के स्थान पर शब्द तथा अंक "और बुन्देलखन्ड एलीनेशन आफ लैन्ड ऐक्ट, १९०३, जैसे कि वे नागर क्षेत्रों में लागू हैं, निर्वतित हो जायंगे और एतद्द्वारा निर्वतित (repealed) किये जाते हैं" रख दिये जायं; और (४) अनुसूची के भाग-ख की मद (१) में शब्द "कुमायूं डिवीजन" के स्थान पर शब्द "उपर्युक्त भाग-क की मद (ग) में निर्दिष्ट क्षेत्र को छोड़ कर, कुमायूं डिवीजन" रख दिये जायं।
७	१९५८	३३	उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम, १९५८	धारा ६ निकाल दी जाय।
८	१९५९	२	उत्तर प्रदेश नगर-महापालिका अधिनियम, १९५९	(१) धारा १९३ की उपधारा (२) के खन्ड (क) में शब्द तथा अंक "खन्ड (४७)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "खन्ड (४८)" रख दिये जायं; (२) धारा १९४ के खन्ड (क) में शब्द तथा अंक "खन्ड (४७)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "खन्ड (४८)" रख दिये जायं; (३) धारा २१० की उपधारा (१) में शब्द "नगर प्रमुख" के स्थान पर शब्द "समिति के सभापति" रख दिये जायं; (४) धारा २१३ की उपधारा (१) के खन्ड (ङ) में शब्द तथा अंक "धारा २०४ के" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के" रख दिये जायं;

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	अभ्युक्तियां
१	२	३	४	५
				(५) धारा २१३ की उपधारा (२) में शब्द तथा अंक "उपधारा (२) के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस के फलस्वरूप" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खन्ड के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस के अनुसरण में" रख दिये जायं;
				(६) धारा ४६१ की उपधारा (१) में, उसकी सारिणी के पहले स्तम्भ में आये हुए अंक "२६७ (२)" के स्थान पर अंक "२६७ (३)" रख दिये जायं ;
				(७) धारा ४६५ की उपधारा (१) में शब्द तथा अंक "उपधारा (१)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उपधारा (२)" रख दिये जायं;
				(८) अनुसूची २ में:—
				(१) पैरा ३ में शब्द तथा अंक "and who is not entitled to receive the additional sum of fifteen per centum mentioned in sub-section (2) of section 23" निकाल दिये जायं।
				(२) पैरा ५ के उप-पैरा (२) में उपधारा (४), (५) तथा (६) की, जिनका लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा १७ में बढ़ाया जाना अपेक्षित है, संख्यायें बदल कर क्रमशः (५), (६) तथा (७) कर दी जायं; और
				(३) पैरा १० का उप-पैरा (२) [जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, १९५९ की धारा १० द्वारा बढ़ाया गया था] निकाल दिया जाय; और
				(९) अनुसूची ३ में—
				(१) भाग १ की सारिणी के पहले स्तम्भ में—
				(क) "पचास रुपये" जुर्माने की प्रविष्टि के सामने आये हुए अंक तथा कामा "२९३ (३)," निकाल दिये जायं;

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	अभ्युक्तियां
१	२	३	४	५
				(ख) "दो सौ रुपये" जुर्माने की प्रविष्टि के सामने आये हुए अंक "४८२" के स्थान पर अंक "४८२ (३)" रख दिया जाय; और (ग) "पांच सौ रुपये" जुर्माने की प्रविष्टि के सामने आये हुए अंक तथा कामा "३२६," निकाल दिये जायं; और (२) भाग २ की सारिणी के पहले स्तम्भ में "पचास रुपये" जुर्माने की प्रविष्टि के सामने आये हुए अंक "४८२" के स्थान पर अंक "४८२ (३)" रख दिया जाय।

उद्देश्य और कारण

इस विधेयक का अभिप्राय अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों में असंगतियां, साधारण प्रकार की अशुद्धियां और त्रुटियां दूर करना तथा कुछ साधारण प्रकार के संशोधन करना है। इनमें से अधिकांश संशोधनों द्वारा उक्त अधिनियमों में पाई गई गलतियों को सुधारा गया है।

हकुमसिंह विसेन,
न्याय मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विभिन्न अधिनियमों की धाराओं का विवरण जिन्हें संशोधित करने का प्रस्ताव है

१—यू० पी० ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट, १९३४

(यू० पी० ऐक्ट ३, १९३४)

धारा २३—

Aid to Officers of Excise Department.

Every officer of the Police and Land Revenue Departments, every village Headman and every village Chaukidar shall, upon notice given or request made to him, be bound to give reasonable aid to any officer of the Excise Department in carrying out the provisions of this act.

धारा २६—

Bar of certain suit ..

No suit shall lie in any Civil Court against the Government or a Collector or any officer of the Excise Department for damages for any act in good faith done or ordered to be done in pursuance of this Act.

धारा २७—

Limitation of suit and prosecution.

No Civil Court shall try any suit against the Government or a Collector or any officer of the Excise Department in respect of anything done in pursuance of this Act and except with the previous sanction of the State Government, no Magistrate shall take cognizance of any charge made against any person under this Act, unless the suit or prosecution is instituted within six months after the date of the act complained of.

२—यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५

(यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५)

FIRST SCHEDULE

Article number	Description of Vehicle	Annual rate of Tax
		Rs.
II	Vehicles constructed and used solely for the conveyance of passangers and light personal luggage with seating accommodation for not more than six persons exclusive of the driver (including cycles and tri-cycles weighting more 8 cwt. unladen)—	
	(i) (*a*) not exceeding 20 cwt. in weight unladen ..	48
	(*b*) exceeding 20 cwt. but not exceeding 35 cwt. in weight unladen	68
	(*c*) exceeding 35 cwt. but not exceeding 40 cwt. in weight unladen	92
	(ii) trailers drawn by vehicles covered by this article ..	20

३—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम

[१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १]

धारा २४५ .. (१) इस अधिनियम के निदेशों को बाधित न करते हुए प्रत्येक भूमिधर अपनी भूमिधरी भूमि के लिये राज्य सरकार को मालगुजारी के निमित्त निम्नलिखित का देनदार होगा—

भूमिधर द्वारा देय मालगुजारी की मात्रा

(क) यदि वह निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर,

(१) उस दशा को छोड़कर जिसकी व्यवस्था उपखंड (१—क) में की गई है, मध्यवर्ती था, तो धारा ४४ के खंड (घ) के उपखंड (२) में अवधारित धनराशि;

(१—क) ऐसा मध्यवर्ती था जिसके पास मालगुजारी से मुक्त या लगान से मुक्त ऐसा स्थान था जिसमें वह भूमि स्थित हो, तो ऐसी दरों पर और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, अवधारित धनराशि,

(२) शरह मोअय्यन काश्तकार था, तो ऐसी धनराशि जो उक्त दिनांक पर उसके द्वारा देय लगान के बराबर हो, और

(३) माफीदार था, तो ऐसे सिद्धांतों के आधार पर, जो नियत किये जायं, अवधारित धनराशि ;

(ख) यदि वह धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (घ) और (ङ) के अधीन भूमिधर हुआ हो तो ऐसी धनराशि जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उसके द्वारा उक्त भूमि के लिये देय लगान के बराबर हो,

(ग) यदि वह धारा १८ की उपधारा (२) के अधीन भूमिधर बना हो तो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर भूमि के सम्बन्ध में उसके द्वारा देय लगान के आधे के बराबर धनराशि या संयुक्त प्रांतीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट), १९४९ ई० की धारा ४ के अधीन उसके द्वारा देय समझा जाने वाला लगान,

सं० प्रा० ऐक्ट, १०, १९४९ ..

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी संविदा की शर्तों या आचार के अनुसार जिसके अधीन उक्त दिनांक पर भूमि कब्जे में रही हो उस भूमि के सम्बन्ध में किसी भूमिधर द्वारा देय लगान नियत अवधियों पर बढ़ता रहता हो तो देय मालगुजारी वह धनराशि होगी जो नियत की जाने वाली रीति और सिद्धान्तों के आधार पर इस प्रकार असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा अवधारित की जाय कि अवधारित धनराशि किसी भी समय पर लगान की उस अधिकतम धनराशि से अधिक न हो जो भूमिधर द्वारा उक्त संविदा के आचार के अनुसार देय होती।

अनुसूची २

क्रम-संख्या	धारा	व्यवहारों (Proceedings) का ब्योरा	मूल अधिकार क्षेत्र का न्यायालय	प्रथम अपील का न्यायालय	द्वितीय अपील का न्यायालय
१	२	३	४	५	६
३०	२१९	लगान के नकदी में परिवर्तन का वाद	तहसीलदार	कमिश्नर	बोर्ड

४—जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११,१९५६)

धारा २६ .. .. (१) यदि धारा २२ के अनुसार प्रकाशित प्रतिकर विवरण-पत्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति न प्रस्तुत की गई हो, या यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत की गई हो और उसका अन्तिम रूप से निपटारा हो चुका हो, तो विवरण-पत्र यदि आवश्यक हो संशोधित, परिवर्तित (altered) या परिष्कृत किया जायगा। प्रतिकर अधिकारी विवरण-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर अपनी मुहर लगायेगा।

विवरण-पत्र का अन्तिम रूप से प्रकाशन

(२) इस प्रकार हस्ताक्षरित और मुहर लगाया हुआ विवरण-पत्र अन्तिम (final) होगा।

(३) अन्तिम विवरण-पत्र की एक प्रति सम्बद्ध मध्यवर्ती को निःशुल्क दी जायगी।

धारा २८ .. .. धारा २६ में अभिदिष्ट अन्तिम प्रतिकर विवरण-पत्र में उल्लिखित प्रतिकर निश्चित दिनांक (appointed date) से प्राप्य (due) होगा और उस प्रतिकर पर राज्य सरकार निश्चित दिनांक से—

प्रतिकर पर ब्याज ..

(१) नकदी के रूप में एक मुश्त दी जाने वाली धनराशि की दशा में धारा २६ के अधीन प्रतिकर विवरण-पत्र के अन्तिम प्रकाशन के दिनांक तक, और

(२) वार्षिक किस्तों में दी जाने वाली धनराशि की दशा में, पहली किस्त के भुगतान के दिनांक तक और उसके पश्चात् ऐसी धनराशि पर जो अन्तिम किस्तों की अदायगी के दिनांक तक समय-समय पर बाकी रहे २॥ प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष ब्याज देगी।

५—उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १८, १९५६)

धारा १५

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २३२ के अधीन खारिज प्रार्थना-पत्रों का न्यायालय द्वारा पर्यालोकन ।

यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी न्यायालय ने मूल अधिनियम की धारा २३२ के अधीन किसी प्रार्थना-पत्र को खारिज करने की अथवा उसके अधिक्षेत्रयुक्त न्यायालय को इस आधार पर वापस करने की आज्ञा दी हो कि मूल अधिनियम की धारा २४०-ख के अधीन जारी की हुई विज्ञप्ति के फलस्वरूप उक्त न्यायालय के प्रार्थना-पत्र की सुनवाई का अब अधिकार नहीं रहा है, तो कार्यवाही से सम्बद्ध कोई भी फरीक इस अधिनियम के प्रारम्भ से ९० दिन के भीतर किसी भी समय इस अधिनियम की धारा ११-क द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के निर्देशों के आधार पर उक्त आज्ञा के पर्यालोकन (review) के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है और वह न्यायालय जिसे ऐसा प्रार्थना-पत्र दिया जाय तदनुसार कार्यवाही की पर्यालोकन करेगा और पहले दी गई आज्ञा को परिवर्तित या पुनरीक्षित करते हुये ऐसी आज्ञा, यदि कोई हो, देगा जो इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा २३२ के निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे प्रार्थना-पत्र पर न्यायालय उक्त प्रार्थना-पत्र अथवा कार्यवाही के व्यय के सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह न्यायसंगत तथा उचित समझे ।

धारा २१ .. .. मूल अधिनियम की अनुसूची ५ में—

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की अनुसूची ५ का संशोधन ।

(१) अनुच्छेद (para) २ के उप-अनुच्छेद (sub-para) (१) में शब्द "उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ के प्रारम्भ से १ वर्ष के भीतर" के स्थान पर शब्द "३१ दिसम्बर, १९५६ के पूर्व" रख दिये जायं तथा सदैव रखे गये समझे जायं ।

(२) अनुच्छेद ४ के उप-अनुच्छेद (१) में शब्द "उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था संशोधन अधिनियम, १९५४ के प्रारम्भ के १ वर्ष के भीतर" के स्थान पर शब्द "३१ दिसम्बर, १९५६ के पूर्व" रख दिये जायं ।

(३) अनुच्छेद ४ के पश्चात् नये अनुच्छेद ४-क के रूप में निम्नलिखित रख दिये जायं—

"४—क अनुच्छेद ४ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, उस व्यक्ति पर जो धारा २० के खंड (क) के अधीन अधिवासी हो गया हो, इस प्रकार लागू होंगे मानों —

(क) शब्द "उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५५" तथा "लगान के २० गुना" के स्थान शब्द "लगान के १५ गुना" रख दिये गये हों, तथा

(ख) खंड (ख) के अभिदेश (references) खंड (क) के भी अभिदेश हों ।"

(४) वर्तमान अनुच्छेद ६ को पुनः परिगणित करके अनुच्छेद (१) के रूप में रख दिया जाय और तत्पश्चात् नये उप-अनुच्छेद (२) तथा (३) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

(२) यदि किसी ऐसे भूमि संबंधी वाद या कार्यवाही (suit or proceeding) में जो उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५५ के आरम्भ के पश्चात् किसी दीवानी या माल न्यायालय में चलायी गयी हो अथवा यदि वह उक्त प्रारम्भ के पूर्व चलायी गई हो तो उसमें डिक्री अथवा आज्ञा न दी गई हों, यह प्रश्न उठे अथवा उठाया जाय कि वाद अथवा कार्यवाही का कोई पक्ष भूमि का सीरदार, अधिवासी अथवा असामी है या नहीं अथवा किसी महत्वपूर्ण (material) दिनांक को था या नहीं और ऐसा प्रश्न किसी क्षेत्राधिकार प्राप्त समर्थ न्यायालय अथवा कस्टोडियन द्वारा पहले से निर्णीत न हुआ हो, तो न्यायालय कार्यवाही को स्थगित कर देगा तथा उस पक्ष को, जो सीरदार, अधिवासी अथवा असामी होने का दावा करे, कस्टोडियन द्वारा उक्त अधिकार को अवधारित कराने के आदेश देगा ।

(३) कस्टोडियन के निर्णय, ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० में उल्लिखित अपीलों, पर्यालोकनों (reviews) तथा पुनरीक्षणों (revisions) के उपबंधों के अधीन रखते हुये निश्चायक होगा ।"

धारा ३३२ — "ख—की उपधारा (२) तथा (४) के उपबंध तत्पश्चात् इस प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "कस्टोडियन" रख दिया गया हो ।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९५७)

धारा ८३ .. इस अधिनियम के अधीन वादों, प्रार्थना-पत्रों और व्यवहारों के संबंध में १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धाराओं ३३१,३३२,३३२—क, ३३२—ख तथा ३३३ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे उक्त अधिनियम के अधीन किये जाने वाले वादों, राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन (adaptation), परिष्कार (modification), परिवर्तन (alteration), अपवाद (exception) कर सकती है जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, और जो उसकी राय में आवश्यक प्रतीत हों, और किसी ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।

वाद, प्रार्थना—पत्र तथा व्यवहार

धारा ८४ .. .. निहित होने के दिनांक से यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ जैसा कि वह नागर क्षेत्रों में लागू है, निवर्तित हो जायगा और एतद् द्वारा निवर्तित (repealed) किया जाता है ।

१९३९ ई० का यू० पी० ऐक्ट १७ का निरसन ।

अनुसूची

(धारा १)

क्षेत्र जिसमें आरम्भ में यह अधिनियम लागू न होगा ।

* *

भाग ख

(१) कुमायूं डिवीज़न

उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) अधिनियम, १९५८

(उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९५८)

धारा ६ .. .. उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ निरसन .. .. एतदद्वारा निरसित किया जाता है तथा जनरल क्लाजेज उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९५८ ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबंध उस पर उसी यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४ प्रकार लागू होंगे मानो कि वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरसित कोई विधायन रहा हो ।

उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९

(उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९)

* * *

धारा १९३ मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना विज्ञापनों का प्रतिबंध

(२) मुख्य नगराधिकारी ऐसी अनुमति न देगा यदि:

(क) उक्त विज्ञापन धारा ५४१ के खंड (४७) के अधीन महापालिका द्वारा बनाई गई किसी उपविधि का उल्लंघन करता हो, या

(ख) विज्ञापन के संबंध में, देय कर का, यदि कोई हो, भुगतान न किया गया हो ।

* * *

धारा १९४ .. .. धारा १९३ के अधीन दी गई अनुमति निम्नलिखित दशाओं में शून्य (void) होगी, अर्थात—

कतिपय दशाओं में मुख्य-नगराधिकारी की अनुमति का शून्य होना

(क) यदि विज्ञापन धारा ५४१—क खंड (४७) के अधीन महापालिका द्वारा निर्मित किसी विधि का उल्लंघन करता हो;

* * *

धारा २१० .. .. (१) जब धारा २०९ के अधीन की गई सभी आपत्तियों का निबटारा हो गया हो तथा उक्त धारा की उपधारा (३) द्वारा अपेक्षित सभी संशोधन नगर प्रमुख के हस्ताक्षर अथवा धारा २०९ के अधीन किसी उप-समिति को अधिकारों के प्रतिनिधान (delegation) की दशा में, ऐसी उप-समिति के सभापति के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकृत हो गये हों (authenticated), तो इस सूची को प्रमाणीकृत करने वाला व्यक्ति यह प्रमाणित (certify) करेगा कि यथावत् की

सूची का प्रमाणीकरण और उसकी अभिरक्षा

गई सभी आपत्तियों पर विचार किया जा चुका है और ऐसी आपत्तियों पर किये गये निर्णयों के अनुसार सूची को संशोधित किया जा चुका है।

* * *

धारा २१३ .. .. (१) कार्यकारिणी समिति अथवा एतदर्थ नियुक्त की गई उसकी कोई उप-समिति किसी भी समय निम्न प्रकार से निर्धारित सूची में संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकती है—

सूची में संशोधन तथा परिवर्तन

(ङ) जब धारा २०४ के उपबंधों के अधीन उस वार्षिक मूल्य का जिस पर कोई कर लगाया जाने वाला हो प्रतिशत महापालिका द्वारा परिवर्तित कर दिया गया हो तो प्रत्येक मामले में देय कर की धनराशि में तदनुरूप (corresponding) परिवर्तन करके; अथवा

* * *

(२) धारा २०९ की उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्ध जो उनमें उल्लिखित आपत्तियों पर लागू होते हों, यथासम्भव उपधारा (२) के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस के फलस्वरूप की गई किसी आपत्ति पर तथा उपधारा १ के खंड (च) के अधीन दिये गये किसी प्रार्थना-पत्र पर भी लागू होंगे।

* * *

धारा ४६१ .. .. (१) जो भी व्यक्ति निम्नलिखित सारिणी के पहले स्तम्भ में उल्लिखित इस अधिनियम की किन्हीं धाराओं, उपधाराओं या खंडों या उनके अन्तर्गत दी गई किसी आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे और जो व्यक्ति किन्हीं धाराओं, उप-धाराओं या खंडों के अधीन विधितः दिये गये उसी आदेश का अनुपालन न करे, तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसने ऐसा अपराध किया जो इन्डियन पीनल कोड की उस धारा के अधीन दण्डनीय है जो क्रमशः उक्त सारिणी के दूसरे स्तम्भ में उस कोड की ऐसी धारा के रूप में निर्दिष्ट की गई है जिसके अधीन उस व्यक्ति को दण्ड दिया जायगा, अर्थातः—

पीनल कोड के अधीन दण्डनीय अपराध

इस अधिनियम की धारायें	इंडियन पीनल कोड की वे धारायें जिनके अधीन अपराधी दण्डनीय है
२६७ (२), ४००, खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च)	२७७

धारा ४६५ .. .. (१) जो भी व्यक्ति धारा २६७ की उपधारा (१) के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे उसे दोष सिद्ध होने पर एक मास तक का कारावास दण्ड, अथवा १०० रुपये तक का अर्थ-दण्ड अथवा दोनों ही दण्ड दिये जा सकते हैं।

धारा २६७ के प्रतिकूल किये गये अपराधों के लिये दण्ड

* * *

अनुसूची २

धारा ११ का संशोधन .. ३—उक्त ऐक्ट की धारा १२ के अन्त का फुलस्टाप सेमीकोलन में परिवर्तित समझा जाय तथा निम्नलिखित बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात

"and"

(iv) the cost which, in his opinion, should be allowed to any person who is found to be entitled to compensation, and who is not entitled to receive the additional sum of fifteen per centum mentioned in sub-section (2) of section 23, as having been actually and reasonably incurred by such person in preparing his claim and putting his case before the Collector.

५—(१) .. ..

* * * * *

धारा १७ का संशोधन .. (२) उक्त धारा १७ में निम्नलिखित बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात

"(4) Sub-sections (1) and (3) shall apply also in the case of any area which is stated in a certificate granted by the District Magistrate or a Magistrate of the first class to be unhealthy.

(5) Before granting any such certificate, the Magistrate shall cause notice to be served as promptly as may be on the persons referred to in sub-section (3) of section 9, and shall hear without any avoidable delay any objections which may be urged by them.

* * * * *

(6) When proceedings have been taken under this section, for the acquisition of any land, and any person sustains damage in consequence of being suddenly disposed of such land, compensation shall be paid to such persons for such dispossession."

* * * * *

(२) उक्त ऐक्ट की धारा २३ की उपधारा (२) के अन्त के पूर्ण विराम को कोलन में परिवर्तित समझा जाय तथा उसके पश्चात निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ाया गया समझा जाय—

"Provided that this sub-section shall not apply to any land acquired under Chapter XIV of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 except—

(*a*) land acquired under sub-section (4) of section 348 of that Adhiniyam, and

(*b*) building in the actual occupation of the owner or occupied free of rent by a relative of the owner, and land appurtenant thereto, and

(*c*) gardens not let to tenants but used by the owners, as a place or resort".

अनुसूची ३
(देखिये धारा ४६०)

दण्ड-सारिणी

भाग १

धारायें, उपधारायें तथा खंड	जुर्माना जो किया जा सकता है
* * * * *	
२४६, २७७, २९३ (३), २९४, ३०३ (१), ३०७, ४२२ (ङ), ४२४, ४२६ (१), ४२८, ४५१ (५)	पचास रुपये
* * * * *	
२३६, २५२ (१), २५३, २६७ (१), २९२ (१), (२), (४), ३०३ (३), ३०८ (१), ३३० (२), ३३० (३), ३३३ (१), ३३४ (३), ३९२ (३), ४२३ (२), ४४०, ४८२	दो सौ रुपये
२४५ (१), २८८ (१), ३२४, ३२६, ३२९, ३३१(१), ३३१ (२), ३९१ (२), ३९४ (१), ४१३, ४१७(१), ४३८ (१)	पांच सौ रुपये

भाग २

* * * * *	
२४५ (१), २८१ (२), ३०२ (१), ३०३(१), ३३२, ३९१(२), ३९२(३), ३९४ (१), ४२३ (२), ४३८ (१), ४८२	पचास रुपये

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १६४ एल० ए०—१९६१—८४५ ।